खण्ड १ — अंक १
१७ फरवरी, १९५६, (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha (XII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(खण्ड १—अंक १ से २०—१७ फरवरी से १५ मार्च, १९५६ तक)

अंक १—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४६, ४८ से ५३, ५५ से ६० — १–२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ — २१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से २८, ३० से ४०, ४७, ६१ से ७२ — २३–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २९ — ४०–४८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४९–५२

अंक २—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७६, ७८, ७९, १०१, ८०, ८२ से ८५, ८७ से ९१ ... — ५३–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७७, ८६, ९२ से १००, १०२ से १०७ — ७४–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३० से ४८ — ७९–८४

दैनिक संक्षेपिका — ८५–८६

अंक ३—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११३, ११५, ११६, ११८, १२१ से १२६ और १२८ से १३१ — ८७–११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०९, ११२, ११४, ११७, ११९, १२०, १२७, १३२ से १३४, १३६ से १४० और १४२ से १४९ — ११०–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५५, ५७ से ६४ — ११७–२२

दैनिक संक्षेपिका — १२३–२४

पृष्ठ

अंक ४--बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५३, १५५, १५६, १६२ से १६८, १७१ से १७४, १७६, १७७, १७९ से १८२, १५४ और १६० १२५–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५७ से १५९, १६१, १६९, १७० और १७८ ... ... १४७–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ८१ १४९–५५

दैनिक संक्षेपिका १५६–५७

अंक ५--गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १९५, १९७, २०७ से २१० और १८३ ... ... १५८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०१ ... १७९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से ९४ ... १८०–८४

दैनिक संक्षेपिका ... १८५–८६

अंक ६--शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१८ से २३०, २३४ से २३८ ... ... १८७–२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २१७, २३१ से २३३, २३९ से २४५ ... ... २०९–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८ २१२–१६

दैनिक संक्षेपिका २१७–१८

अंक ७--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८५ से २९६, २९८ से ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३०८ से ३११ ... ... २१९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २८४, २९७, ३०२, ३०३, ३१३ से ३१५, ३१७, ३१८, ८१ २४०–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या. १०८ से १६७ २५३–७६

दैनिक संक्षेपिका २७७–८०

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ से ३२२, ३२४ से ३२७, ३२९, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६ से ३३९, ३४३ से ३४७, ३४९ २८१–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ४२८, ३३१, ३३३, ३३५, ३४० से ३४२, ३४८, ३५० से ३६९ ... ३०३–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ सें १८६ ३१२–१७

दैनिक संक्षेपिका ३१८–१९

अंक ९—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३९२ ३२०–४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३७९, ३८०, ३८३, ३८५, ३९३ से ३९९ ३४२–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०७ ३४६–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५५

अंक १०—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४०३, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२८ ... ३५६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५, ४२६ ... ३७७–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ से २२९ ३७९–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८६

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ ३८७–८९

दैनिक संक्षेपिका ३९०

अंक १२—सोमवार, ५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४३७, ४३९, ४४०, ४४२ से ४४४, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५२ से ४५४, ४६१, ४६३ से ४६५, ४६७ ... ३९१–४१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ से ४३२, ४३८, ४४१, ४४५, ४४७, ४५५ से ४५९, ४६२, ४६६ और ४६८ से ४७२ ४१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २३० से २५३ ४१८–२४

दैनिक संक्षेपिका ४२५–२७

अंक १३—मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४७६ से ४८१, ४८३, ४८५, ४८८ से ४९०, ४९२ से ४९४, ४९६, ४९८, ४९९, ५०२, ५०५, ५०७ और ५०८ ४२८–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३, ४७५, ४८२, ४८४, ४८६, ४८७, ४९१, ४९५, ४९७, ५००, ५०१, ५०३, ५०४, ५०६, ५०९ से ५३० ... ... ४५०–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ से २९९ ४६०–७८

दैनिक संक्षेपिका ४७९–८१

अंक १४—बुधवार, ७ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३५, ५३६, ५३९, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४७, ५५२ से ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५२१, ५३७, ५३८... ... ४८२–५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ५३२, ५३४, ५४१, ५४५, ५४८, ५४९, ५५१, ५५५ ५०१–०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० से ३१९ ५०३–१०

दैनिक संक्षेपिका ... ५११–१२

अंक १५—गुरुवार, ८ मार्च, १९५६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पदत्याग ५१३

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ५१३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२, ५८५, ५८७, ५७० और ५८४ ५१३–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२, ५६६, ५६९, ५७४, ५७७ से ५८१, ५८३, ५८६ और ५८८ ५२९–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२० से ३२५ ५३३–३४

दैनिक संक्षेपिका ५३५–३६

अंक १६—शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९० से ५९४, ५९९ से ६०१, ६०४ से ६०६, ६०८ से ६१०, ६१३ से ६१६, ५८९, ६०२, ६०३ और ६०७ ५३७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ५९८, ६११, ६१२ और ६१७ ५५८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३४६ ५५९–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–६७

अंक १७—सोमवार, १२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८ से ६४५, ५५९, ६२१ ५६८–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२२, ६२५, ६२७, ६३१, ६३३, ६३७ ... ... ५८९–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३६२ ५९१–९७

दैनिक संक्षेपिका ५९८–९९

पृष्ठ

अंक १८—मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४९, ६५०, ६५३, ६५२, ६५५, ६५६, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ से ६६५, ६६७ से ६७४ और ६७६ से ६७९ ६००–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८, ६५१, ६५४, ६५७, ६५९, ६६२, ६६६, ६७५ और ६८० ६२१–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३७९ ६२३–२८

दैनिक संक्षेपिका ६२९–३०

अंक १९—बुधवार, १४ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८४ से ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ६९८ से ७०३, ७०७ से ७०९, ६८३, ६८८, ६८१, ६९५ ... ... ६३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९४, ६९६, ६९७, ७०४ से ७०६ और ७१० ... ... ६५२–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४०८ ... ६५५–६४

दैनिक संक्षेपिका ६६५–६६

अंक २०—गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७११ से ७१४, ७१६ से ७२०, ७२२, ७२३, ७२५ से ७२९, ७३१, ७३४, ७३२, ७१५, ७२१ और ७२४ ... ... ६६७–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ ... ६८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१८ ६८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ... ६९१

M20LSD—190—7-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय (श्री एम० अनन्तशयनम अय्यंगार)** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में पीलिया रोग

†*४१. **श्री राधा रमण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पीलिया रोग के दौरान में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा किए गए सर्वेक्षण में एकत्रित सामग्री का निष्कर्ष मिल गया है;

(ख) इस व्यापक रोग के फैलने के कारण क्या थे; और

(ग) इस रोग से मरने वाले लोगों की संख्या क्या है तथा अब तक इस रोग के कितने मामले दर्ज हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर):** (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली के मुख्यायुक्त द्वारा नियुक्त की गई एक समिति द्वारा इस मामले की जांच की गई है । समिति ने ७ फरवरी १९५६ को अपनी रिपोर्ट मुख्यायुक्त को पेश की । रिपोर्ट की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एस--३०|५६**]

(ग) १७ जनवरी १९५६ तक दर्ज किए गए मामलों तथा दिल्ली में इस रोग से मरने वालों की संख्या क्रमश: ७,२२० और ७३ थी ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार ने उन लोगों की संख्या भी दर्ज की है जो अस्पतालों द्वारा दर्ज नहीं किये गये हैं । उन की दिल्ली में कुल कितनी संख्या है अथवा क्या ये सभी मामले अस्पतालों में दर्ज किए गए हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** जो मामले अस्पतालों में नहीं आये हैं मैं उन सब के आंकड़े नहीं प्राप्त कर सकी हूं । मुझे केवल उन्हीं मृत्युओं की सूचना मिल सकी है जो अस्पतालों में हुई हैं क्योंकि संक्रामिक पीलिया एक ऐसा रोग नहीं था जिसके बारे में कि सरकार को सूचना देना अपेक्षित था ।

†**श्री राधा रमण :** क्या मैं जान सकता हूं कि जब सरकार को यह पता चल गया कि दिल्ली में पानी के दूषित होने के कारण पीलिया रोग फैल रहा है तो उसने इस त्रुटि को दूर करने के लिए नागरिकों के जीवन को स्वस्थ रखने के लिए क्या कार्यवाही की ?

†मूल अंग्रेजी में

†**राजकुमारी अमृत कौर** : पीलिया रोग को रोकने के लिये सरकार ने यह कार्यवाही की । सब से पहले उन्होंने शुरू में ही पानी अत्यधिक क्लोरीनेट कर दिया । लोगों को और अधिक बचाव के लिये यह हिदायत की गई कि वे पानी को उबाल कर पियें । लोगों को व्यक्तिगत और घरेलू सफाई रखने के लिये तथा अपने आस पास सफाई रखने के लिए विशेष रूप से सावधान रहने की हिदायतें दी गईं । लोगों को यह बताया गया कि वे खाने की ऐसी वस्तुओं का प्रयोग न करें जिन पर धूल पड़ी हों और मक्खियां बैठ रही हों और वे गंदे होटलों और उपहारगृहों में भी न जायें । पीलिया रोगियों को अस्पतालों में रख कर चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की गईं । अस्पतालों में गर्भवती स्त्रियों को इस रोग से बचाने के लिए गामा ग्लोबुलिन का प्रयोग किया गया । यह घोषणा कर दी गई कि इस बीमारी की सूचना स्वास्थ्य अधिकारियों को दी जाए । प्रायः कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धूल भरे और मक्खियों युक्त खाद्यपदार्थों को नष्ट करने के लिए धावे भी बोले ।

†**श्री राधा रमण** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार मुख्यायुक्त द्वारा दी गई रिपोर्ट पर निर्णय करने के लिए कितना समय लेगी । क्या सरकार उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी जिन की लापरवाही से यह रोग फैला है और दिल्ली के इतने लोगों की मृत्युएं हुई हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : रिपोर्ट में दी गई कुछ सिफारिशें जिन को एकदम लागू किया जा सकता है उनको कार्यान्वित किया जा रहा है । शेष पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है । क्योंकि उनमें से बहुत सी दीर्घकालीन योजनाएं हैं और उन पर तत्काल ही कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करती हूं कि आप सदस्यों को कहें कि वे यह कहने से पहले कि कोई व्यक्ति इन मृत्युओं के लिए उत्तरदायी है उस रिपोर्ट को पढ़ लेवें ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रोग को अच्छा करने के लिये क्या किसी ऐसी औषधि का पता चलाया गया है जिस से यह जल्दी अच्छा हो जाय और अमेरिका से जो दवा (औषधि) आई है उसका क्या असर (प्रभाव) हुआ है और वह कितनी मात्रा में आई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जान्डिस (पीलिया) तो सिर्फ एक सिम्टम (लक्षण) है और इस के लिए हमारे पास जो दवायें हैं वह बहुत काफी हैं । एक प्रिवेन्टिव (रोग निवारक) गामा ग्लोबुलिन हमारे सामने है जिस की और देशों में काफी चर्चा हुई है । इस दवा को हम उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिन के ऊपर इस बीमारी के हमला करने से कोई बुरा असर होता है ।

†**डा० जयसूर्य** : क्या ये सब हिदायतें, एक भाग में दिए गए उत्तर के अनुसार बिमारी का कारण जाने बिना दी गईं थी?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : भाग (क) यह था कि क्या चिकित्सा अनुसंधान समिति द्वारा एकत्रित सामग्री सरकार को प्राप्त हो चुकी है । वह अब तक नहीं मिली है । किन्तु फिर भी यह माना जा सकता है कि पानी के दूषित होने की वजह से ही यह रोग व्याप्त हुआ है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस पीलिया रोग के लिये किसी आयुर्वेद की दवा का उपयोग हुआ है और क्या यह सिद्ध हुआ है कि आयुर्वेद की दवा इस के लिये बहुत ज्यादा मुफीद (उपयोगी) होती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह तो मैं नहीं कहूंगी कि ज्यादा मुफीद (उपयोगी) होती है लेकिन वैद्यक की दवायें जान्डिस (पीलिया) के लिए काफी अच्छी हैं । लेकिन यह मामूली जान्डिस नहीं थी, यह इन्फेक्टिव (संक्रामक) जान्डिस थी । इस जान्डिस और मामूली जान्डिस में कुछ फर्क (अन्तर) भी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रामा राव :** यह देखते हुए कि दिल्ली में पानी के अचानक एक बार दूषित हो जाने से इतना नुकसान हुआ है तथा लाखों लोग अब भी जमुना का छना अनछना जल पी रहे हैं सरकार और कितनी देर तक जमुना के पानी को दिल्ली के सड़े पानी से गंदा होने देगी ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** यह एक बड़ी गंभीर समस्या है और इस पर एकदम विचार होना चाहिये । मैं ऐसा करने के लिये तैयार हूं ।

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री ने कहा है उनके पास कोई आंकड़े नहीं हैं । क्या निजी डाक्टरों को भी पीलिया रोग के मामलों की रिपोर्ट देने के लिये हिदायतें दी गई थीं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** मुझे इस बात का निश्चित ज्ञान नहीं है कि क्या दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने निजी डाक्टरों को ऐसी सूचना देने की हिदायत दी थी या नहीं । मैं इस सभा के सदस्यों को बताना चाहती हूं कि पीलिया एक तरह का लक्षण है और पीलिया का प्रत्येक मामला इस संक्रामक पीलिया रोग का मामला नहीं हो सकता है ।

†**सरदार हुक्म सिंह :** क्या मैं यह जान सकता हूं कि मुख्य आयुक्त द्वारा कराई गई इस जांच के अलावा क्या केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार ने दिल्ली के बाहर हुए पीलिया के मामलों के सम्बन्ध में ऐसी कोई जांच की है कि क्या वह दिली से जाने वाले संक्रामण के कारण हुए थे अथवा उनके कुछ अपने कारण थे ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** हमने आस-पास के राज्यों से पूछा कि क्या उनके क्षेत्रों में पीलिया रोग फैला है? समयानुसार हमने यह पता लगाने की भी कोशिश की कि इस रोग की छूत कहीं यहां से तो नहीं गई है । कुछ मामलों में यह दिल्ली से फैला था । मैं कह सकती हूं कि संक्रामिक पीलिया देश भर में पिछले दो वर्षों से प्रगट हो रहा है । और इसी कारण से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को इस विषाणु विशेष के सम्बन्ध में विशेष अनुसंधान करने के लिये कहा गया ।

†**श्री बंसीलाल :** क्या सरकार को यह पता है कि जयपुर, राजस्थान में भी संक्रामिक पीलिया रोग फैला है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** स्वास्थ्य के विषय में राज्य स्वायत्तशासी हैं । स्वभावतः राजस्थान सरकार जैसा आवश्यक समझती है वैसी कार्यवाही करेगी ही ।

कई माननीय सदस्य एक साथ उठे—

†**उपाध्यक्ष महोदय :** बहुत सारे माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं । हम पहले ही इस विषय पर १० मिनट से अधिक समय व्यतीत कर चुके हैं ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** यह बहुत आवश्यक विषय है.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं यह बात मानता हूं किन्तु माननीय सदस्यों को अपने सुझाव देने से पहले मेरी बात सुननी चाहिये । क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न में आधा घंटा लगा दूं ? माननीय सदस्यों को पहले यह प्रतिवेदन पढ़ना चाहिये । फिर यदि वे किसी चर्चा के लिये कोई समय रखवाना चाहेंगे तो मैं अवश्य ही ऐसा करने के लिये तैयार हूं । और इस दौरान में प्रतिवेदन के पढ़ने पर यदि सदस्यों को कोई संदेह हो तो वे मुझे पत्र भेज सकते हैं मैं उन पत्रों को माननीय मंत्री के पास भेज दूंगा । फिर भी यदि उनकी संतुष्टि नहीं होगी तो वे मुझे यह सुझाव दे सकते हैं कि इसके लिये एक विशेष

†मूल अंग्रेजी में

समय नियत किया जाय । मैं ऐसे सुझाव को स्वीकार करूंगा । यह एक बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है । मुझे विश्वास है कि सरकार और सदस्य दोनों ही इसका निपटारा करने के इच्छुक हैं ।

†**श्री बंसल :** आपके अगले प्रश्न लेने से पहले क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि इस प्रतिवेदन की प्रतियां सभी सदस्यों में परिचालित की जांय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या यह बहुत बड़ी रिपोर्ट है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** यह रिपोर्ट १०० पृष्ठ के लगभग है । मुझे यह कुछ दिन पहले ही मिली है । मैं इसकी प्रतिलिपियां तैयार कराके·····

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह उन सिफारिशों की प्रतियां सदस्यों को भेज दें ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं, नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** और जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है इसकी कुछ प्रतियां यहां रखी जायेंगी ।

†**राजकुमारी अमृत कौर :** मैं जितनी प्रतियां संभव हो सकेंगी यहां रख दूंगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य उनको देख सकते हैं ।

दिल्ली उपनगर रेलवे सेवा

†*४२. **श्री बन्सल :** क्या **रेलवे** मंत्री १६ दिसम्बर १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या-५८३ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली के इर्द गिर्द एक सरक्युलर रेलवे बनाने की योजना अन्तिम रूप से तैयार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसे लागू करने के लिये पहला कदम क्या होगा; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् । अभी इस प्रस्ताव की जांच हो रही है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

हथुआ से कटिया थाना तक रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे)

†*४३. **श्री झूलन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विधान सभा द्वारा पिछले वर्ष सर्वसम्मति से पास किया गया वह संकल्प, जिस में पूर्वोत्तर रेलवे पर हथुआ या थावा स्टेशन को सारन जिले के भौर और कटिया थाना के क्षेत्रों से मिलाने की सिफारिश की गई थी, रेलवे मंत्रालय को प्राप्त हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) बिहार सरकार से अक्तूबर १९५५ में थावा से कटिया होकर भाटनी तक रेलवे लाईन बढ़ाने का एक और गैर-सरकारी संकल्प प्राप्त हुआ था ।

(ख) यह उन लाईनों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जिन पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री झूलन सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि उस योजना के बारे में अब क्या स्थिति है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह लाईन भी उन अनेकों लाईनों में सम्मिलित कर ली गई है जिन पर आगामी योजना में विचार किया जायगा । इसके आगे और कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार सरकार ने कितनी लाईनें बनाने की सिफारिश की है और केंद्रीय सरकार ने उनमें से कितनी स्वीकृत की हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक सामान्य प्रश्न है । क्या यह इस छोटे से प्रश्न से उत्पन्न होता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कुल मिलाकर बिहार में ८५० मील के लगभग लाईनें बनाने को प्राथमिकता मिली है, मेरे पास उनका विस्तृत विवरण नहीं है·····

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : हमें बहुत सी लाइनें बनाने के लिये राज्य सरकार की सिफारिशें मिल चुकी हैं । किन्तु हमने अभी तक उन पर कोई विनिश्चय नहीं किया है ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या निकट भविष्य में दिल्ली के इर्द गिर्द उपनगरों के लिये बिजली की गाड़ी चलाने की कोई सम्भावना है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या दिल्ली हरद्वार या बिहार का कोई भाग है ?

वेल्लोर-कांजीवरम् रेलवे लाइन

†*४४. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा वेल्लोर और कांजीवरम् के बीच ४४ मील लम्बी छोटी रेलवे लाइन के लिए किया गया यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने उसका परीक्षण कर लिया है; और

(ग) क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री टी० बी० विट्ठलराव** : यह सर्वेक्षण वास्तव में कब शुरू किया गया था और इतना विलम्ब क्यों हुआ जब कि यह सर्वेक्षण केवल ४४ मील का है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सभी इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों में काफी समय लगता है । इस लाइन के लिए कर्मचारियों की भरती की जा रही है और सर्वेक्षण करने का उपकरण इकट्ठा किया जा रहा है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठलराव** : यह संभवतः कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह पूछते हैं कि जल्दी से जल्दी कब तक यह प्राप्त हो जायेगा ।

†**श्री शाहनवाज खां** : शीघ्रातिशीघ्र ।

†**श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या इस उत्तर का मतलब मैं यह समझ लूं कि वास्तव में सर्वेक्षण अभी शुरू नहीं हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री शाहनवाज खां :** जैसा कि मैंने बताया कर्मचारियों की भरती की जा रही है और सर्वेक्षण पूरा करने का उपकरण इकट्ठा किया जा रहा है ।

पिथौरागढ़ डाकघर भवन

†*४५. **श्री बी० डी० पांडे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अल्मोड़ा ज़िले में पिथौरागढ़ में एक नया डाकघर भवन बनाया जाने वाला है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर):** उत्तर स्वीकारात्मक है ।

क्षयरोग की रोकथाम

†*४६. **श्री गिडवानी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्षयरोग की रोक-थाम के लिए सरकार राज्यों को किस प्रकार की सहायता देती है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):** राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी जाती है, इस सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २]**

†**श्री गिडवानी :** विवरण की मद (४) में कहा गया है ;

"योग्य स्वैच्छिक क्षयरोग अस्पतालों तथा संस्थाओं को उपकरण खरीदने तथा उनके कार्यों के विस्तार के लिए अनावर्तक अनुदानों का भुगतान"

क्या मैं जान सकता हूं कि किन-किन राज्यों को कितनी राशि दी गयी है और किन संस्थाओं और अस्पतालों को ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** प्रथम पंचवर्षीय योजना में संस्थाओं की सहायता के लिए ३९ लाख रुपये निश्चित कर दिये गये हैं । यदि आप उसका अलग अलग विवरण मांगना चाहते हैं तो मैं नहीं दे सकती हूं । लगभग १५ संस्थाओं को सहायता दी जा चुकी है । यह एक बड़ी सूची है । यदि आप चाहते हैं तो मैं सूची पढ़ सकती हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उसे सभा पटल पर रखा जाय ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट्स को जो मदद दी जाती है, उसके अलावा क्या केंद्रीय सरकार की ओर से कोई सैनिटोरिया (आरोग्यशालायें) आदि बनाने की भी कोई योजना है, यदि हां तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने बेड्स प्रोवाईड (व्यक्तियों की जगहों की व्यवस्था) किए जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : जो मदद केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को देती है वह बिल्डिंग्ज यानी इमारतें बनाने के लिए नहीं होती है और यह काम स्टेट्स पर ही निर्भर करता है ।

†**श्री गिडवानी :** विवरण के भाग (५) में कहा गया है :

"कुछ राज्य सरकारों तथा संस्थाओं को पाकिस्तान से आये निर्धन विस्थापित क्षयरोग के मरीजों के उपचार के लिए अनुदानों का भुगतान"

क्या मैं जान सकता हूं कि किन राज्यों को अनुदान दिये गये हैं और क्षयरोग के मरीजों के लिए कितना दिया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** पंजाब, पेप्सू, उत्तर प्रदेश, बंबई, राजस्थान, सौराष्ट्र, अजमेर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल और कच्छ १३ राज्य है जिन्हें सहायता दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी** : बंबई तथा अन्य राज्यों को क्या राशि दी गई ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह बात प्रश्न में ही क्यों नहीं पूछी ?

†**श्री गिडवानी** : मैंने पूछी थी ।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** क्या यह विवरण का एक भाग है । क्या आवण्टित राशियों के सम्बन्ध में यह सूचना विवरण का एक भाग है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : वह सम्मिलित नहीं है । विस्तृत जानकारी नहीं मांगी गयी है और वह उसमें नहीं दी गयी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्षयरोग के नियंत्रण के लिए सरकार राज्यों को किस प्रकार की सहायता देती है "

†**श्री गिडवानी** : आप के कार्यालय ने मेरे प्रश्न का संशोधन कर दिया था । यदि आप चाहें, तो मैं अपना मूल प्रश्न पढ़ कर सुना सकता हूं ।

"क्या यह सच है कि सरकार ने क्षयरोग के नियंत्रण के लिए राज्यों को काफी राजकीय अनुदान दिया है ? किन शर्तों पर राजकीय सहायता दी गयी थी ? १९५२ में राज्यों को दी गयी राजकीय सहायता की राशि क्या थी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उसे छोड़ दिया गया है ।

†**श्री गिडवानीः** उसे छोड़ दिया गया है और संशोधित कर दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** बहुत अच्छा ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच नहीं है कि सामूहिक रूप से बी० सी० जी० के टीके लगाने से जिसका उल्लेख विवरण में किया गया है, क्षयरोग से मुक्ति पाना संदेहात्मक है और कुछ मामलों में इसका प्रभाव हानिकर रहा है, और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि सामूहिक रूप से यह टीके लगाने के बजाय सावधानी से कुछ चुने हुए लोगों को टीके लगाने की प्रथा चलाई जाय ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बी० सी० जी० का टीका लगाने से किसी व्यक्ति पर हानिकर प्रभाव हुआ हो । बी० सी० जी० के बारे में संसार में कहीं भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है और न हमारा ही ऐसा अनुभव है । अत : सामूहिक रूप से बी० सी० जी० का टीका लगाने का कार्य जारी रहेगा । मैं प्रश्न कर्त्ता को बता सकती हूं कि केवल उन्हीं लोगों को, जिन का परीक्षण किया जाता है और जो टीका लगाने के योग्य समझे जाते हैं, टीका लगाया जाता है ।

†**श्री के० के० बसु** : क्या उन मरीजों के लिए जिन को आरोग्यशाला या अन्य अस्पतालों में प्रवेश नहीं मिल पाता है क्षयरोग के उपचार के लिए सस्ते दामों पर औषधियों के मिलने का प्रबंध किया जाता है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : ऐसे रुजालयों में जिन में लोगों को ठहराकर उपचार किया जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है और आरोग्यशालाओं में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है ।

†**श्री टेक चन्द** : जनता को इस बात की शिक्षा देने के लिए कि वह अवरोधक उपायों को काम में लाये, क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न दी गयी सहायता के स्वरूप के सम्बन्ध में है ।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : स्वास्थ्य शिक्षा में यह भी सम्मिलित है पर मैं बताना चाहती हूं कि कुछ एसी बातें हैं जो केवल शिक्षा के द्वारा ही जनता को नहीं बताई जा सकतीं । क्षयरोग के फैलने में कुपोषण अपर्याप्त पोषण भीड़भाड़ आदि मुख्य कारण हैं ।

†**डा० रामा राव** : क्या सरकार को किसी राज्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या यह बात सरकार के विचाराधीन है कि कम से कम विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक विशेष वार्ड बनाया जाये ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : विश्व विद्यालय सेवा ने छात्रों के लिए कुछ वार्ड बनवा दिये हैं और हमने भी राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वह असैनिक अस्पतालों में छात्रों के अन्य मरीजों से अलग रखने के लिये वार्ड बनवाये और विश्वविद्यालयों को भी परामर्श दिया है कि वह छात्रों की ओर विशेष ध्यान दें ।

†**श्री केलप्पन** : क्या सरकार ऐसी आरोग्यशालाओं का संधारण भार संभालेगी जिनके लिए कि जनता ने भवन और सामान का प्रबंध किया हो ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : आरोग्यशालाओं का संधारण राज्यों का कर्त्तव्य है केंद्रीय सरकार का नहीं ।

रेलवे स्टेशनों पर हिन्दी साइनबोर्ड

†*४८. **डा० रामा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में स्टेशनों के अहातों में हिन्दी साइन बोर्डों का प्रयोग करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में जहां अधिकांश जनता हिन्दी भाषा नहीं समझती, अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में साइन बोर्ड लगवाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने इस मामले में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की राज्य सरकारों से परामर्श किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). रेलवे विभागों को आदेश दे दिया गया है कि वह स्टेशन के नामों के बोर्ड देवनागरी लिपि में हिदी में, अंग्रेजी में और, यदि उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा जिसमें वह स्टेशन स्थित है, हिन्दी न हो प्रादेशिक भाषा में लगायें । स्टेशन के नामों के बोर्डों के अतिरिक्त जहां तक साइन बोर्डों तथा सूचनाओं का सम्बन्ध है, अलग-अलग रेलवे अपनी-अपनी प्रथा का पालन कर रही हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

†**डा० रामा राव** : क्या कारण है कि उक्त अनुदेशों के बावजूद भी अधिकांश स्टेशनों पर स्टेशन नाम बोर्डों को छोड़कर अन्य साइनबोर्ड वहां की स्थानीय भाषाओं में नहीं हैं ?

†**श्री अलगेशन** : शायद माननीय सदस्य स्टेशन नाम बोर्डों के अलावा अन्य नाम बोर्डों के सम्बन्ध में कह रहे हैं । अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में वह अधिकांश अंग्रेजी में हैं; वह स्थानीय भाषा में नहीं लिखे जा रहे हैं ।

†**डा० रामा राव** : मेरा प्रश्न यह था कि वह स्थानीय भाषाओं में क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : हम इस बात पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सेठ गोविन्द दास :** क्या सरकार इस बात की तुरन्त व्यवस्था करेगी कि जिन-जिन स्थानों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहां हिन्दी के साथ ही वहां की भाषाओं के साइन-बोर्ड भी लगा दिये जायें ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस का तो पहले से ही इन्तजाम है। हर जगह स्टेशनों के बारे में हमारा आदेश यह है कि पहले रिजनल भाषा (प्रादेशिक भाषा) में नाम दिया जाय, फिर हिन्दी में और उसके बाद अंग्रेजी में ।

दूर-संचार

†*४९. **श्री इब्राहीम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूर-संचार के क्षेत्र में विदेशों में प्राप्त आधुनिकतम प्रगति के साथ बराबर चलाने के लिये अब तक कितने पदाधिकारी विदेशों में प्रशिक्षित किये गये हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** ५८ ।

†**श्री इब्राहीम :** क्या मैं जान सकता हूं कि किन-किन देशों का भारत के साथ दूर-संचार सम्बन्ध है?

†**श्री राज बहादुर :** वह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है । यह प्रश्न दूर संचार असैनिक उड्डयन और अन्य विषयों में प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये पदाधिकारियों के सम्बन्ध में है ।

†**श्री तेलकीकर :** क्या मैं प्रशिक्षित पदाधिकारियों की राज्य-वार संख्या जान सकता हूं ।

†**श्री राज बहादुर :** पदाधिकारी केन्द्रीय सरकार में हैं और वे सभी राज्यों से लिये जाते हैं । अतः उनका मूल राज्य बताना मेरे लिये संभव नहीं है ।

अनाज के मूल्य

†*५०. **श्री एस० सी० सिंघल :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों और अन्य कृषि-पदार्थों के मूल्यों में अभी हाल की वृद्धि के क्या करण हैं;

(ख) इन मूल्यों को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के पास अनाज का कितना संग्रह है ; और

(घ) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने विदेशों से अनाज खरीदना शुरू कर दिया है और भारतीय पत्तनों पर उनका क्या मूल्य होगा ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :** (क) अनाज, कपास और तेलहन के मूल्यों में अभी हाल की वृद्धि का एक कारण यह है कि अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण इस वर्ष खरीफ़ की फ़सलों में उत्पादन कुछ कम हुआ है और दूसरा कारण यह है कि विशेषकर गेहूं के व्यापार के सम्बन्ध में सट्टा हुआ है ।

(ख) ज्वार, मक्का, दालें, चना, चावल और गेहूं की बनी चीजों के निर्यात पर रोक लगा दी गयी है । बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली और बिहार में केन्द्रित रक्षित डिपो से गेहूं अब दिया जा रहा है । पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में गेहूं देने की अनुमति भी दी गयी है ।

(ग) जनवरी, १९५६ के अन्त तक सरकार के पास अनाज ७.६ लाख टन था ।

(घ) अभी केवल गेहूं ही विदेशों से खरीदा जा रहा है । अभी हाल में की गयी खरीदों का भारतीय पत्तनों पर लागत-भाड़ा सहित मूल्य थोक में १२ रुपये प्रति मन से १४ रुपये ८ आने प्रति मन तक है (ये मूल्य जहाज से न उतारे गये माल के हैं)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या १९५६-५७ में आयात किये जाने वाले गेहूं का कोटा अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं संगठन के विनिश्चय के बाद निर्धारित किया जायगा अथवा खाद्य और कृषि मंत्रालय ने पहले ही कोई निश्चय कर लिया है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार केवल इस वर्ष के अगस्त तक समाप्त हो जायगा। अतः वर्तमान खरीद पुराने करार के अन्तर्गत हो रही है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैंने १९५६-५७ के लिये पूछा था।

†**श्री श्रीनारायण दास :** देश के महत्वपूर्ण केन्द्रों में विभिन्न अनाजों के मूल्यों में किस हद तक वृद्धि हुई है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** वह असाधारण वृद्धि बिल्कुल नहीं है। वह प्रायः अन्य मूल्यों की देखा देखी में हुई। तेलहन के भाव २५ से ३० प्रतिशत तक बढ़ गये। कपास के भाव लगभग २५ प्रतिशत तक बढ़ गये। उन भावों की देखा-देखी में गेहूं का भाव लगभग १ रुपये से लेकर २ रुपये प्रतिमन तक बढ़ गया। मोगा (पंजाब) में गेहूं का भाव दिसम्बर में एक रुपया बढ़ गया ; पहले वह १२ रुपये ८ आने था, और अब १३ रुपये ८ आने तक बढ़ गया। हापुड़ में भाव १२ से १३ रुपये तक था। दिसम्बर और जनवरी में वह एक रुपये से डेढ़ रुपये तक बढ़ गया। किन्तु ज्यों ही हमने अपने भंडार खोल दिये, भाव फिर गिर गये हैं।

†**श्री वेलायुधन :** १९५४-५५ में भारत से कितना चावल निर्यात किया गया, और क्या यह निर्यात सारे देश में खाद्यान्नों के भाव बढ़ जाने का कारण नहीं हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** कदापि नहीं। हमने गत वर्ष लगभग १,९६,००० टन चावल निर्यात किया है। चावल के निर्यात की अनुमति यहां चावल के भावों में स्थायित्व लाने के लिये दी गई। जब भाव इतने अधिक गिर गये कि वे आर्थिक स्तर पर नहीं रहे तब हमें निर्यात के लिये अनुमति देनी पड़ी। चावल के भाव में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई है। इन निर्यातों के लिये अनुमति देकर हमने चावल के भावों के नीचे गिरने की प्रवृत्ति को रोका है। देश में चावल के भावों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

†**पंडित एस० सी० मिश्र :** क्या सरकार केवल कृषि-मूल्यों को नीचे लाने के उद्देश्य से बाहर से गेहूं खरीद कर भारत में ला रही है या उसे भारतीय उत्पादन में कुछ कमी की आशंका है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** यह कृषि-उत्पादों के मूल्य नीचे लाने का प्रश्न नहीं। उसका कारण यह था कि बाढ़ के कारण खरीफ की फसलों में कुछ कमी हुई थी। इसीलिये गेहूं का आयात करना पड़ा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में खबर निकली थी कि भारत आगामी अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन में गेहूं के मूल्यों में कमी की मांग करेगा। क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार अब कितना गेहूं खरीदने जा रही है और कितना भविष्य के लिये रक्षति रूप में रखने जा रही है जिससे कि भारत का दृष्टिकोण स्वीकार किये जाने की दशा में मूल्यों में कमी से लाभ उठाया जा सके ?

†**श्री ए० पी० जैन :** ये विषय अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अन्तर्गत आते हैं और वह वार्त्ता का विषय होगा। यह बताना संभव नहीं है कि वार्ता किस प्रकार आगे बढ़ेगी। जहां तक १९५६-५७ में खरीद किये जाने वाले परिमाण का सम्बन्ध है, वह अधिकतर पुराने करार के अधीन ही किया जायगा जैसे कि मेरे सहयोगी ने अभी बताया है, और नये गेहूं करार से उसका कोई सम्बन्ध हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या मैं जान सकता हूं कि व्यापारी लोग अन्न भंडारों से अन्न बेचे-जाने की तिथियां पहले ही कैसे जान जाते हैं ? मैं समझता हूं माननीय मंत्री गड़बड़ा रहे हैं। मैं इसे और स्पष्ट करूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह आवश्यक नहीं है। मंत्री प्रश्न समझ गये हैं। प्रश्न बहुत सीधा और स्पष्ट है। क्या सचिवालय से कोई भेद खुल गया है ? माननीय सदस्य यही बात जानना चाहते हैं।

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : साधारणतया ऐसे मामलों में जहां बाजार पर प्रभाव पड़ेगा, कोई भेद नहीं खोला जाता है। कुछ मामलों में हम घोषणा करते हैं कि अमुक अमुक तारीख से गेहूं के भंडार बिक्री के लिये खोल दिये जायेंगे। यदि ऐसे मामलों में खबर फैल जाती है, तो वह हमारे लिये और भी अच्छा है क्योंकि उस दशा में भाव तुरन्त गिर जायेंगे। हमारी इस घोषणा से कि हम अमुक तारीख से अपने भंडार बिक्री के लिये खोल देंगे, बाजार पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिये हमें इस पर चिन्ता न करनी चाहिये।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या मंत्री महोदय लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि कितने मामलों में घोषणा की गयी और कितने मामलों में भेद खुला ?

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को स्वयं इसकी जानकारी अच्छी तरह से है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : गोदाम स्थापित करने के विषय में क्या प्रगति की गयी है, जिससे भावों के उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखा जा सके ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : भावों के उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से सरकार ने देश में रक्षितसंग्रह या आपात के लिये भंडार रखने का निश्चय किया है । जैसा कि पहले मैंने बताया है, हमारे पास अभी लगभग ७।। लाख टन अनाज है। गोदाम बनाने का कार्यक्रम भी है। इस प्रयोजन के लिये एक विधेयक अर्थात् गोदाम में माल रखने सम्बन्धी विधेयक शीघ्र ही सभा के समक्ष रखा जायेगा। उसके अनुसार सरकार कई गोदाम बनायेगी और इस प्रकार असामान्य उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखेगी ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार वह विधेयक कब प्रस्तुत करेगी ?

†**श्री हेडा** : माननीय उपमंत्री ने बताया कि सरकारी भंडार बिक्री के लिये खोल दिये जाने के बाद गेहूं का भाव अपने पहले के स्तर तक अर्थात् १२ रुपये ८ आने, तक आ गया। क्या मैं जान सकता हूं कि कहीं भी आज यह भाव है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : दिल्ली में भाव १४ रुपये ८ आने है और यह इस कारण है कि सरकार आज १४ रुपये पर बेच रही है। हापुड़ में भाव १४ रुपये २ आने से १४ रुपये ४ आने है। मोगा में वह १३ रुपये है। मैंने यह नहीं कहा कि भाव १२ रुपये ८ आने तक गिर गये हैं। भाव १२ रुपये ८ आने से १३ रुपये ८ आने चढ़ गया था: और वह मोगा में १३ रुपये ४ आने तक आ गया है।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ राज्यों से प्राप्त सेला चावल कब से बेच दिया गया है, और यदि हां, तो किस मूल्य पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मैं प्रश्न नहीं समझ पाया ?

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ राज्यों से लिया गया सेला चावल बेच दिया गया है और यदि हाँ, तो किस मूल्य पर ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : इसमें से कुछ तो बेच दिया गया है और कुछ, जैसे कि ट्रावनकोर-कोचीन का चावल, जिसका कि मेरे माननीय मित्र निर्देश कर रहे हैं, बेचा जा रहा है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : यदि किसी विशिष्ट राज्य में मूल्य बढ़ गया था तो उस संग्रह को बेचने में सरकार के मार्ग में क्या रुकावट थी?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मूल्य को बढ़ने देने का कोई प्रश्न नहीं है । जब भी मूल्य में वृद्धि होती है, हम अविलम्ब ही संग्रह में से निकालते हैं । इस वर्ष, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक कारणों के बावजूद भी, चावल के उत्पादन में साढ़े सात प्रतिशत वृद्धि हुई है । अतएव चावल के मूल्य में वृद्धि होने से परेशानी का कोई कारण नहीं है । हम मूल्यों को अनुचित सीमा तक नहीं बढ़ने देते ।

†**डा० लंकासुन्दरम** : अभी-अभी दिए गए इस वक्तव्य की दृष्टि में कि सरकार के पास ७,५०,००० टन का संग्रह है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिये खाद्यान्नों की समस्त मात्रा की खरीद व आयात उस समय तक के लिए स्थगित कर देगी जब तक कि आगामी समझौते पर बातचीत हो, जिससे कि मूल्य की कमी का भी लाभ उठाया जा सके ?

†**श्री ए० पी० जैन** : प्रस्ताव यह है कि हमारे पास गेहूं का ७,५०,००० टन का संग्रह हो और चावल का भी ७,५०,००० लाख टन का । दोनों के बारे में यह १० लाख टन तक भी हो सकता है । उक्त संग्रह के पूरा हो जाने तक हमारा विचार अग्रेतर खरीद की बातचीत करने का है । समस्त संग्रह के पूरा होने में कुछ समय अवश्य लगेगा ।

श्री बी० डी० पांडे : सरकार की तरफ से बार-बार ये ढोल पीटे गये हैं और खुशी के नक्कारे बजाये गये हैं कि हम अन्न के विषय में आत्म-पोशी हो गये हैं । फिर यह अन्न की कमी क्यों होती है और बाहर से अन्न मंगाने की आवश्यकता क्यों होती है ? यह बात हम को अच्छी तरह से समझायी जानी चाहिए, और यह जो इतना रुपया अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन पर खर्च हो रहा है इसका फ़ायदा देश को नहीं हो रहा है, इसके क्या मानी हैं ?

श्री ए० पी० जैन : आपको यह मामला अच्छी तरह समझाया जायेगा, आप घबरायें नहीं । पहली बात तो यह है कि जो अन्न मंगाया जा रहा है वह स्टाक्स को बनाने को लिए मंगाया जा रहा है, और यह हमेशा कहा गया कि स्टाक्स को बनाने के लिए अन्न बाहर से मंगाया जायेगा ।

दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें ८० फ़ीसदी खेती वारिश पर निर्भर करती है और सिर्फ २० फ़ीसदी खेती सिंचाई से होती है । जहां तक उस ८० फ़ीसदी खेती का ताल्लुक है जो कि बारिश पर निर्भर करती है, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, न कोई ऐसा अक्लमन्द आदमी है जो हमेशा इस बात की जिम्मेदारी ले सके कि, बारिश हमेशा साथ देगी । इसके अलावा हिन्दुस्तान में बहियां भी आती हैं, सूखा भी पड़ता है, साइक्लोन भी आते हैं । ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से खेती में कमी पड़ सकती है और उस वक्त बाहर से अन्न मंगाना होगा । जो बातें सरकार की तरफ से कही गयी हैं वे नार्मल कंडीशन्स (सामान्य परिस्थितियों) के लिए कही गयी हैं, और जब एबनार्मल कंडीशन्स (असामान्य परिस्थितियां) होंगी तो वे सब बातें पलट सकती हैं !

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सुषमा सेन :** क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई सावधानी बरत रही है कि अकाल-ग्रस्त इलाकों, जैसे भागलपुर, में मूल्यों में वृद्धि न हो ?

†**श्री ए० पी० जैन :** जिन क्षेत्रों में कि मूल्यों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति दिखाई दे वहां हमने स्टाक में से विक्री करने का निर्णय किया है, और ऐसा करते रहे हैं, जिससे कि मूल्य उचित सीमा के अन्दर ही रहें ।

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

†*५१. **श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ और ७ जनवरी को समस्त भारत में बैंक-कर्मचारियों ने हड़ताल की थी;

(ख) कर्मचारियों की क्या शिकायतें हैं; और

(ख) सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) जी हां, देश के अनेक भागों में हड़ताल हुई थी ।

(ख) बैंक पंचात के अनुसार बैंकों द्वारा कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों के वेतनों में जो कमी हुई थी, उसी के विरुद्ध यह हडतालें की गई थीं ।

(ग) सरकार यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि बैंक-कर्मचारियों की कार्यवाही–– विभिन्न अवधि की 'कलम-रखदो' हड़ताल, ६ और ७ जनवरी को पूरे दिन की हड़ताल, बैंकों के अहाते में शोर-गुल मचा कर प्रदर्शन करना, मैनेजर को घेर लेना इत्यादि––बैंक पंचात द्वारा निर्णीत मामलों के सम्बन्ध में अनुचित तथा गलत हैं और इससे सरकार के लिए मध्यस्तता करना असम्भव बन जाता है ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा :** इस बात की दृष्टि में कि गृहमंत्री ने पूर्व-चेतावनी दे दी थी कि बैंक हड़ताल अवैधानिक होगी, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार तथा बैंक कर्मचारी सस्था के मध्य अब भी बातचीत चल रही है ?

†**श्री आबिद अली :** जी, नहीं ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या मैं जान सकता हूं कि बैंक-कर्मचारियों तथा पच्छिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के बीच कोई चर्चा हुई थी ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई):** कोई भी बातचीत नहीं चल रही है ! पच्छिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा बातचीत किए जाने का कोई प्रश्न नहीं था, किन्तु बैंक कर्मचारी मुख्य मंत्री के पास इस उद्देश्य से गए कि कुछ समय तक चैकों के भुगतान की व्यवस्था हो जाय । वहां बैंक-कर्मचारियों ने अपनी गलती देख ली है तथा चैकों का भुगतान करने के लिए तैयार हो गए हैं, यह काम अब कर दिया गया है ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या यह सच है कि जब उपमंत्री जी त्रिवेंद्रम में थे तब उन्होंने कहा था कि यह केवल एक राजनीतिक हड़ताल है और बैंक-कर्मचारियों की कोई वास्तविक शिकायतें नहीं हैं । किन्तु तत्पश्चात शीघ्र ही सरकार ने यह मान लिया कि कर्मचारियों की कुछ शिकायतें थीं ?

†**श्री खंडूभाई देसाई :** यह सरकार के कहने की बात नहीं है कि यह राजनीतिक हड़ताल थी अथवा नहीं थी । यह उनके विचारने की बात है जिन्होंने कि हड़ताल प्रतिपादित की थी । जहां तक प्रश्न के दूसरे पहलू का सवाल है, संसद् द्वारा पहले ही कानून पास किया जा चुका है । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, यह अन्तिम चीज़ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूं कि बैंक कर्मचारियों के झगड़े के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सब से नया क्या कदम उठाया गया है ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : कोई कदम आवश्यक नहीं हैं ।

श्री वेलायुधन : मैं इसे समझ न सका ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न पर प्रश्न पूछते चले जाते हैं और मंत्रीजी के उत्तर सुनने की प्रतीक्षा नहीं करते, उन्होंने कहा कि कोई कदम आवश्यक नहीं हैं !

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी ने ६ और ७ जनवरी की हड़ताल को किन धाराओं के अन्तर्गत अवैध घोषित किया है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस बात की दृष्टि में कि कुछ बैंक वाले बैंक कर्मचारियों का वेतन घटाना चाहते थे, अखिल-भारतीय बैंक कर्मचारी संस्था द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि इस झगड़े के निबटारे के लिए एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाए ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, औद्योगिक विवाद अधिनियम की उपयुक्त धारा के अन्तर्गत यह हड़ताल अवैध समझी गयी थी, जहां तक कि त्रिदलीय सम्मेलन का सम्बन्ध है, ऐसा कोई सम्मेलन बुलाने का विचार नहीं है और न इसकी कोई आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, हमने जो अधिनियम पास किया है उसके अनुसार यदि कुछ कर्मचारियों के वेतन में कमी हो गयी है तो इस समस्या के हल का तरीका बिल्कुल दूसरा था न कि 'कलम रखदो' हड़ताल, प्रदर्शन तथा बैंकों के आगे किया गया भद्दा शोर-शरापा। यह ऐसा मामला है जिसे कि बैंक कर्मचारी अपने बैंकों के साथ बातचीत द्वारा निर्णीत कर सकते थे ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या अनेक बैंकों ने ६ और ७ जनवरी की हड़ताल के सम्बन्ध में अपने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की है ? यदि हां, तो श्रम-मंत्रालय का इस ओर क्या दृष्टिकोण है ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : सरकार ने यह खबरें समाचार पत्रों में पढ़ी थीं ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या मैं इसका स्पष्ट अर्थ यह समझूं कि हमने जो कानून पास किया है, उसके अलावा भी बैंक कर्मचारियों को इस बात की आज़ादी है कि द्वि-दलीय आधार पर वे कोई समझोता कर सकते हैं ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : सरकार को कुछ बैंक-कर्मचारियों से इस आशय के प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे कि वे दिए गए नेतृत्व से तंग आ चुके हैं, और हम ने उन लोगों से कह दिया कि इस मामले पर वे सम्बंधित बैंकों से विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

†**श्री के० के० बसु** : क्या मैं जान सकता हूं कि हड़ताल पर समझौते के बाद जब बैंक कर्मचारी इकट्ठे हुये काम को खतम करने के लिए अधिक समय तक काम करना चाहते थे तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी--विशेषकर बंगाल में ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार का कोई समझौता हुआ था। जो भी अनुशासनिक कार्यवाही की गयी अथवा की जानी है, यह सब मामला पूर्णतया बैंक तथा बैंक कर्मचारियों के बीच का है ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप का प्रश्न क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री बी० डी० पांडे :** क्या सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाने वाला है ?

†**श्री खंडूभाई देसाई :** मैं नहीं समझता कि इस अनुपूरक प्रश्न का मेरे द्वारा दिये गये उत्तर से क्या सम्बन्ध है ।

†**श्री बी० डी० पांडे :** चूंकि बीमा व्यवसाय कुव्यवस्थित था, सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया; और ये बैंक भी कुव्यवस्थित हैं तब सरकार उन्हें ले क्यों नहीं लेती ?

†**श्री खंडूभाई देसाई :** इस बात के सम्बन्ध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है कि बैंक कुव्यवस्थित हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** बैंकों तथा उनके कर्मचारियों के मध्य के विवाद के समस्त इतिहास में, क्या श्रम मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों की आधारभूत आवश्यकता, अर्थात् मकान देने आदि, पर कोई विचार किया है, विशेषकर जब कि विदेशी बैंक लाखों स्टर्लिंग भारत से बाहर भेज रहे हैं ?

†**श्री खंडूभाई देसाई :** यह प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

दिघवारा स्टेशन पर प्रतीक्षालय

*५२. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री २ सितम्बर, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के दिघवारा स्टेशन पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय बनाने के लिये मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) बहुत जल्द ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बहुत जल्दी का अर्थ क्या है जब कि सोनपुर में फ़ुटब्रिज बनाने को कहा गया था कि बहुत जल्द बनेगा और उसको साल भर हो गया और वह अभी तक नहीं बना ?

श्री शाहनवाज खां : इस जल्दी का अर्थ जो इस सवाल से ताल्लुक रखता है वह यह है कि यह सोनपुर शेड बनाने का काम इसी महीने में शुरू हो जायेगा और पांच महीने में वह बिलकुल मुकम्मिल हो जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** तब तक माननीय सदस्य को प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा करनी होगी ।

नौवहन

*५३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **परिवहन** मंत्री २० अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में सरकार ने भारतीय नौवहन कम्पनियों को कितना कर्ज दिया है, और उसके ब्याज की दर क्या है; और

(ख) इन कम्पनियों ने कितने जहाज़ खरीदे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमन्त्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री विभूती मिश्र : स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि कोस्टल ट्रेड (तटयीय व्यापार) के लिये सरकार ने ८ शिप्स लिये हैं और ओवरसीज ट्रेड (समुद्रपार व्यापार) के लिये २० शिप्स लिये हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ८ कोस्टल ट्रेड के वास्ते और २० ओवरसीज ट्रेड के वास्ते काम में आने वाले शिप्स में कितने हिन्दुस्तान में बने हैं और कितने बाहर से खरीदे गये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार से वह यह जानना चाहते हैं कि भारत में कितने बनाये गये हैं । हमने विशाखापटनम पोत निर्माणशाला को आर्डर दे रखे हैं । हमने यार्ड को अपने आर्डरों से भर दिया है । वास्तव में वे अनुसूची के अनुसार प्रदान करने में असमर्थ हैं । इसलिये, अपने यार्ड को आर्डर न देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । सही संख्या मेरे पास नहीं है ।

†**डा० रामा राव** : विवरण के अनुसार, सरकार समुद्र पार के व्यापार के लिये २।। प्रतिशत ब्याज लेती है जब कि समुद्रतटीय व्यापार पर ४ से ४।। प्रतिशत लेती है । यह भेदभाव क्यों है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार में इस सिद्धांत को सभी भली-भांति जानते हैं । समुद्रतटीय व्यापार सुरक्षित है क्योंकि इसे केवल भारतीय नौवहन समवायों के लिये रक्षित रखा गया है । समुद्र पार का व्यापार प्रतिद्वन्द्विता तथा बहुत ही जोखिम का है; इसीलिये हमने, उनको कम ब्याज पर ऋण दिये हैं ।

श्री विभूती मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जितना रुपया सरकार ने इंडियन शिपिंग कम्पनीज़ को कोस्टल ट्रेड और ओवरसीज ट्रेड के लिये लोन दिया है वह सारा का सारा रुपया शिपिंग कम्पनीज़ को मिल गया है या कुछ सरकार को अभी देना बाकी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जिस-जिस कम्पनी ने जितना-जितना रुपया कर्ज मांगा था, उतना-उतना हमने उनको दे दिया है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस तथ्य के आधार पर कि १९५० से पोतों की लागत बढ़ गयी है क्या, मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने १९५० से नौवहन समवायों को आनुपातिक रूप से ऋण भी बढ़ा दिया है ?

†**श्री अलगेशन** : बिल्कुल, हम लागत मूल्य का ९० प्रतिशत भाग तक देते रहे हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी** : लोक-सभा सचिवालय ने एक शुद्धिपत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि प्रश्न संख्या ५४ निकाल दिया गया है परन्तु यह जानना आवश्यक है कि २७ तारीख के लिये इसकी सूचना दी गई है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें ऐसा करने के लिये कह दूंगा ।

चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना

†*५५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे इंजनों के चितरन्जन स्थित कारखानें की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी, हां ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या प्रस्ताव के आधार पर, देश द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इंजनों के संबंध में आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : वार्षिक प्रतिस्थापना के संबंध में आत्म निर्भर हो जायेगा ; जहां तक हमारी पूर्ण आवश्यकता का सम्बन्ध है, हमें अब भी आयात करनी होगी ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : चितरंजन में प्रति वर्ष में कितने इंजन बनने की आशा है ?

†**श्री अलगेशन** : इस समय, एक मास में १२ इंजन बनाये जा रहे हैं ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : मैं द्वितीय योजना के अन्तर्गत उत्पादन जानना चाहता हूं ।

†**श्री अलगेशन** : मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वह आय-व्ययक की प्रतीक्षा करें क्योंकि उसमें सब कुछ दिया होगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इंजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने का यह प्रश्न क्या केवल भाप के इंजनों से सम्बन्ध रखता है अथवा हम डीजल इंजन का उत्पादन भी बढ़ा रहें हैं ।

†**श्री अलगेशन** : यह प्रश्न केवल भाप इंजनों के सम्बन्ध में है ।

रेलों का विकास

†*५६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे के मीटर गाज विभाग पर माल के यातायात में कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने की आशा है; और

(ख) बढ़े हुये माल यातायात के लिये उचित परिवहन सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) पूर्वोत्तर रेलवे पर अतिरिक्त मालगाड़ियों को चलाने के बारे में अन्तिम फैसला नहीं किया गया है ।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों पर मालगाड़ियों को चलाने की क्षमता बढ़ाने के लिये अतिरिक्त सुविधायें देने की आशा है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : पूर्वोत्तर रेलवे के मीटर गाज विभाग पर गत ६ मास में कितने वैगन चल रहे थे ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे इसके लिये पूर्ण सूचना चाहिये ।

†**पंडित एस० सी० मिश्र** : क्या पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्य लाइन को दोहरी लाइन बनाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, कटिहार-बारसाह, समस्तीपुर-दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर-दरभंगा विभागों और इसी प्रकार और विभागों को दोहरा करने के सम्बन्ध में कई प्रस्ताव हैं ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : माल यातायात की बढ़ोतरी के कारण किन जंकशनों पर मार्शलिंगयार्ड बढ़ाये गये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : ये विशेष प्रश्न है जिन के लिये कि मुझे पूर्ण सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देसी औषधि सम्बन्धी समिति

†*५७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या देसी औषधि सम्बन्धी दवे समिति ने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की क्या सिफारिशें हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या सरकार ने अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : प्रतिवेदन कार्यपालिका समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी बैठक शीघ्र होगी ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत होगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इसके जुलाई अथवा अगस्त १९५६ तक प्रस्तुत होने की आशा है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार द्वारा भेषजीय संस्थाओं को अपने कार्य भार में लेने की कोई प्रस्थापना है जैसे कि माननीया मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में अपने एक भाषण में कहा बताया जाता है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : यह देसी दवाइयां तैयार करने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में नहीं है ।

न्यूटन चिकली तथा अम्लाबाद की कोयला खानें

†*५८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को न्यूटन चिकली तथा अम्लाबाद कोयले की खानों की दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त जांच न्यायालय की क्या उपपत्तियां हैं; और

(ख) उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के क्या निर्णय हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) न्यूटन चिकली तथा अम्लाबाद की कोयला की खान की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में नियुक्त जांच न्यायालयों के प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां जिस में न्यायालय की उपपत्ति भी है, लोक-सभा पटल पर क्रमशः २–९–५५ तथा २३-१२-५५ को रख दी गई थी । दोनों मामलों में न्यायालय ने प्रबंधकों को उत्तरदायी ठराया है ।

(ख) खान अधिनियम, १९५२ के उपबंधों के अनुसार, कोयला खानों के प्रबंधकों के विरुद्ध, कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । अन्य सिफारिशें अधिकांश रूप से, कोयला खान विनियमन संहिता के पुनर्विलोकित प्रारूप में सम्मिलित कर दी गई हैं, जिसका टिप्पणी के लिये राज्य सरकारों तथा खान बोर्ड, को परिचालन किया गया है । पुनर्विलोकित संहिता को अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा यथा संभव शीघ्र लागू किया जायेगा । शेष सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या कोयले की खानों के अधीक्षण कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** जी हां । जिन का दोष होगा, उन पर अभियोग लगाया जायेगा तथा खान नियम के अधीन भी उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : इन दुर्घटनाओं में जितने आदमी मारे गये उन लोगों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया है और कितना दिया जाने वाला है ?

श्री अबिद अली : मुआवजे की रकमें तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, लेकिन सब को दे दी गई हैं ।

†**श्री कामत :** न्यूटन चिकली खान दुर्घटना के जांच न्यायालय की इस सिफारिशों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, कि कोयले की खानों में सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिये उच्चाधिकार आयोग नियुक्त किया जाये ?

†**श्री आबिद अली :** यह प्रश्न भी विचाराधीन है ।

†**श्री कामत :** गत तीन मास अथवा छः मास से विचार ?

†**श्री आबिद अली :** यह आवश्यक है ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या इस प्रतिवेदन में निवारण सामान्य सिफारिशें हैं ? यदि हैं, तो इसमें से कौन सी स्वीकार की जा रही हैं ?

†**श्री आबिद अली :** जो सिफारिशें स्वीकार हो सकती थी, वह स्वीकार कर ली गई हैं ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव:** खान अधिनियम की धारा ७९ के अधीन न्यूटन चिकली के प्रबंधक के विरुद्ध, प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात् छः मास में अभियोग चलाया जाना चाहिये था । क्या मैं जान सकता हूं प्रबंधक के विरुद्ध अभी तक अभियोग क्यों नहीं चलाया गया ?

†**श्री आबिद अली :** यह प्रतिवेदन सितम्बर १९५५ में गजट में प्रकाशित हुआ था । मार्च तक की अवधि हमारे पास थी परन्तु हमने छिंदवाड़ा के कलेक्टर को आदेश दे दिये हैं कि प्रबंधक के विरुद्ध अभियोग चलाया जाये ।

†**श्री पी० सी० बोस:** क्या इसमें खानमालिकों का कुप्रबंध भी शामिल है ?

†**श्री आबिद अली :** अमलाबाद के कुछ मालिकों को भी उत्तरदायी ठहराया गया है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** जमुआर जांच न्यायालय द्वारा की गई २७ सिफारिशों में से, कितनी सिफारिशों पर विचार किया गया है तथा कितनी स्वीकार की गई हैं । कितनी विचाराधीन हैं तथा क्या श्री नारायण दास जो अम्लाबाद जांच न्यायालय के असेसर भी थे, द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी की भी जांच की जा चुकी है । तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली :** जी हां, इन सभी सिफारिशों की जांच की जा चुकी है तथा इन पर पूर्णतया विचार कर लिया गया है । जैसा कि मैं ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया है, कार्यवाही की जा चुकी है तथा जो भी संभव था, किया जा चुका है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** न्यूटन चिकली और अम्लाबाद की दुर्घटनाओं में ११४ आदमी मरे और अब तक केवल दो दो सौ रुपये का मुआवजा उन के परिवारों को दिया गया है, तो क्या सरकार उन को कोई और भी मुआवजा देने का विचार कर रही है या उन लोगों को यों ही छोड़ दिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली :** कुछ पैसा तो कोलमाइन्स वेलफेअर फंड से उसी वक्त दे दिया गया था ताकि उनको उस वक्त तकलीफ न हो क्योंकि कोलियरीज से मुआवजा मिलने में वक्त लगता था । जहां तक मेरा ख्याल है जो भी रकम उन लोगों के हक की थी वह उन को अदा हो गई

---

†मूल अंग्रेजी में

होगी, फिर भी मैं तहकीकात करूंगा और अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो उसको पूरा कर दिया जायेगा । जहां तक मुझे मालूम है न्यूटन चिकली में अभी तक मुअय्यन नहीं हो सका कि किस को क्या दिया जाय, लेकिन फिर भी कोलमाइन्स वेलफेयर फंड से उनको मदद कर दी गई है ।

कोयला क्षेत्रों में अस्पताल

*५९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला क्षेत्रों में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तपेदिक अस्पतालों की स्थापना के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) और (ख). सूचना प्राप्त की जा रही है जो मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** विभिन्न कोयला खानों में राजयक्ष्मा पीड़ितों की प्रतिशतता के बारे में क्या सरकार के पास आंकड़े हैं ?

श्री आबिद अली : लेबर मिनिस्ट्री में तो नहीं है, लेकिन कोलमाइन्स वेलफेयर फंड की मार्फत कुछ मालमात हासिल की जाती हैं और उन्हीं के आधार पर नये अस्पताल खोले जाते हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : जो यह बात कही गई है कि सूचना मिलने वाली है तो उस के सम्बन्ध में मिनिस्ट्री ने पहले से कुछ काम किया ह या नहीं ?

श्री आबिद अली : मैं ने अर्ज किया था कि सूचना प्राप्त की जा रही है । इसके बारे में जिन जिन जरियों से सूचना प्राप्त की जा सकती है उनको लिखा गया है ।

श्री के० सी० सोधिया : लेकिन इसके लिये प्लैनिंग कमिशन में रुपये पैसे का इन्तज़ाम कैसे होगा, अगर वह अब तक नहीं हुआ है ?

श्री आबिद अली : वह काम तो हैल्थ मिनिस्ट्री की मार्फत हो रहा है ।

†**डा० रामा राव :** क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि जिसके अन्तर्गत कोयला खान कमकरों के लिए कम से कम एक क्षय रोग आरोग्यालय स्थापित किया जाये ।

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई):** जैसा कि मैंने बताया कोयला खान क्षेत्र में स्थित क्षय रोग अस्पतालों में जगह बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है । प्रयोगात्मक रूप से यह सुझाव दिया गया है कि आसाम में पांच रोगियों के लिए, पश्चिमी बंगाल में १०० रोगियों के लिए, बिहार में २०० रोगियों के लिए, मध्यप्रदेश में २० रोगियों के लिए, उड़ीसा में १० रोगियों के लिए, विन्ध्यप्रदेश में १० रोगियों के लिए, हैदराबाद में २० रोगियों के लिए तथा राजस्थान में पांच रोगियों के लिए जगह का प्रबंध हो इस प्रकार सब मिलाकर ३७० रोगियों के लिये जगह की व्यवस्था की जा रही है ।

रेलों को क्षति

†*६०. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, गत जनवरी की अशांति में, हिंसात्मक गिरोहों ने स्टेशनों के भवनों अथवा रेलवे लाइनों और रेलइंजनों तथा डिब्बों को कोई क्षति पहुंचाई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह क्षति किस प्रकार की तथा कितनी हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां ।

(ख) अब तक प्राप्त सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५**] पूर्ण ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं तथा प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

†**श्री जेठालाल जोशी** : विवरण में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को अत्यधिक हानि हुई है तथा केवल इस रेलवे की क्षति लगभग ५४,००,००० रुपये हुई है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे प्राधिकारियों को इस तूफान का आभास मिल चुका था और क्या उन्होंने और अधिक क्षति को रोकने के लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी थी अथवा क्या शरारत पसन्दों ने अचानक अपना काम किया और वह उन पर काबू न पा सके ?

†**श्री अलगेशन** : रेलवे प्राधिकारियों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि उनको इस तूफान का आभास मिले और वह इसकी रोक थाम के लिये कार्यवाही करें । राज्य में शांति तथा व्यवस्था के लियें उत्तरदायी व्यक्तियों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये थी और दुर्भाग्यवश, इन अचानक होने वाले हिंसात्मक कार्यों को रोकने में वह असमर्थ रहे तथा इसीलिये यह दुर्घटनायें हुई ।

†**श्री जेठालाल जोशी** : रेलवे स्टेशनों तथा रेल के डिब्बों के जलाये जाने तथा वैगनों को उलटने में क्या कोई मृत्यु भी हुई थी तथा यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे ?

†**श्री अलगेशन** : हमें इसकी जानकारी नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां पर रेलवे स्टाक, रेलवे लाइन्स और स्टेशनों का नुक्सान हुआ है, उस जगह के लोगों पर नये टैक्स लगाने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि नुकसान का पैसा उन से वसूल हो जाय ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): माननीय सदस्य की राय नामुनासिब तो नहीं है, लेकिन इसका फैसला स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगी ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पुर्तगाली सैनिकों द्वारा अनधिप्रवेश

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १. डा० लंका सुन्दरम्**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ और ८ फरवरी, १९५६ को पुर्तगाली सैनिकों ने भारतीय सीमा में अनधिप्रवेश किया;

(ख) यदि हां, तो वे अतिक्रमण किस प्रकार के थे;

(ग) कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा वे किस राष्ट्र के थे; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं के आवर्तन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५-क**]

(घ) भारत सरकार इन घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत चिन्तित है और उसने भारत-गोवा सीमा

†मूल अंग्रेजी में

पर नियुक्त भारतीय सीमा पुलिस की उपयुक्त रूप से शक्ति बढ़ाने के लिये कदम उठाए हैं। स्पष्ट हिदायतें जारी कर दी गयी हैं कि भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण करने वाले सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों को गिरफ्तार किया जाना चाहिये और उन्हें रोका जाना चाहिये और जहां आवश्यक हो भारतीय राज्यक्षेत्र में उनके प्रवेश को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार पुर्तगाली अधिकारियों को विरोधपत्र भी भेज रही है।

†**डा० लंकासुन्दरम्** : क्या इस घटना में मारे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के लिये अभी तक पुर्तगाल से कोई मांग की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मारे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति मांगने का प्रश्न सम्भवतः उठता ही नहीं क्योंकि उनमें भारतीय नागरिक नहीं मारे गये हैं। जो व्यक्ति मारे गए वे गोआ के नागरिक थे जिन्हों ने भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था। मैं एक वकील के रूप में नहीं बोल रहा हूं ; मैं नहीं जानता कि इसकी विधि-सम्बन्धी उपलक्षणायें क्या होंगी ; परन्तु प्रश्न यह है कि कुछ व्यक्ति, जो गोआ से निकल कर भागने का प्रयत्न कर रहे थे, गोली से मारे गए। ये दो व्यक्ति थे जिनमें से एक गोआ-राज्यक्षेत्र में मर कर गिरा और दूसरा भारतीय राज्यक्षेत्र में, सीमा-रेखा से लगभग सौ गज की दूरी पर। और फिर, जैसा कि विवरण में कहा गया है, भारतीय पुलिस ने——लगभग चार सिपाहियों की छोटी टुकड़ी ने——इन बलात् प्रवेश करने वाले पुर्तगाली पुलिसवालों पर गोली चलाई जोकि संख्या में लगभग १५-२० थे और उनको कुछ क्षति पहुंचाई। एक पुर्तगाली पुलिस-वाला गंभीर रूप से आहत हुआ और बहुत को साधारण चोट आई। तत्पश्चात् वे भाग गए और अपने साथ गोली से मरे एक व्यक्ति का शव भी खींच ले गए।

†**श्री साधन गुप्त** : चूंकि पुर्तगाली नम्र भाषा समझने में असमर्थ हैं क्या उनको यह स्पष्ट करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं कि सरकार का बलप्रयोग न करने का आश्वासन पुर्तगाली सैन्य बल द्वारा भारतीय-राज्यक्षेत्र के अतिक्रमण के सम्बन्ध में लागू नहीं होता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैंने अपने उत्तर में अभी अभी कहा कि ऐसे अतिक्रमण के विरुद्ध बल प्रयोग किया जायगा। माननीय सदस्य का यह कहना कि पुर्तगाली नम्र भाषा नहीं समझते सर्वथा सही है, परन्तु मैं समझता हूं कि नम्रता को दृढ़ता के साथ बनाये रखना संभव है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मैंने पूना के एक दैनिक पत्र की शिकायत की और प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। मैं शिकायत की सत्यता की जांच करने की स्थिति में नहीं हूं। समाचार पत्र ने अपने सावन्तवाड़ी स्थित संवाददाता द्वारा भेजे जाने वाले समाचारों का प्रावेक्षण (सैंसर) किये जाने की शिकायत की है। पत्र में प्रयुक्त वास्तविक शब्दावली निम्न प्रकार है :

> "इस समाचार का, जो हमारे पास हमारे सावन्तवाड़ी स्थित संवाददाता द्वारा भेजा गया था, प्रावेक्षण (सैंसर) किया गया और उसे डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा आपत्तिजनक घोषित किया गया जिन्होंने हमें सूचित किया कि हम उसे प्रकाशित न करें।"

मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस विशिष्ट शिकायत के सम्बन्ध में जांच करेंगे और गोआ सीमा में ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में समाचारों के संप्रेषण पर प्रावेक्षण (सैंसर) की शंका दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: स्पष्टतः मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मैं उस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता। परन्तु इस प्रेस संवाद अथवा तार में जोकि भेजे जाने को था, कही गई एक बात प्रत्यक्षतः गलत मालूम होती है क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि भारतीय पुलिस ने गोली

---

†मूल अंग्रेजी में

चलाई ही नहीं—एक भी गोली नहीं चलाई—जबकि सत्य यह है कि चार पुर्तगाली पुलिस वालों को गोलियां लगीं। मैं समझता हूं कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को नहीं मारा होगा। जो संवाद भेजे जाने को था वह गलत था।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या प्रधान मंत्री शरणाधिकार के सुविख्यात सिद्धांत के अन्तर्गत गोआ की राष्ट्रीयता के लोगों की स्थिति पर विचार करेंगे जो भारत में शरण लिये हों और उस तरह से पकड़े जायें जैसे कि ५ और ८ फरवरी, १९५६ की घटनाओं में हमारे राज्यक्षेत्र में सीमा रेखा पर वे पकड़े गए थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसमें कोई भी संदेह नहीं कि जहां तक शरणाधिकार का सम्बन्ध है, हम किसी भी राजनैतिक शरणार्थी को शरण देते हैं जो हमारे राज्यक्षेत्र में आ जाये यद्यपि ऐसा हम कुछ शर्तों के अधीन करते हैं जैसे वह शरण दण्ड-अपराधों के लिये न चाही गई हो। दण्ड-अपराधों के लिए तो हमें उसे देश से निकाल देना होता है, परन्तु राजनैतिक कारणों के लिये उसे शरण दी जाती है। यह प्रश्न उस समय कैसे उत्पन्न होता है जबकि कोई व्यक्ति सीमा पर ही पकड़ा जाय। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि यह सब सीमा पर हो रहा है। भारतीय राजनीतिक क्रांति के इतिहास में श्री सावरकर का एक बड़ा प्रसिद्ध मामला है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस प्रश्न के, विशेषकर उस प्रश्न के, जो हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्दिष्ट किया जा रहा है, महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि वह दिल्ली में हुए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के सदस्यों के सम्मेलन के शब्दशः प्रतिवेदन पर किसी निर्णय पर पहुंच सकी है जिसमें कि कैबिनेट मिशन की ओर से बोलते हुए सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने, जब उनसे यह पूछा गया था कि ब्रिटिश सरकार का रुख गोआ के सम्बन्ध में कैसा है, कहा था कि "यह प्रश्न भारत की भावी सरकार के लिए है"

मैं इस मामले का स्पष्टीकरण करूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को इस पर भाषण देने की अनमति नहीं दूंगा। यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

†**श्री जोकीम अल्वा** : केवल एक मिनट।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का भारी संख्या में आना

*१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री डी० सी० शर्मा :
पंडित डी० एन० तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य के उस पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने २७ दिसम्बर, १९५५ को पाकिस्तान के गृह मंत्री को लिखा है और समाचारपत्रों में प्रकाशित कराया है तथा जिसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि पूर्वी बंगाल के जैसोर तथा अन्य स्थानों से हिन्दुओं को निकाल बाहर करने के व्यवस्थित प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि हिन्दुओं के मकानों को सरकार द्वारा ले लेने अथवा उन पर बलपूर्वक कब्जा कर लेने के कारण हिन्दुओं को बाहर जाने के लिये बाध्य होना पड़ता है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) सरकार ने इस पत्र की रिपोर्ट प्रेस मे देख ली है ।

(ख) कलकत्ते में विदेश मंत्रालय के शाखा सचिवालय ने ढाका के ऐसे ही सचिवालय से लिखा-पढ़ी शुरू कर रखी है ।

अलोह धातुओं का उद्योग

†*२. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलोह धातुओं के उद्योग का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा र हैं जिससे देश उसके सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो सके ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट संख्या १, अनुबन्ध संख्या ६]**

विस्थापित व्यक्तियों के गढ़े हुए खजाने

†*३. **श्री राधारमण :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विस्थापित व्यक्तियों की ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आंकड़े थे जो वे पाकिस्तान में गढ़ी हुई छोड़ आये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका कुल मूल्य कितना है;

(ग) अभी तक उसमें से कितनी पुनः प्राप्त की जा सकी है और उसकी पुनः प्राप्ति के लिये क्या तरीका अपनाया गया;

(घ) क्या वैसी कार्यवाही भारत में भी की गई; और

(ङ) यदि हां, तो भारत में पाकिस्तानियों द्वारा पुनः प्राप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ३१ जनवरी, १९५६ तक लगभग ३३ लाख रुपये के गढ़े हुए खज़ाने पुनः प्राप्त किए गये । ऐसे खज़ानों की पुनः प्राप्ति के लिये अपनाये गए तरीकों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा उस सम्बन्ध में जारी किए गए समेकित हिदायतों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

(घ) जी, हां ।

(ङ) जानकारी इकट्ठा की जा रही है ।

फिल्म गोष्ठी

†*४. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या दिल्ली में दिसम्बर १९५५ में ऐतिहासिक तथा जीवन-चरित्र सम्बन्धी फिल्मों के सम्बन्ध में कोई गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या थीं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). फिल्मों के लिये राज्य पारितोषक प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए कार्यों के भाग के रूप में ऐतिहासिक तथा जीवन-चरित्र सम्बन्धी फिल्मों के सम्बन्ध में २२ दिसम्बर, १९५५ को एक गोष्ठी का प्रबन्ध किया गया था जिसका सभापतित्व कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने किया था। इस श्रेणी की फिल्मों से सम्बन्धित अनेक प्रसिद्ध निर्माताओं और लेखकों तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त अन्य व्यक्तियों ने उसमें भाग लिया। गोष्ठी में पढ़े गए पत्रों को शीघ्र प्रकाशित करने का विचार है।

'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड'

†*५ **श्री वी० पी० नायर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड' के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों के क्वार्टरों, कार्यालयों अथवा किन्हीं अन्य भवनों के निर्माण के लिए वास्तुकलाविज्ञों के किसी सार्थ की सेवायें प्राप्त की गयी थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के किसी वास्तुकलाविज्ञों के सार्थ को कोई कार्य सौंपा गया था; और

(ग) यदि हां, तो उनको कुल कितना शुल्क भुगतान किया गया ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) देय शुल्कों का योग लगभग ३९,००० रुपये के है जिसमें से लगभग २९,४०० रुपये भुगतान किये जा चुके हैं।

रेशम के कीड़े पालना

†*६. **श्री केशव अय्यंगार** :
श्री एम० एल० अग्रवाल :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ वर्षों में अभी तक समस्त राज्यों को दिए गये अनुदानों की कुल राशि कितनी है और

(ख) उपर्युक्त वर्षों में प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में कितना व्यय किया गया ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट संख्या १, अनुबन्ध संख्या ८]**

हथकरघा उद्योग

†*७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सूचना में कोई ऐसे मामले आये हैं जिनमें हथकरघा कपड़े के व्यापारी ऐसे कपड़े की कीमत में दी जाने वाली छूट से सम्बन्धित उपबन्धों का दुरुपयोग कर रहे हों;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री काननूगो)** : (क) और (ख). कुछ एक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :

(१) कि उचित मूल्य वाली कुछ एक दुकानों ने, जिन्हें कि छूट दी गई है, इस रियायत का अनुचित लाभ उठाया है; और

(२) कि कुछ एक बुनकर सहकारी समितियां थोक विक्रय और फुटकर विक्रय को मिश्रित करती रही हैं तथा अधिक छूट अर्थात् एक आने के स्थान पर डेढ़ आने, का दावा करती रही हैं।

(ग) उचित मूल्य वाली दुकानों को १ फरवरी, १९५६ से छूट की रियायत देना बन्द कर दिया गया है और २ जनवरी, १९५६ से थोक विक्रय पर दी जाने वाली छूट की दर को फुटकर बिक्री पर दी जाने वाली छूट की दर के बराबर कर दिया गया है।

पुर्तगाल का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को अभ्यावेदन

†*८. **श्री गिडवानी :**
श्री डाभी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाल ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था जिसके द्वारा दादरा तथा नगर हवेली की पुर्तगाली समावृत बस्तियों को जाने के लिये भारतीय राज्यक्षेत्र में से मार्ग प्राप्त करने के अधिकार के दावे के सम्बन्ध में भारत के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामले की क्या स्थिति है ?

***प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार का विचार इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा दादरा और नगर हवेली की पुर्तगाली बस्तियों को जाने के लिये भारतीय राज्य क्षेत्र में से मार्ग प्राप्त करने के अधिकार के सम्बन्ध में पुर्तगाली दावे का प्रतिवाद करने का है। इस मामले के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के विचार पता लगाने के लिये निश्चित किये गये समय के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

पैनिसिलिन

†*९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिम्परी कारखाने में, उसके चालू होने के समय से लेकर अब तक कितनी पैनिसिलिन का उत्पादन हुआ है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : ३१ जनवरी, १९५६ तक कुल उत्पादन ४७,१०,६७० मेगा यूनिट है।

औद्योगिक प्रबन्ध पदाली वर्ग

***१०. श्री बर्मन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'औद्योगिक प्रबन्ध पदाली वर्ग' की नीति क्या है तथा उसका गठन कैसे होगा; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और मंत्रालय को कितने प्रशिक्षित कर्मचारी इकट्ठे कर सकने की आशा है ?/

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). इस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों में उच्च तथा मध्यम स्तर के अप्रविधिक प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्त करने के लिए एक सेवा कायम करने की योजना तैयार हो चुकी है और आशा है कि इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। इस प्रकार की इकाइयों में उच्च तथा मध्यम स्तर के प्रविधिक पदों के सम्बन्ध में भी एक इसी प्रकार की सेवा कायम करने की योजना विचाराधीन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है इसके सम्बन्ध में प्राक्कलन योजना के अन्तिम रूप प्राप्त करते ही संकलित किये जायेंगे। दोनों योजनाओं की तथा कर्मचारियों के प्राक्कलन की प्रतिलिपियां, अन्तिम रूप दिए जाने के बाद लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

†*११. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में भारत में भारी उद्योग स्थापित करने की एक योजना पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). देश में पहले ही अनेकों भारी उद्योग विद्यमान हैं और राष्ट्रीय उद्योगिक विकास निगम ढलाई की तथा कूटी हुई धातु की वस्तुओं तथा इमारती लोहे का उत्पादन करने के लिए अनेकों योजनायें बना रहा है ताकि औद्योगिक संयंत्रों तथा यंत्रों, प्रमुख चालक यंत्रों (मूवर), भारी विद्युत संयंत्रों आदि के निर्माण के लिये जिन पुर्जों की आवश्यकता है उन्हें देश में ही उत्पादित किया जा सके।

अणु गवेषणा सम्बन्धी पुस्तक संग्रह

†*१२. **कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ जनवरी, १९५६ को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के द्वारा भारत को एक अणु गवेषणा सम्बन्धी पुस्तक संग्रह भेंट किया गया था;

(ख) यह पुस्तक संग्रह भारतीय अणु शक्ति कार्यक्रमों में कहां तक सहायता करेगा; और

(ग) इस पुस्तक संग्रह में किस प्रकार की पुस्तकें हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रविधिक प्रतिवेदन तथा सारसंग्रह कार्ड (एब्सट्रैक्ट कार्ड) हमारे वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।

(ग) पुस्तक संग्रह में तीन प्रकार की सामग्री है :

(१) ६,५२५ प्रविधिक प्रतिवेदन; (२) संयुक्त राज्य अमेरिका के अणुशक्ति उपयोग की राष्ट्रीय नाभिकीय शक्ति क्रममाला २८ सजिल्द प्रतियों में तथा नाभिकीय विज्ञान के सारसंग्रह ९ सजिल्द प्रतियों में जिनमें ५०,००० प्रविधिक प्रतिवेदन हैं, विविध पुस्तकें जिनमें आयोग के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन, नाभिकीय रीएक्टर सिद्धान्त, नाभिकीय शक्ति तथा भविष्य की शक्ति के सम्बन्ध में स्रोतपुस्तक; और (३) ४५,००० सारसंग्रह कार्ड (एब्सट्रैक्ट कार्ड) जो कि सारे साहित्य की देशवां के रूप में हैं और उसका वर्णन करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच करने के लिये समिति

***१३. श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** ३ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे व्यक्ति चुन लिए गये हैं; और

(ख) उनके कार्य का तरीका क्या होगा ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख). समिति की रचना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन यह फैसला कर लिया गया है कि श्री शाहनवाज खां समिति के अध्यक्ष होंगे। जब समिति बैठेगी, तब यह अपने काम करने के तरीके का निश्चय कर लेगी।

भारत-सूडान राजनयिक सम्बन्ध

†***१४.** **श्री एम० इस्लामुद्दीन :**
श्री वोडयार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और सूडान के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रस्थापना इस समय किस स्थिति में है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां):** भारत और सूडान के बीच राजनयिक शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान किस स्तर पर किया जाये, यह प्रश्न भारत और सूडान की सरकारों के विचाराधीन है। आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक निर्णय हो जायेगा।

नमक-उपकर

†***१५. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मदों को निश्चित करने वाले नियम बना लिये गये हैं जिन पर नमक-उपकर से प्राप्त धन खर्च किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उन नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या नमक-विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने पर आने वाला खर्च उपकर-निधि से पूरा किया जायेगा; और

(घ) १९५३ से प्राप्त किया गया उपकर किस प्रकार से खर्च किया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दूबे):** (क) और (ख). नमक-उपकर अधिनियम की धारा ६ के अधीन बनाये जाने वाले नियम अभी तैयार किये जा रहे हैं, और उनको अन्तिम रूप देते ही उन्हें लोकसभा-पटल पर रख दिया जायेगा। वे विषय जिन पर नमक उपकर से प्राप्त धन खर्च किया जायेगा, नमक उपकर अधिनियम की धारा ४ में बताये गये हैं।

(ग) और (घ). नमक विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण पर आने वाला खर्च सामान्य राजस्व से पूरा किया जाता है। इस समय उपकर का धन सामान्य राजस्व में जमा किया जाता है, और नमक विभाग के संगठन, नमक के कारखानों के संधारक तथा विकास आदि पर आने वाला सम्पूर्ण खर्च सामान्य राजस्व से ही पूरा किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

'काश्मीर प्रिंसेज'

†*१६. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री सी० डी० पांडे :
डा० रामा राव :
श्री मोहन राव :
श्री जी० पी० सिन्हा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि फारमोसा सरकार ने उस व्यक्ति को भारत के हवाले कर देने से इन्कार कर दिया है जिस पर ११ अप्रैल, १९५५ को "काश्मीर प्रिंसेस" नामक एयर-इण्डिया इंटर-नेशनल विमान को ध्वस्त करने का संदेह है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार फारमोसा सरकार को अभिज्ञात नहीं करती और उसके साथ इसका कोई राजनयिक सम्बन्ध नहीं है। परन्तु, हमने ब्रिटेन सरकार को अपना विरोध व्यक्त कर दिया है जो कि विमान के ध्वंस के उत्तरदायी दोषी को हांगकांग भेजने का प्रयत्न कर रही है। फिर भी हम विमान के नाश के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारियों के दायित्व के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया वक्तव्य लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]**

चाय

†*१७. **श्री एम० एम० लिंगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय के मूल्यों में हाल ही में होने वाली मंदी के क्या कारण हैं; और

(ख) मूल्यों में सुधार को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) (१) सारे संसार में १९५५ में चाय के उत्पादन में कुछ वृद्धि होना और १९५४ के मौसम की उपज का अपेक्षाकृत काफी भाग बच जाना।

(२) ब्रिटेन में ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का सीमित हो जाना जो कि चाय का एक प्रमुख आयात-कर्ता है; और (३) सम्भवतः भारतीय चाय के नीलाम की प्रणाली में परिवर्तन करने के प्रयत्न किया जाना।

(ख) मामला विचाराधीन है।

पूर्वी पाकिसतान से हिन्दुओं का सामूहिक निष्क्रमण

†*१८. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो दिसम्बर १९५५ तथा जनवरी १९५६ में पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये; और

(ख) क्या यह सच है कि सामूहिक निष्क्रमण अब बढ़ रहा है और इस से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय के मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दिसम्बर १९५५ में २१,५४० विस्थापित व्यक्ति भारत आये और जनवरी १९५६ में लगभग १८,००० व्यक्ति ।

(ख) जी, हां ।

समुद्र तट की मिट्टी का कटाव

†***१९. श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अरब सागर के तट को समुद्री कटाव से बचाने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ धन निर्धारित किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : समुद्र तट के रक्षण के लिये समस्त अरब सागर तट की कोई एक व्यापक योजना नहीं है । परन्तु तट की मिट्टी को समुद्र की तरंगों से कटने से बचाने के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य योजना में लगभग ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

आण्विक शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग

***२०. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच आणविक शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों की वृद्धि और विकास के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह समझौता एक प्रकार के अम्ब्रेला-समझौते की सूरत में है जिसके जरिये आण्विक शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिए एक दूसरे का सहयोग और सहायता प्राप्त हो सकती है, और जिस समझौते के तहत समय-समय पर सहयोग के खास-खास विषयों में एक दूसरे की मर्जी के अनुसार काम शुरू किया जा सकता है ।

इस समझौते के अनुसार सहयोग का काम एक आवश्यक प्रोजेक्ट पर शुरू किया गया है जिसका सम्बन्ध भारत में बन रहे सर्वप्रथम स्विमिंग पूल रीएक्टर के साथ है । रीएक्टर के अन्दरूनी भाग को छोड़ कर, जो एक स्टैंडर्ड डिजाइन का है, यह भारतीय रीएक्टर, इसके कंट्रोल करने का तरीका और इस पर रिसर्च करने के तरीके आदि सभी कार्य अटौमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने वाले भारतीय व्यक्तियों द्वारा सोचे तथा बनाये गये हैं । इस रीएक्टर के लिये ईंधन का तत्व युनाईटिड किंगडम द्वारा सप्लाई किया जायेगा ।

वस्त्र उत्पादन जांच समिति

†***२१. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उत्पादन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने समिति की किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भद्रावती में लोहे और इस्पात का कारखाना (मैसूर)

†*२२. **श्री एन० राचय्या** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में भद्रावती लोहा और इस्पात कारखाना को विस्तार के लिये १९५५-५६ में अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) सहायता विस्तार की किन योजनाएं के लिये दी गई है;

(ग) यदि किन्हीं विशेष शर्तों पर सहायता दी गई है, तो वे क्या हैं; और

(घ) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५५-५६ में अभी तक कोई धन नहीं दिया गया है, किन्तु १९५४-५५ में समाप्त होने वाली चार वर्ष की अवधि में कुल १ करोड़, २१ लाख, ३९ हजार रुपए की राशि दी गई थी ।

(ख) बिजली से चलने वाली कच्चे लोहे की भट्टियों की पीडकृत ढलवां लोहे के पाइप स्पन कास्ट आयरन पाइप) संयंत्र तपा कर पुंज बनाने का संयंत्र (सिंटरिंग प्लांट) की स्थापना, सीमेंट संयंत्र का विस्तार और अयस्क की खानों, ट्रामवेज, ढलाई का कारखाना, यार्ड आदि में सुधार ।

(ग) कोई विशेष शर्तें नहीं रखी गई हैं ।

(घ) बिजली से चलने वाली कच्चे लोहे की दो भिट्टयां लगाई जा चुकी हैं, पीडकृत ढलवां लोहे के पाइप (स्पन कास्ट आयरन पाइप) संयंत्र और संपुंजन संयंत्र (सिंटरिंग प्लांट) का आर्डर दे दिया गया है और अयस्क की खानों तथा ट्रामवेज में कुछ सुधार किया गया है ।

रेडियो स्टेशन को हानि

†*२३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कटक (उड़ीसा) में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बारे में हाल में जो दंगे हुए थे, उनके परिणामस्वरूप कटक के आकाशवाणी केन्द्र (रेडियो स्टेशन) को कितनी हानि हुई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : रेडियो स्टेशन कटक को एक हजार रुपए से कम की हानि हुई ।

सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी

†*२४. **श्री वेलायुधन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी ने कितना उत्पादन लक्ष्य पूरा किया है; और

(ख) कोक भट्टी संयंत्र (कोक ओवन प्लांट) स्थापित करने के कार्य की इस समय क्या स्थिति है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) फैक्टरी ने ३,२०,००० टन के लक्ष्य के मुकाबले ३,२१,३६४ टन अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया है ।

(ख) कोक भट्टी संयंत्र (कोक ओबन प्लांट) की स्थापना अगस्त १९५२ में हो गई थी और यह ३१ अगस्त, १९५४ को चालू कर दिया गया था, जैसा कि लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ के ८-९-१९५४ को दिये गये, उत्तर में बताया जा चुका है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ

†*२५. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रवादी चीन द्वारा सामूहिक निबटारे के प्रस्ताव (पैकेज डील) के सिद्धान्त के रद्द कर दिये जाने के पश्चात १६ राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किये जाने में भारत ने क्या भाग लिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जब १४ दिसम्बर, १९५५ को सामान्य सभा में इन १६ देशों के सम्मिलित किये जाने के बारे में सुरक्षा परिषद की सिफारिश प्राप्त हुई तब भारत ने इन राष्ट्रों के सम्मिलित किये जाने के पक्ष में अपना मत दिया ।

मूंगफली की खली और मूंगफली का तेल

†*२६. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक भारत से कुल कितना और कितने मूल्य के मूंगफली के तेल और मूंगफली की खली का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इन दोनों वस्तुओं के लिए निश्चित किया गया निर्यात अभ्यंश पूरा हो चुका है;

(ग) क्या इस वर्ष निर्यात अभ्यंश बढ़ाये गये हैं और

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मूंगफली की खली--८३,००० टन--मूल्य ३ करोड़ रुपये; मूंगफली का तेल--९७,३५० टन--मूल्य ११·७ करोड़ रुपये

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) तथा (घ). निर्यात की मात्रा निर्यात की जाने योग्य फालतू वस्तुओं की उपलब्धि पर निर्भर है । १९५४ में, ५४,००० टन मूंगफली के तेल का निर्यात किये जाने की अनुमति दी गई थी जब कि १९५५ में १,८३,८९६ टन के निर्यात की अनुमति दी गई । मूंगफली की खली के निर्यात की अनुमति पहली बार १९५५ में दी गई थी ।

पुर्तगाली जेलों में भारतीय

†*२७. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पुर्तगाली जेलों में कितने भारतीय सत्याग्रह आन्दोलन के कारण न्यायालयों और सैनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिया गया कारावास दण्ड भोग रहे हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : गोआ में जेल बन्द किये गये ३१ भारतीय सत्याग्रहियों में से २७ भारतीयों को ४ से १० वर्षों तक का कारावास दण्ड मिला है, ऐसी सूचना मिली है ।

नमक

†*२८. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नमक विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की थी कि देश में नमक उत्पादन करने वाले प्रमुख केन्द्रों में गवेषणा केन्द्र स्थापित किये जाएं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नमक उत्पादन की मात्रा बढ़ाने और नमक की किस्म सुधारने और उपोत्पाद तैयार करने के उपायों का अनुसन्धान करने के लिए राजस्थान में सांभर में गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ?

†**उत्पादन उपमन्त्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, इस विषय में जांच की जा रही है ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†*३०. **श्री के० के० बसु** :
चौधरी मुहम्मद शफी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण का कुछ भाग उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है : और

(ग) सरकार ने इस स्थिति को काबू में करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण का कोई भी भाग उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। आसाम राज्य प्रशासन के अधीन नागा पहाड़ी जिलों को नागा राष्ट्रीय परिषद की कतिपय हिंसात्मक कार्रवाइयों के कारण हाल ही में उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में निष्क्रान्त सम्पत्तियां

†*३१. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री २६ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तब से दिल्ली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी आधार पर कुल कितनी निष्क्रांत सम्पत्तियां आवंटित की गई हैं ; और

(ख) कुल कितनी निष्क्रांत सम्पत्तियां अभी तक विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित नहीं की गई हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कोई भी सम्पत्ति स्थायी आधार पर आवंटित नहीं की गई है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†*३२. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिसके परिणामस्वरूप राज्य उन राशियों में से अधिक व्यय कर सकें जो बोर्ड द्वारा राज्यों को दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो वह क्या व्यवस्था है और यह कब लागू की गई थी तथा इसके अन्तर्गत किस प्रकार कार्य हो रहा है; और

(ग) इस व्यवस्था से एक वर्ष पूर्व दी गई राशि में से कितने प्रतिशत राशि खर्च की गई थी और उसके बाद के वर्षों में यह प्रतिशतता क्या है ?

†**उत्पादन उपमन्त्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) तथा (ख). संबद्ध राज्य के एक सदस्य, सचिव और उपसभापति पर आश्रित एक विशेष उप समिति मई १९५५ में स्थापित की गई थी; जो प्रत्येक राज्य में होने वाली प्रगति का उसी स्थान पर जाकर अध्ययन करे और उस स्थिति का निवारण करने के लिये उपायों का सुझाव रखे ।

(ग) १९५४-५५ में २७.१८ प्रतिशत व्यय था। १९५५-५६ के लिये इतनी शीघ्र प्रतिशत जानना कठिन है ।

साबुन उद्योग की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता

†*३३. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
पण्डित डी० एन० तिवारी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में साबुन उद्योग की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के पर्याप्त भाग का उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है; और

(ग) सरकार इस बात के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है कि ये एक सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). साबुन-उद्योग में प्रयोग में आने वाला सामान इस प्रकार का होता है कि साबुन उद्योग में "अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता" शब्दों का कोई ठीक ठीक अर्थ नहीं है। वास्तव में किसी भी साबुन फैक्टरी एकक की असाध्य क्षमता को, इस के सामान में कोई अधिक वृद्धि किये बिना ही, बढ़ाया जा सकता है। किन्तु सांख्यिकी के प्रयोजन के लिये संगठित क्षेत्र की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का अनुमान २,४५,००० टन लगाया गया है, जो कि प्रत्येक एकक द्वारा दिये गये अपने वर्तमान उत्पादन क्षमता के आंकड़ों का योग है। अनुमान किया जाता है कि संगठित क्षेत्र में वर्तमान उत्पादन इन आंकड़ों का आधा है। ये फैक्टरियां अपनी पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन क्यों नहीं करतीं इस के ठीक-ठीक कारण बताना कठिन है। एक कारण यह हो सकता है कि इन संगठनों के बीच परस्पर बड़ी प्रतियोगिता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हाल में कुटीर उद्योग एककों ने अपना उत्पादन बढ़ाया है।

(ग) (१) नवीन एककों की स्थापना या वर्तमान फैक्टरियों के विस्तार की अनुमति नहीं है।

(२) निर्यात्त वृद्धि में साबुन एक मद है और यह व्यापार करारों में सम्मिलित किया जाता है।

(३) औषध व्याप्त साबुन की थोड़ी मात्रा को छोड़कर हमारी वर्तमान आयात अनुसूची के अन्तर्गत साबुन का आयात करने की अनुमति नहीं है।

अलोह धातुएं

†*३४ { **सरदार हक्म सिंह** :
श्री हेडा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों की अवधि में धातुओं के विकल्प व्यापार के कारण अलोह धातुओं के दामों में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अवैध वायदा व्यापार को रोकने के लिये वायदा बाजार आयोग ने कोई कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी, हां। दामों में वृद्धि के कई कारण थे। विकल्प व्यापार भी एक कारण हो सकता है।

(ख) भारत में केवल बंबई म ही 'बाम्बे मैटल एक्सचेंज लिमिटिड' के तत्वाधान में ताम्बा, सीसा, जस्ता और रांगे का वायदा व्यापार होता है। दिसम्बर १९५५ में "बाम्बे मैटल एक्सचेंज" में विकल्प व्यापार किये जाने के संबंध में कुछ आरोप लगाये गए थे। वायदा बाजार आयोग ने संस्था से इस प्रकार के विकल्प व्यापार को रोकने के लिये उचित कार्यवाहियां करने के लिये कहा था। पता लगा है कि अब इस प्रकार का व्यापार बन्द होगया है।

राज्य विद्युत् बोर्ड

†*३५. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री उन राज्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने विद्युत बोर्ड स्थापित किये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : पांच राज्य हैं—दिल्ली, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, बंबई और पश्चिमी बंगाल।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्जन बम परीक्षण

†*३६. **श्री एन० एम० लिंगम :**
श्री पुन्नूस :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वोडयार :
श्री गिडवानी :

क्या **प्रधान मंत्री** २० दिसम्बर १९५५ को, पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परीक्षात्मक नाभिकीय विस्फोटों को रोकने के प्रस्ताव के संबंध में क्या सरकार का कोई अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां):** (क) तथा (ख). भारत ने सदा ही इस बात पर जोर दिया है कि संबंधित दलों को अणु तथा उद्जन बम के परीक्षण बन्द कर देने चाहियें और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भारत पूर्ण प्रयत्न करता रहेगा। तुरन्त ही अग्रेतर कार्यवाही करने का तो कोई विचार नहीं है, परन्तु जब कभी भी कोई अवसर होगा हम अपने इस दृष्टिकोण पर जोर डालते रहेंगे कि सभी संबंधित दलों को ये परीक्षण बन्द कर देने चाहियें।

नेवेली लिगनाइट परियोजना

†*३७. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **उत्पादन** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८७१ के उत्तर के संबंध में नेवेली लिगनाइट अग्रिम परियोजना की वर्तमान स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी):** प्रारम्भिक जांच का काम अब बहुत अधिक हद तक पूरा कर लिया है। अन्तिम जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या लिगनाइट मेखला के नीचे भूमि के जल को पर्याप्त मात्रा में पम्प द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पम्प द्वारा जल निकलाने के इन परीक्षणों के लिये अपेक्षित पम्प कूप, अवलोकन कूप (आबजर्वेशन वैल) तथा "रेकार्डर' छिद्रों के संबंध में छिद्र करने और आवरण (केसिंग) का कार्य पूरा कर लिया गया है और पम्प कूप का विकास संबंधी कार्य पूरा होने के करीब है। मद्रास से भेजे गए दो विशाल जनित्र वहां पर लगाये जा चुके हैं और अब परीक्षण के लिये अपेक्षित विद्युत शक्ति प्राप्य है और यह आशा की जाती है कि फरवरी के अन्त तक परीक्षण कार्य आरम्भ हो जायेगा। परीक्षणों में १०० दिन लग जायेंगे और जून में परिणाम प्राप्य हो सकेंगे।

इस बीच सर्वतोमुखी परियोजना को लागू करने के लिये अपेक्षित प्रारम्भिक योजना तैयार है ताकि यदि पम्प से जल निकालने का परीक्षण सफल रहे तो लिगनाइट निकालने, बिजली पैदा करने आदि के संबंध में कम से कम संभव समय में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

†*३८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गवर्नमेंट हाऊसिंग फैक्टरी' के शेष फालतू स्टोर को अब तक बेचा जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई विशेष कर्मचारी रखे हुए हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के संबंध में ब्योरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) यद्यपि अभी तक सारे स्टोर को बेचा तो नहीं जा सका है, तथापि उस संबंध में कार्यवाही पूरी कर ली गई है; केवल १,९०,००० रुपये के मूल्य के स्टोर का निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९]**

दिल्ली में भूतपूर्व अपराध जीवी आदिम जातियां

†*३९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गए तारांकित संख्या ५८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार, दिल्ली में रहने वाले भूतपूर्व अपराध जीवी आदिम जातियों के संबंध में डा० पी० सी० विश्वास के अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन को कब तक प्रकाशित करने का विचार रखती है; और

(ख) इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) तथा (ख). १० फरवरी, १९५६ को डा० विश्वास से संशोधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और उस पर विचार किया जा रहा है । इसके प्रकाशन के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

अखबारी कागज

†*४० **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९५५-५६ की अवधि में अखबारी कागज का कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) इसी अवधि में विदेशों से कितना अखबारी कागज मंगवाया गया ; और

(ग) भारत में जिस कच्चे माल का उपयोग हुआ क्या वह सारा स्वदेशी था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) २,३७४ टन (३१ दिसम्बर, १९५५ तक)

(ख) ३८,२७९ टन (अक्तूबर तक)

(ग) जी हां, सिवाय रासायनिक गूदा के जो कि अभी हाल तक विदेशों से आता रहा है ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

†*४७. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **श्रम** मंत्री राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने के संबंध में २५ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस विषय में कोई अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार रखती है ।

†**श्रम मन्त्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : जी, हां । हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि जितना शीघ्र संभव हो सके अधिनियम को अग्रेतर लागू करने के लिये कार्यवाही करें ।

चावल का आयात और निर्यात

†*६१. **श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५५ में भारत से कितना चावल विदेश भेजा गया था और उसका मूल्य क्या था; और

(ख) भारत में विदेशों से कितना चावल मंगवाया गया था और उसका मूल्य क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) १९५५ में भारत से ९८,७८७ टन चावल, जिसकी कीमत ५५१.३८ लाख रुपये थी , विदेश भेजा गया ।

(ख) १९५५ में भारत में २.६५ लाख टन चावल, जिसकी कीमत १७८५ लाख रुपये थी, विदेश से मंगवाया गया ।

कृषि गवेषणा पत्रिकायें

†*६२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८२५-क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति और भारतीय केंद्रीय सुपारी समिति कोई पत्रिका प्रकाशित करती हैं ;

(ख) क्या ये पत्रिकायें प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती हैं; और

(ग) जिन पत्रिकाओं में गवेषणा के परिणाम होते हैं उन के नाम क्या हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) और (ख). भारतीय केंद्रीय नारियल समिति और भारतीय केंद्रीय सुपारी समिति अपनी मासिक पत्रिकायें अंग्रेजी, मलयालम तथा कन्नड़ भाषाओं में प्रकाशित करती हैं। केंद्रीय नारियल समिति द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका 'भारतीय नारियल पत्रिका' अंग्रेजी में भी प्रकाशित की जाती है ।

(ग) इन पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) इंडियन जर्नल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च,
(२) इंडियन जर्नल आफ वैटरिनरी साइंस,
(३) हार्टिकल्चरल एब्सट्रेक्ट्स,
(४) इंडियन फार्मिंग,
(५) खेती,
(६) धरती के लाल,
(७) राईस न्यूज टैलर,
(८) इंडियन काटन ग्रोइंग रिव्यू,
(९) इंडियन टोबेको।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन (अमृतसर)

†*६३. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के लिये हमारी रेलवे द्वारा क्या क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिये तथा अकाली दल और महापंजाब आन्दोलन के समर्थकों के सम्मेलनों के लिये भी १-२-५६ से १६-२-५६ तक के बीच के समय के लिये यातायात की भारी मांग पूरी करने के संबंध में जो विशेष प्रबंध किये गये उनमें से निम्न मुख्य थे:—

(१) विशेष रेलगाड़ियां चलाना और नियमित गाड़ियों द्वारा अधिक यात्री ले जाये जाने की व्यवस्था करना; और

(२) अमृतसर में टिकट खरीदने व सीट रिजर्व कराने, सामान आदि बुक कराने के अतिरिक्त कार्यालय और अतिरिक्त जलपान गृह खोलने, अतिरिक्त पर्यटक पथ प्रदर्शक और

---

†मूल अंग्रेजी में

लाइसेंस वाले कुलियों को नियत करने, और सफाई के प्रबंधों और पीने के जलपान के सम्भरण में सुधार करने, जैसी विशेष सुविधाओं की व्यवस्था ।

उखाड़ी गई रेलवे लाइनें

†*६४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में कितने मील लम्बी उखाड़ी गई रेलवे लाइनें फिर से बिछाई गई ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां):** ७९.२२ मील ।

शीतोष्ण-नियंत्रित रेलगाड़ियाँ

†*६५. **श्री राधा रमण :**
श्री भागवत झा आजाद :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री जी० एल० चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बे फासले की यात्रा के लिये मध्य मार्ग द्वारा जुड़ी हुई शीतोष्ण नियंत्रित रेलगाड़ियों के संबंध में अपना अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब लागू किया जायेगा और ऐसी गाड़ियां किन लाइनों पर चलाई जायेंगी;

(ग) इन गाड़ियों में जो किराया लिया जायेगा क्या उसमें कोई अन्तर होगा; और

(घ) यदि हां, तो कितना अन्तर होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) अक्तूबर १९५६ से प्रयोगात्मक रूप में मध्य मार्ग द्वारा जुड़ी हुई एक शीतोष्ण नियंत्रित रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ।

(ख) से (घ). यह विषय विचाराधीन है ।

अलमोड़ा में तार घर

†*६६. **श्री बी० डी० पांडे :** क्या **संचार** मंत्री १६ दिसम्बर १९५५ को अलमोड़ा जिले में तार घर खोले जाने के संबंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से क्या प्रत्याभूति (गारंटी) मांगी गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर):** पांच वर्ष के लिये २,९५९ रुपये प्रति वर्ष मांगे गये हैं। तथापि प्रत्याभूति (गारंटी) की यह राशि अस्थायी रूप से निश्चित की गई है और निर्माण के वास्तविक खर्च के अनुसार इस में फेरबदल हो सकती है ।

रेल यात्रियों के लिए सुविधायें

†*६७. **श्री इब्राहीम:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३०० मील और उससे अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये रक्षित तृतीय श्रेणी के डिब्बों में दूसरे लोगों को न बैठने देने और अधिकृत रूप से बैठने वालों को दंड देने के लिये आजकल क्या प्रबंध है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां):** लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये रक्षित प्रत्येक डिब्बा एक विशेष टी० टी० के प्रभार में होता है जिसका काम यह ध्यान रखना होता है कि उस डिब्बे में थोड़ी दूर का कोई यात्री यात्रा न करे। यदि कोई थोड़ी दूर का यात्री उस

---

†मूल अंग्रेजी में

डिब्बे में यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो टी० टी० को प्राधिकार है कि वह ऐसे यात्री को उस डिब्बे से उतार कर किसी और डिब्बे में बैठा दे। यदि यात्री उसकी बात मानने से मना करे तो भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा १०९ के अन्तर्गत उस पर अभियोग चलाया जा सकता है।

दन्त विद्या में प्रशिक्षण

†*६८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि देश में दन्त विद्या संबंधी उच्च और विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: आजकल ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी, दन्त विद्या में मूल प्रशिक्षण के प्रसार की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा रहा है।

अंदमान में सड़कें

†*६९. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **परिवहन** मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्दमान और निकोबर द्वीपों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने मील लम्बी सड़कें बनाने का विचार है; और

(ख) कितने पुल बनाये जायेंगे और उत्तर व दक्षिण अन्दमान को सड़क द्वारा मिलाने के लिये कितनी नौका (फैरी) सेवाओं का प्रबंध किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) अन्दमान और निकोबार द्वीपों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। प्रारूप योजना में १६४ मील लम्बी नई सड़कों के निर्माण की व्यवस्था है।

(ख) उचित सर्वेक्षण हो जाने के बाद ही अपेक्षित जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। लगभग चौथाई लम्बाई का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है और आगामी कुछ वर्षों में लगभग आधी लम्बाई का सर्वेक्षण करने का विचार है।

भटिंडा-दिल्ली रेलगाड़ियों में भोजन व्यवस्था

†*७०. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर रेलवे की भटिंडा-दिल्ली यात्री गाड़ियों में भोजन आदि की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) भटिंडा-दिल्ली भाग (सैक्शन) में यात्रियों के लिये भोजन आदि का संतोषजनक प्रबंध है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेक्सौल में हवाई अड्डा

†*७१. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार चम्पारन जिले में रेक्सौल में एक हवाई अड्डा बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में कितना समय लगेगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आशा है कि धावन-मार्ग (रनवे) १९५७-५८ में और इमारत १९५८-५९ में पूर्ण हो जायेगी ।

रामपुर-हलद्वानी रेल सम्पर्क

†*७२. **श्री बी० डी० पांडे** : क्या **रेलवे** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर और हलद्वानी के बीच प्रस्तावित बड़ी लाइन के परिमाप के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य किस तारीख तक पूर्ण हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रामपुर से लालकुआ तक की लाइन के संबंध में यातायात सर्वेक्षण का कार्य अभी आरम्भ हुआ है और आशा है कि मई १९५६ के अन्त तक समाप्त हो जायेगा ।

'हिन्दुस्तान केबल्स लि०'

†१. **श्री इब्राहीम:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटिड' ने वर्ष १९५५ में विभिन्न ब्यौरों वाले कितने लम्बे केबल्स बनाये और उनका मूल्य क्या था ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि 'हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटिड' ने १९५५ में विभिन्न ब्यौरों के कितने लम्बे केबल्स बनाये । विक्रय मूल्य पर बातचीत हो रही है और शीघ्र ही इसका विनिश्चय हो जायेगा । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]**

पूर्वी बंगाल से आने वाले विस्थापित व्यक्ति

†२. **श्री एस० एम० घोष** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल से आये हुए कितने शरणार्थी आजकल पश्चिमी बंगाल में सरकारी शिविरों में रह र हैं;

(ख) पश्चिमी बंगाल में सरकारी शिविरों में न रहने वाले कुल कितने शरणार्थियों ने भूमि और गृह-निर्माण सुविधाओं की प्रार्थना की है;

(ग) पूर्वी बंगाल से आयि हुए कुल कितने विस्थापित किसानों को पुनः बसाया जाना है;

(घ) पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास के प्रयोजनार्थ कुल कितने एकड़ भूमि प्राप्य है और एकड़ानुसार उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी शिविरों का प्रशासन व्यय सहित मासिक औसत व्यय क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†३. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय रेशम बोर्ड के संस्थापन पर १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ में कितना व्यय हुआ; और

(ख) बोर्ड के सदस्यों को कुल कितना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया गया तथा बोर्ड के अधिकारियों को कितना यात्रा भत्ता और कितना दैनिक भत्ता का भुगतान किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२**]

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का सामूहिक निष्क्रमण

†४. { **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री गिडवानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रेस समाचार (**टाइम्स आफ इंडिया,** तारीख १० जनवरी, १९५६) में कोई सत्यता है कि भारत में पाकिस्तान के उच्च आयुक्त ने हमारी सरकार को एक ऐसी समिति बनाने का आमंत्रण दिया था जो पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के वास्तविक कारणों की जांच करे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पाकिस्तान के उच्च आयुक्त ने प्रेस को दिये गये एक वक्तव्य में यह सुझाव रखा था । भारत सरकार से ऐसी कोई बात नहीं की गई है । पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के वास्तविक कारणों से सरकार भली भान्ति परिचित है ।

हैदराबाद की दस्तकारियाँ

†५. **श्री हेडा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद में बिदरी और निर्मल दस्तकारियों के विकास के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: मशीनों के क्रम, दस्तकारों के प्रशिक्षण और विक्रय की व्यवस्था करने के लिये सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देकर इन दस्तकारियों के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

सरकारी विज्ञापन

†६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्री वर्ष १९५५ में सरकार ने विज्ञापनों पर कुल कितना धन व्यय किया ;

(ख) कितने समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन दिये गये ; और

(ग) भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में दिये गये विज्ञापनों पर कितना व्यय किया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) प्रदर्शन (डिसप्ले) विज्ञापनों पर ७,७४,६८७ रुपये और वर्गित (क्लासीफाईड) विज्ञापनों पर १२,९६,७४७ रुपये व्यय हुये । ये क्रमानुसार आंकड़े उन विज्ञापनों के मूल्य बताते हैं जो विज्ञापन तथा चित्रों द्वारा प्रचार के निदेशालय ने विभिन्न मंत्रालयों (रेलवे मंत्रालय को छोड़कर) और उनसे सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की ओर से पत्री वर्ष १९५५ में केन्द्रीय रूप में दिये थे ।

(ख) अंग्रेजी में ४२७—१२३ और प्रादेशिक भाषाओं में ३०४ ।

(ग) ३,७९,९६० रुपये प्रदर्शन विज्ञापनों पर और १,८९,७५४ रुपये वर्गित विज्ञापनों पर । वर्गित विज्ञापन, जो अधिकांशत: रिक्त पदों व स्थानों के विज्ञापन होते हैं, उच्चतर पदों के सम्बन्ध में होते हैं और आजकल अंग्रेजी के समाचारपत्रों को दिये जाते हैं क्योंकि उन विज्ञापनों में अभिरुचि रखने वाले वर्ग के लोग मुख्यत: अंग्रेजी के ही समाचारपत्र पढ़ते हैं । अन्य पदों के विज्ञापन और अन्य प्रकार के विज्ञापन अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में बांटे जाते हैं ।

आकाशवाणी के संगीत निर्माता

†७. **श्री वीरस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दक्षिण भारतीय केन्द्रों में संगीत निर्माता नियुक्त किये गये हैं या किये जा रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उनकी वेतन श्रेणियां क्या हैं ?

†**सचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** ; (क) जी, हां ।

(ख) उनकी कोई वेतन श्रेणी नहीं है । संगीत निर्माताओं की नियुक्ति ऐसे पारिश्रमिक पर होती है जो उनकी विशेषताओं और उन्हें करने के लिये दिये गये कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है ।

सुभाष चन्द्र बोस के भाषण

†८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों को परिरक्षित रखने के लिये उनके रिकार्डों को प्राप्त करने की कोई और कोशिश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी हां ।

(ख) कहा जाता है कि अंग्रेजी और बंगला में नेताजी के भाषणों के दो रिकार्ड (डिस्क) नेताजी के एक संबंधी के पास हैं । उन रिकार्डों से अन्य रिकार्ड तैयार करने की दृष्टि से उन्हें लेने के लिये बात-चीत चल रही है ।

एक ऐसे चलचित्र का भी, जिसमें स्वयं नेताजी की आवाज है, पता लगा है और उससे अन्य रिकार्ड तैयार करने के लिये उस चलचित्र को प्राप्त करने के लिये भी कोशिश की जा रही है ।

प्रतिकर

†९. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले उत्तर के बाद ३१ जनवरी, १९५६ तक विस्थापित लोगों ने प्रतिकर के लिये कितने प्रार्थनापत्र दिये हैं ;

(ख) प्रमाणित दावों के संबंध में कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त होने की आशा थी ; और

(ग) बाद में ऐसे कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए जिनके लिये विलम्ब से प्राप्त होने की माफी दे दी गई ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २८-१-५६ तक २,२६१ ।

(ख) ३,९०,००० ।

(ग) २७-९-५५ से २८-१-५६ तक ७,३२६ ।

बी० सी० जी० के टीके

१०. **श्री एच० आर० नथानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अब तक कितने व्यक्तियों को बी० सी० जी० का टीका लगाया जा चुका है ; और

(ख) सरकार ने बी० सी० जी० के टीके लगाने में अब तक कितना धन व्यय किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) १९५५ के अन्त तक २,२६,२४,७५४ व्यक्तियों को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया ।

(ख) बी० सी० जी० टीके के प्रोग्राम पर १९५५-५६ के अन्त तक का खर्च लगभग इस प्रकार है :—

केन्द्रीय सरकार—२२.०६ लाख रु०

राज्य सरकारें—१२१.८१ लाख रु०

---

†मूल अंग्रेजी में

वन लगाना

११. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** १३ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विमानों की सहायता से कितनी बार वृक्षारोपण किया गया है और उस पर कितना व्यय हुआ ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए. पी. जैन) : राजस्थान सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी ।

पेप्सू में सड़क-विकास

†१२. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी सड़कों का निर्माण करने के लिये १९५१ से १९५६ तक पेप्सू राज्य के लिये कुल कितना ऋण और वित्तीय सहायता नियत की गयी है ;

(ख) उपरोक्त नियतन के फलस्वरूप पेप्सू राज्य सरकार द्वारा कुल कितने मील लम्बी नयी सड़कों के निर्माण की योजना बनायी गई है ; और

(ग) क्या नियत की गयी कुल राशि का उपयोग किया गया है या नहीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ५६.५७ लाख रुपये ।

(ख) ११० मील ।

(ग) जी नहीं ।

एयर इंडिया इंटरनेशनल

†१३. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल के भारत से बाहर स्थित कार्यालयों में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की पत्नियों को वर्ष में एक बार निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसी प्रकार के संस्थानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के पतियों को भी इसी प्रकार की रियायत क्यों नहीं दी जाती ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) यह रियायत इस समय पुरुष कर्मचारियों के आश्रितों को ही उपलब्ध है । इस प्रश्न पर, कि क्या महिला कर्मचारियों के आश्रितों को भी यह रियायत दी जानी चाहिये, अभी विचार किया जा रहा है ।

रेलवे के तार-सिगनेलर

†१४. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के प्रत्येक ज़ोन (प्रदेश) में १९५३ से १९५५ तक कुल कितने तार-सिगनेलर सेवायुक्त थे ;

(ख) १९५३ से १९५५ तक प्रत्येक सिगनेलर को वर्ष में औसतन कुल कितने संदेशों को निपटाना पड़ा ;

(ग) क्या वर्त्तमान कर्मचारी रेलवे के तार संदेशों के बढ़ते हुए परिमाण को निपटा सकने की स्थिति में हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना बनायी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) वर्त्तमान यातायात के लिये कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है।

(घ) कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान वार्षिक भरती के समय लगाया जाता है। जिन अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में रखा जायेगा।

कोयला-खानों में दुर्घटनायें

†१५. **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति हताहत हुये ; **और**

(ख) इनमें स्त्रियों की संख्या कितनी थी ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क)

	मृत	घायल हुए
	३०५	२८३४

(ख)

	मृत	घायल हुईं
	१३	७७

डाक और तार कर्मचारी

†१६. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिये खेलने के कुल कितने मैदान हैं;

(ख) यह खेल के मैदान किन स्थानों पर स्थित हैं और खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) उनके रख-रखाव पर १९५५ में कुल कितना धन व्यय किया गया ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). यह सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

रेलों का विकास

१७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के किन किन पिछड़े क्षेत्रों में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नई रेलवे लाइनें बनाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : दूसरी पंचवर्षीय योजना में नयी रेलवे लाइनें बनाने के जो सुझाव राज्य सरकारों से आये हैं उन पर अभी रेलवे बोर्ड में छानबीन की जा रही है। इस सम्बन्ध में अन्तिम फैसला अभी नहीं हुआ है।

पंजाब में परती भूमि

†१८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५५ में कुल कितनी खेती करने योग्य परती भूमि थी; और

(ख) उक्त राज्य में, १९४९ से लेकर १९५५ तक प्रतिवर्ष इस प्रकार की कितनी भूमि पर खेती की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४**]

टेलीफोन कनेक्शन

†**१९. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी दिल्ली में टेलीफोनों के कनेक्शन के कितने आवेदनपत्र विचाराधीन हैं ; और

(ख) इस समय टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) १,६०६।

(ख) ९,०१९ मुख्य और ४,८४८ एक्सटेंशन।

मेडिकल कालिज

†**२०. श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने मेडिकल कालिज खोलने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यह कालिज किन स्थानों में खोले जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६ मेडिकल कालिज खोलने की प्रस्थापना है।

(ख) अभी यह निर्णय नहीं किया गया है कि यह कालिज किन स्थानों में खोले जायेंगे।

कोचीन एक्सप्रैस

†**२१. श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास से चलने वाली कोचीन एक्सप्रैस १९५५ में कितने दिन निर्धारित समय पर कोचीन टर्मिनस पर पहुंची ;

(ख) कितने दिन यह आधे घंटे से अधिक देर से टर्मिनस पर पहुंची ; और

(ग) कितने दिन यह एक घंटे से भी अधिक देर से पहुंची थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) २०९ दिन।

(ख) ५३ दिन।

(ग) २६ दिन।

विमान दुर्घटनायें

†**२२. श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पंजीबद्ध विमानों द्वारा संचालित अनुसूचित और अननुसूचित उड़ानों में १९५५ में कुल कितनी दुर्घटनायें हुई थीं ;

(ख) इनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए :

(१) चालकों में,

(२) यात्रियों में ;

(ग) कितने मामलों में दुर्घटनायें :

(१) मशीन की खराबी,

(२) चालकों की गलती से हुईं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक थाम रखने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है, या करने की प्रस्थापना है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) (१) अनुसूचित उड़ानों में ६

(२) अनुसूचित उड़ानों में ५

जोड़ ११

	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
(ख) (१) चालकों में	१५	४
(२) यात्रियों में	१७	कोई नहीं
(ग) (१) मशीन की खराबी से		कोई नहीं
(२) चालकों की गलती से ; और		१०

एक दुघटना तोड़ फोड़ के कारण हुई थी ।

(घ) विमान दुर्घटनाओं की रोक थाम करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियां एक विवरण में बताई गई थीं, जो २८ फरवरी, १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर में लोक-सभा पटल पर रखा गया था । उसमें मैं यह बात और जोड़ दूं कि विमान दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये नागरिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती है । दुर्घटनाओं के प्रति-वेदनों का सावधानी से अध्ययन किया जाता है और चालक वर्ग में दुर्घटनाओं की मुख्य विशेषताओं का व्यापक प्रचार किया जाता है जिससे कि उनको सामान्य और असामान्य गलतियों के प्रति सतर्क किया जा सके । विमानों के विवश होकर उतरने अथवा विमानों द्वारा पूर्वोपाय के रूप में उतरने की घटनाओं पर भी निगरानी रखी जाती है । इंजन की किसी ऐसी खराबी की, जिसके कारण विमान को विवश होकर अथवा पूर्वोपाय के रूप में उतरना आवश्यक हो गया हो, यह देखने के लिये कि यह घटना त्रुटिपूर्ण रख-रखाव के कारण हुई थी अथवा इंजन के ही किसी भाग की खराबी के कारण हुई थी, साव-धानीपूर्वक जांच की जाती है । रख-रखाव के स्तर का कड़ाई से पालन कराने की दृष्टि से, आपरेटरों द्वारा किये जाने वाले रख-रखाव की सरकारी निरीक्षकों द्वारा सीधे देख-रेख किये जाने की व्यवस्था भी चालू कर दी गयी है ।

टेलीफोन कनेक्शन

†२३. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितने नये टेलीफोन कनेक्शन देने की प्रस्थापना की गयी है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर):** लगभग १,८०,००० ।

डाक घर

†२४. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में कितने मुख्य डाक घरों को उप डाक घरों में परिवर्तित किया गया ; और

(ख) इस परिवर्तन के क्या कारण थे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख): मांगी गयी सूचना डाक-सर्किलों के प्रधानों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में गंदी बस्तियों की समाप्ति

†२५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली में गंदी बस्तियों की समाप्ति के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय किया जाने को है ;

(ख) दिल्ली के किन इलाकों से यह गन्दी बस्तियां हटायी जायेंगी ; और

(ग) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत प्रस्थापना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर):** (क) ८२१ लाख रुपये, जिसमें से ३०८ लाख रुपये गन्दी बस्तियों को समाप्त करने और क्षेत्रों को विकसित करने के लिये हैं, और शेष, ५१३ लाख रुपये सरकारी सहायता प्राप्त मकानों का निर्माण करने के लिये हैं ।

(ख) दो क्षेत्रों, अर्थात् दिल्ली-अजमेरी गेट और जमुना बाजार, को साफ करने की योजनायें चल रही हैं । अन्य इलाकों का चुनाव नगर नियोजन संगठन की सिफारिशों के अनुसार किया जायगा जिसकी स्थापना दिल्ली के लिये एक मास्टर-प्लान की रूपरेखा तैयार करने के लिये हाल ही में की गयी है ।

(ग) योजना आयोग ने किसी प्रस्थापना को विस्तृत रूप में स्वीकार नहीं किया है परन्तु यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने की दीर्घकालीन योजना का अर्थ ४० हजार से भी अधिक परिवारों को फिर से मकानों में बसाना होगा यह कार्य कई वर्षों में किया जा सकेगा । योजना आयोग ने इस कार्य के लिये दिल्ली सुधार प्रन्यास को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है ।

रेलवे में शिकायती पुस्तकें

†२६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-रेलवे के स्टेशनों पर रखी गई शिकायती पुस्तकों में १९५४-५५ और १९५५-५६ में अब तक कुल कितने व्यक्तियों ने अपनी शिकायतें लिखी हैं ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी

बिजली की रेल की लाइनें

†२७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में १९५५ में कुल कितने मील लम्बी लाइन पर बिजली से रेलें चलती थीं ;

(ख) उस वर्ष में किन मुख्य लाइनों पर बिजली लगाई गई ;

(ग) १९५६-५७ में रेलवे लाइनों पर बिजली लगाने का क्या कार्यक्रम है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) भारतीय रेलों में बिजली लगी हुई पटरी और रेलवे लाइन की कुल लम्बाई क्रमशः ६०१ और २४० मील है ।

(ख) पश्चिमी रेलवे की अंधेरी और बोरीवली के बीच मुख्य लाइन (दोहरी पटरी) के लगभग ८ मील लम्बे टुकड़े पर, १९५५ में यातायात आरम्भ किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) हावड़ा बरदवान मुख्य लाइन और तारकेश्वर शाखा पर वह निर्माण कार्य हो रहा है जिसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। बिजली लगाने की एक ही और परियोजना है जिसकी मंजूरी दी हुई है, वह है दक्षिण रेलवे पर मद्रास से ताम्बरम मुख्य लाइन और ताम्बरम से विलूपूरम लाइन पर बिजली लगाने का काम।

चीनी के कारखाने

†२८. **सरदार इकबाल सिंह:** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चीनी के कारखाने किन स्थानों पर हैं ;

(ख) उनका कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) राज्य में चीनी का वार्षिक औसत उपभोग कितना होता है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) केवल एक कारखाना यमुना नगर में है जिस में इस समय उत्पादन हो रहा है। परन्तु रोहतक और भोगपुर में दो और कारखाने लगाने की अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं। पानीपत में भी एक कारखाना लगाने के लिये एक सहकारी संस्था को अनुज्ञप्ति देने की सिफारिश की गयी है।

(ख) १९५४-५५ में १९,९८६ टन। जो तीन कारखाने बन रहे हैं, उनके उत्पादन आरम्भ करने पर वार्षिक उत्पादन ५२,००० टन हो जायगा।

(ग) लगभग १,१०,००० टन।

रोज़गार दफ्तर

†२९. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री पी० सी० बोस :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने व्यक्ति नौकरी के लिये पंजीबद्ध हुए और उनकी श्रेणियां क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कितने लोगों को नौकरी दिलाई गई ;

(ग) गत वर्ष की तुलना में बेरोजगार और रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई ; और

(घ) काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने लोगों को गैर सरकारी स्थानों में काम दिलाया ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)**: (क) जनवरी १९५६ की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। ३१-१२-१९५५ तक चालू पंजी में पंजीबद्ध लोगों की श्रेणी अनुसार संख्या लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५**]

(ख) और (ग). 'ख' और 'ग' नाम के दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं।

(घ) वर्ष १९५५ में काम दिलाऊ दफ्तरों ने ३९,९६५ लोगों को गैर सकरारी क्षेत्र में। जिसमें गैर-सरकारी सार्थ और अर्द्ध सरकारी निकाय सम्मिलित हैं। काम दिलाया। गैर सरकारी सार्थों में लगाये गये लोगों के सबंद्ध में पृथक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६]

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१–२१
४१	दिल्ली में पीलिया रोग	१–४
४२	दिल्ली उपनगर रेलवे सेवा	४
४३	हथुआ से कटिया थाना तक रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे)	४–५
४४	वेल्लोर कांजीवरम रेलवे लाइन	५–६
४५	पिथौरागढ़ डाकघर भवन	६
४६	क्षयरोग की रोकथाम	६–८
४८	रेलवे स्टेशनों पर हिन्दी साइनबोर्ड ...	८–९
४९	दूर-संचार ...	९
५०	अनाज के मूल्य ...	९–१३
५१	बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१३–१५
५२	दिघवारा स्टेशन पर प्रतीक्षालय	१५
५३	नौवहन	१५–१६
५५	चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना ...	१६–१७
५६	रेलों का विकास ...	१७
५७	देसी औषधि सम्बन्धी समिति	१८
५८	न्यूटन चिकली तथा अम्लाबाद की कोयला खानें	१८–२०
५९	कोयला क्षेत्रों में अस्पताल ...	२०
६०	रेलों को क्षति	२०–२१
	अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	
	पुर्तगाली सैनिकों द्वारा अनधिप्रवेश	२१–२३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२३–४०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का भारी संख्या में आना ...	२३–२४
२	अलोह धातुओं का उद्योग	२४
३	विस्थापित व्यक्तियों के गड़े हुए खजाने ...	२४
४	फिल्म गोष्ठी	२४–२५
५	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ...	२५
६	रेशम के कीड़े पालना	२५
७	हथकरघा उद्योग	२५–२६

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
८	पुर्तगाल का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को अभ्यावेदन	२६
९	पैनिसिलिन	२६
१०	औद्योगिक प्रबन्ध पदाली-वर्ग ...	२६–२७
११	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ...	२७
१२	अणु गवेषणा सम्बन्धी पुस्तक संग्रह	२७
१३	श्री सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच करने के लिये समिति	२८
१४	भारत-सूडान राजनीयक सम्बन्ध	२८
१५	नमक उपकर ...	२८
१६	काश्मीर प्रिंसेस	२९
१७	चाय	२९
१८	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का सामूहिक निष्क्रमण	२९–३०
१९	समुद्र तट की मिट्टी का कटाव ...	३०
२०	आण्विक शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग ...	३०
२१	वस्त्र उत्पादन जांच समिति	३०
२२	भद्रावती में लोहे और इस्पात का कारखाना (मैसूर) ...	३१
२३	रेडियो स्टेशन को हानि ...	३१
२४	सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी	३१
२५	संयुक्त राष्ट्र संघ	३१–३२
२६	मूंगफली की खली और मूंगफली का तेल	३२
२७	पुर्तगाली जेलों में भारतीय	३२
२८	नमक	३२
३०	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण ...	३२–३३
३१	दिल्ली के ग्रामीणक्षेत्रों में निष्क्रांत सम्पत्तियां ...	३३
३२	केन्द्रीय रेशम बोर्ड ...	३३
३३	साबुन उद्योग की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता	३३–३४
३४	अलोह धातुएं	३४
३५	राज्य विधुत बोर्ड	३४
३६	उद्जन बम परीक्षण ...	३५
३७	नेवेली लिगनाइट परियोजना	३५
३८	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	३५–३६
३९	दिल्ली में भूतपूर्व अपराध जीवी आदिम जातियां	३६
४०	अखबारी कागज ...	३६
४७	न्यूनतम मजूरी अधिनियम ...	३६
६१	चावल का आयात और निर्यात	३६–३७

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
६२	कृषि गवेषणा पत्रिकायें	३७
६३	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन (अमृतसर)	३७–३८
६४	उखाड़ी गयी रेलवे लाइनें	३८
६५	शीतोष्ण-नियंत्रित रेल गाड़ियां	३८
६६	अलमोड़ा में तारघर	३८
६७	रेल यात्रियों के लिये सुविधायें	३८–३९
६८	दंत विद्या में प्रशिक्षण	३९
६९	अन्डमान में सड़कें	३९
७०	भटिंडा-दिल्ली रेलगाड़ियों में भोजन व्यवस्था	३९
७१	रक्सौल में हवाई अड्डा	३९–४०
७२	रामपुर-हलद्वानी रेल सम्पर्क	४०
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
१	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	४०
२	पूर्वी बंगाल से आने वाले विस्थापित व्यक्ति ...	४०
३	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	४०–४१
४	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का सामूहिक निष्क्रमण	४१
५	हैदराबाद की दस्तकारियां	४१
६	सरकारी विज्ञापन	४१
७	आकाशवाणी के संगीत निर्माता	४१–४२
८	सुभाष चन्द्र बोस के भाषण	४२
९	प्रतिकर	४२
१०	बी० सी० जी० के टीके ...	४२
११	वन लगाना ...	४३
१२	पेप्सू में सड़क विकास	४३
१३	एयर इण्डिया इन्टरनेशनल	४३
१४	रेलवे-तार के सिगनेलर	४३–४४
१५	कोयला खानों में दुर्घटनायें	४४
१६	डाक और तार कर्मचारी	४४
१७	रेलों का विकास	४४
१८	पंजाब में परती भूमि	४४–४५
१९	टेलीफोन कनेक्शन	४५
२०	मेडिकल कालिज	४५
२१	कोचीन एक्सप्रैस ...	४५
२२	विमान दुर्घटनायें ...	४५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
२३	टेलीफोन कनेक्शन	४६
२४	डाकघर	४६
२५	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की समाप्ति	४७
२६	रेलवे में शिकायती पुस्तकें	४७
२७	बिजली की रेल की लाइनें	४७–४८
२८	चीनी के कारखाने	४८
२९	रोजगार दफ्तर	४८

M1LSD-190-22-4-57-GIPF

खण्ड १ — अंक ३
१७ फरवरी, १९५६, (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेधनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका ...	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना –	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक ...	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ...	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४--शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १--२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १--२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १--२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १--९ और अनुसूची १--३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१९
खंड १--२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६
संख्या ५--सोमवार, २० फरवरी, १९५६	
आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६---मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक--रायें १९०
राज्य-सभा से संदेश १९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१
प्राक्कलन समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक--
खण्ड १९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७---बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव--
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२
समिति के लिये निर्वाचन--
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१
दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८---गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९---शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९
राज्य-सभा से सन्देश ३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७
खण्ड २ और १ ... ३७७
पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)--
विचार करने का प्रस्ताव ३८६-४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४०१-०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७-०८

संख्या १०--सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९-१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९-२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति--
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१-२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४२२-२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४-६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४-६५

संख्या १२--बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८-८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९-९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२-५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०-३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६-९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३-९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५-६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं
की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३-३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७-३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ... ६३९

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६३९–६८

खण्ड २ से १६ और १ ६६८–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६७७–७८

दैनिक संक्षेपिका ६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

१२·०६ म० प० (**देखिये** भाग १)

स्थगन-प्रस्ताव

मनीपुर राज्य में गोली चलाया जाना

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रिशांग किशिंग ने बिशनपुर (मनीपुर राज्य) के निवासियों पर पुलिस द्वारा दिनांक १२-२-५६ को गोली चलाये जाने जिसमें सात की मृत्यु हो गई और नौ घायल हुए हैं के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह सूचना उन्हें कहां से मिली है ?

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : यह समाचार तेरह तारीख के तमाम समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। मेरे पास मनीपुर से एक पत्र भी आया था। दोनों में एक ही बात कही गई थी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)** : मेरे विचार से तो यह प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी, मैं लोक-सभा को समस्त तत्सम्बन्धी सूचना देता हूं। वास्तव में, मुझे इस घटना की सूचना इस प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने से पहले ही मिल गई थी और तभी मैंने मुख्यायुक्त से तत्काल ही इसकी जांच-पड़ताल करने के लिये एक ज़िम्मेदार अधिकारी को भेजने के लिये कह दिया था। उस ने ऐसा कर दिया है। इस समय मेरे पास अभी पूरे तथ्य नहीं पहुंचे हैं वह प्रतिवेदन मुझे यथासमय मिल जायेगा और तब यदि आप चाहेंगे तो मैं वे तथ्य लोक-सभा के सामने पेश कर दूंगा। इस समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कब तक प्रतिवेदन के मिलने की आशा है ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मुझे आशा है कि एक सप्ताह में मिल जायेगा। आप जानते हैं कि मनीपुर देश के धुरपूर्वी भाग में है, और इस में कुछ समय लगेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने लोक-सभा-पटल पर एक ब्योरेवार विवरण रखना स्वीकार किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू भी कर दी है। इसलिये, मैं इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता हूं। हम आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम के १९५२-५३ और १९५३-५४ के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परिक्षा प्रतिवेदन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं, श्री नन्दा की ओर से, दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत, इन प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) वर्ष १९५२-५३ के लिये दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०–१५/५६]**

(२) वर्ष १९५२-५३ के लिये दामोदर घाटी निगम का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०–१६/५६]**

(३) वर्ष १९५३-५४ के लिये दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०–१७/५६]**

(४) वर्ष १९५३-५४ के लिये, दामोदर घाटी निगम का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०–१८/५६]**

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दिखाने वाले एक विवरण को पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ । — लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५ ।
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५ । — लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५ ।
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११ । — लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५ ।
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५ । — लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५५ ।
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८ । — लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४ ।
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २५ । — लोक-सभा का छठवां सत्र, १९५४ ।
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३०। — लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३४। — लोक-सभा का चौथा सत्र. १९५३।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]

(९) अनुपूरक विवरण संख्या ४०। — लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]

(१०) अनुपूरक विवरण संख्या ३८। — लोक-सभा का दूसरा सत्र, १९५२।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेतालीसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं श्री सी० डी० देशमुख की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन हित में जीवन-बीमा व्यवसाय को उसके राष्ट्रीयकरण होने तक सरकारी अधिकार में से लेने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जन हित में जीवन-बीमा व्यवसाय को उस के राष्ट्रीयकरण होने तक, सरकारी अधिकार में ले लेने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

बिक्री-कर विधि मान्यीकरण विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं, श्री सी० डी० देशमुख की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान में वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर कर लगाने अथवा कर लगाने का अधिकार देने वाली राज्यों की विधियों को मान्यता देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के सूचना-पत्र असाधारण दिनांक १७-२-५६ के भाग २, विभाग २ के पृष्ठ— पर प्रकाशित।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान में वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर कर लगाने अथवा कर लगाने का अधिकार देने वाली राज्यों की विधियों को मान्यता देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं प्रस्ताव को पुर:स्थापित करता हूं ।**

पूंजी निर्गमन (नियंत्रण जारी रखना) संशोधन विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं, श्री सी० डी० देशमुख की ओर से प्रस्ताव करता हूं पूंजी निर्गमन (नियंत्रण जारी रखना) अधिनियम, १९४७ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पूंजी निर्गम (नियंत्रण जारी रखना) अधिनियम, १९४७ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

जीवन बीमा निगम विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं, श्री सी० डी० देशमुख की ओर से, प्रस्ताव करता हूं कि भारत में जीवन-बीमा व्यवसाय के लिये स्थापित निगम को इस प्रकार का सभी व्यापार हस्तांतरित करके जीवन-बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की तथा निगम के व्यवसाय का विनियमन तथा नियंत्रण करने और इससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में जीवन-बीमा व्यवसाय के लिये स्थापित निगम को इस प्रकार का सभी व्यापार हस्तांतरित करके जीवन-बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की तथा निगम के व्यवसाय का विनियमन तथा नियंत्रण करने और इससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के सूचना-पत्र दिनांक १७-२-५६ के भाग २, विभाग २ के पृष्ठ–पर प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत ।

लोक-सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से, मैं उस विधायिनी कार्यक्रम की घोषणा करने की अनुमति चाहता हूं जो कि अगले सप्ताह में, राष्ट्रपति के अभिभाषण से सम्बन्धित चर्चा के समाप्त हो जाने पर लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा :

(१) नौवहन नियंत्रण (संशोधन) विधेयक ।

(२) पूंजी निर्गम (नियंत्रण जारी रखना) संशोधन विधेयक ।

(३) बिक्री-कर विधियां (मान्यीकरण) विधेयक ।

(४) जीवन-बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक ।

(५) जीवन-बीमा निगम विधेयक ।

इसमें से अन्तिम विधेयक दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिये होगा ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : यदि हम किसी दोष के कारण किसी विधेयक विशेष के पुरःस्थापित किये जाने ही का विरोध करना चाहें तो हम कैसे ऐसा कर सकते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं पहले भी यह बता चुका हूं । साधारणतया, प्रत्येक विधेयक की तीन अवस्थायें होती हैं : पुरःस्थापन अवस्था, विचार अवस्था और तीसरी है अन्तिम वाचन की अवस्था । लोक-सभा किसी भी विधेयक को रद्द कर सकती है । यद्यपि यह एक परम्परा है कि पुरःस्थापन अवस्था में किसी विधेयक को अस्वीकार नहीं किया जाता है, पर इसके विपरीत भी कभी-कभी किया गया है । विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को उपलब्ध करा देने के बाद ही उसे लोक-सभा के सामने लाया जायेगा । फिर वे यदि उसका अध्ययन करने के बाद उसका विरोध करना चाहें तो यह अवसर दिया जायेगा । इसकी प्रतियां सभी सदस्यों को दे दी जायें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

जीवन-बीमा (आपात उपबन्ध) अध्यादेश १९५६ के जारी करने के कारणों का विवरण

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं, श्री सी० डी० देशमुख की ओर से, प्रक्रिया नियमों के नियम ८९ (१) के अन्तर्गत, जीवन-बीमा (आपात उपबन्ध) अध्यादेश संख्या १, १९५६ जारी करने के कारणों के विवरण की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**

विशेषाधिकार का प्रश्न

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं जान सकता हूं कि कल जिस विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना दी गई थी, उस का क्या हुआ ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : गृह-कार्य मंत्री मामले पर विचार कर रहे हैं, और उसके लिये कोई तिथि निश्चित की जायेगी । आपको सुविधा हो, तो आप उसे कल भी रख सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : गृह-कार्य मंत्री के पास से पत्रादि के आते ही मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो कोई तिथि भी निश्चित कर दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और आगे संशोधत करने वाले तथा भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम, १९५१ में कुछ आनुषंगिक करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

आप जानते हैं कि संविधि-पुस्तक में दो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हैं—पहला १९५० का और दूसरा १९५१ का । वास्तव में, वे ही हमारी निर्वाचन विधि के आधार हैं । कहा जा सकता है कि सन् १९५० का पहला अधिनियम निर्वाचन की प्रारम्भिक अवस्था से सम्बन्धित मामलों के बारे में है । उसमें ऐसे विषय लिये गये हैं जैसे विभिन्न राज्यों के विधान-मंडलों और संसद् की दोनों सभाओं में सीटों का नियतन, और ऐसे निर्वाचनों के लिये मतदाताओं की अर्हता । उसी विधेयक में मतदाता सूचियों को तैयार करने और इन विषयों से सम्बन्धित मामले भी आ जाते हैं । १९५० के अधिनियम में पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी शामिल था, लेकिन अब उसके लिये एक अलग अधिनियम बन गया है—परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ हमारा यह वर्तमान विधेयक १९५० के उस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के ही बारे में है ।

पिछला आम चुनाव एक अनूठा निर्वाचन था । उसमें पहली बार व्यस्क मताधिकार को आधार माना गया था और इससे लगभग १८ करोड़ स्त्री-पुरुषों को मत देने का अधिकार मिला था । इस प्रकार का कहीं भी कोई उदाहरण नहीं मिलता । देश में और देश के बाहर भी ऐसे अनेक व्यक्ति थे जिन्हें इस परीक्षण की सफलता में संदेह था । लेकिन, वह एक शानदार सफलता सिद्ध हुआ । इस सफलता का कुछ श्रेय संसद् द्वारा १९५० और १९५१ में पारित की गई निर्वाचन विधि और उसके लिये बनाये नियमों को भी दिया जाना चाहिये । फिर भी, पिछले आम चुनाव और बाद के चुनावों के अनुभव से हमें उसकी कुछ त्रुटियां भी ज्ञात हुई हैं, और उन्होंने ही हमें वह रास्ता भी दिखाया है जिसके द्वारा हम इस विधि को संशोधित करके इसकी उद्देश्य-प्राप्ति के लिये इसे और अधिक उपयुक्त बना सकते हैं ।

वर्तमान विधेयक इसी उद्देश्य से ३ अगस्त, १९५५ को इस लोक-सभा में पुरःस्थापित किया गया था । इस में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया था । उनमें से अधिकांश संशोधन आवश्यक होने पर भी अविवादास्पद थे, और इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव करते समय २० सितम्बर, १९५५ को मैंने इस लोक-सभा में इसका पूरी तौर से स्पष्टीकरण भी किया था । उन पर उस अवसर पर काफी सावधानी से विस्तृत चर्चा हुई थी ।

जिस प्रवर समिति को यह विधेयक सौंपा गया था और उसे इस लोक-सभा ने यह अधिकार दिया था कि वह विधेयक पर प्रस्तावित संशोधनों के बारे में ही नहीं, बल्कि उन संशोधनों के बारे में भी, जो उसे अधिनियम के लिये आवश्यक जान पड़े, विचार कर सकती है । इस मामले की पूरी तौर पर और विस्तृत छान-बीन कर लेने के बाद, प्रवर समिति मूल विधेयक में सुझाये गये लगभग सभी संशोधनों से सहमत हो गई है और उसने उनके अलावा मूल अधिनियम में कुछ और रूपभेद किये जाने का सुझाव भी दिया है ।

लोक-सभा के सदस्यों को यह स्मरण होगा कि पिछली बार मैंने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर दो भाषण दिये थे । इन दो भाषणों में मैंने उन परिवर्तनों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करने की कोशिश की थी जो हमारी निर्वाचन विधि में इन प्रश्नाधीन दो विधेयकों द्वारा किये जा रहे हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि विचाराधीन विधेयक, अर्थात् सन् १९५० के अधिनियम को संशोधन करने वाला विधेयक एक छोटा और अविवादास्पद विधेयक है इसलिये मैं प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों के बारे में ही कहूंगा। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि प्रवर समिति ने विधेयक को सामान्यतः स्वीकार कर लिया है और उसमें बहुत कम परिवर्तन किये हैं, माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति के प्रतिवेदन को अवश्य पढ़ा होगा और विधेयक में प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों को देखा होगा। परन्तु क्योंकि निर्वाचन एक बड़ा विस्तृत और रुचिकर विषय है इसलिये प्रवर समिति के प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करना असंगत न होगा।

प्रवर समिति ने अनुभव किया कि अगले सामान्य निर्वाचन से पहले १९५० के अधिनियम की धाराएं ६ और ९ के अन्तर्गत बनाये गये किसी संसदीय या विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों को परिसीमित करने वाले आदेश में परिवर्तन या संशोधन करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होगा। समिति ने यह भी अनुभव किया कि अधिनियम की धारा १३ की उपधाराओं (१) और (२) के उपबन्ध व्यर्थ हैं क्योंकि धारा ६ या ९ के अन्तर्गत कोई संसदीय अथवा विधान सभा के और धारा ११ के अन्तर्गत परिषद् के कोई नवीन निर्वाचन-क्षेत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विद्यमान परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों को परिसीमित करने वाले आदेशों में परिवर्तन या संशोधन करने की भले ही आवश्यकता पड़ जाये। अतः मूल अधिनियम की धारा १२ और १३ की उपधारा (३) में धारा ६ और धारा ९ की ओर जो निर्देश था उसे विधेयक के खंड ७ और ८ द्वारा निकाल दिया गया है और धारा १३ की उपधारा (१) और (२) को निकाल दिया गया है। इसका उल्लेख प्रतिवेदन की कंडिका ९ में किया गया है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि अगले सामान्य निर्वाचन और उसके बाद के निर्वाचनों के लिये नये परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमित कर दिये गये हैं।

खंड ९ : क्योंकि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि में विधान सभाई निर्वाचन-क्षेत्रों या उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बनाये गये निर्वाचकगण निर्वाचन-क्षेत्र सम्मिलित होंगे और क्योंकि किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां पृथक तैयार नहीं की जायेंगी या पुनरीक्षित नहीं की जायेंगी, इसलिये प्रस्तावित धारा १३ ख की उपधारा (१) में "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" की ओर किया गया निर्देश अनावश्यक होने के कारण निकाल दिया गया है।

खंड १५ : निर्वाचक-नामावलियां तैयार करने सम्बन्धी प्रस्तावित धारा २१ की उपधारा (२) के प्रथम प्ररन्तुक की भाषा को देखते हुए समिति ने उपधारा के दूसरे परन्तुक को अनावश्यक समझ कर निकाल दिया है।

यथा पुरःस्थापित विधेयक की प्रस्तावित धारा २३ में, जो उपधारा (४) में नामों को निर्वाचक-नामावलियों में सम्मिलित कराये जाने के बारे में है, यह उपबन्ध किया गया था कि यदि निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया कोई आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा चुका हो, तो निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है। प्रवर समिति ने यह विचार किया कि यदि निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी द्वारा कोई आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो तो उसकी अपील निर्वाचन आयोग के समक्ष नहीं बल्कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास की जानी चाहिये। इसके अनुसार समिति ने प्रस्तावित धारा २३ की उपधारा (४) में संशोधन कर दिया है।

खंड २४ : समिति ने अनुभव किया कि नियम बनाने की शक्ति से सम्बन्धित धारा २८ की उपधारा (२) के प्रस्तावित खंड (ज) के द्वारा केवल निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण करने का ही नहीं बल्कि इन नामावलियों को सही करने और उनमें नामों को सम्मिलित करने के बारे में नियम बनाने का भी निश्चित अधिकार दिया जाना चाहिये। अतः प्रस्तावित खंड (ज) का पुनः प्रारूपण कर दिया गया है।

[श्री पाटस्कर]

समिति ने यह भी अनुभव किया कि अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखे जाने चाहियें । अतः मूल अधिनियम की धारा २८ में एक नई उपधारा जोड़ दी गई है ।

प्रवर समिति ने इन कुछ थोड़े से परिवर्तनों का सुझाव दिया है । लोक-सभा यह देखेगी कि समिति ने विधेयक का प्रायः उसी रूप में अनुमोदन किया है, जिस रूप में कि यह ३ अगस्त, १९५५ को यहां पुरःस्थापित किया गया था ।

मैं अब इस के सम्बन्ध में प्रवर समिति और माननीय सदस्यों द्वारा किये गये सुझावों के बारे में कुछ कहूंगा । स्वयं प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका १५ में यह सुझाव दिया है कि मैं लोक-सभा में यह आश्वासन दूं कि निर्वाचन आयोग सब पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करने में राजनैतिक दलों और अन्य संघटनों का सहयोग प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा । अपने विमति टिप्पणों में श्री एस० एस० मोरे और श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा भी यही सुझाव दिया गया है । श्री एच० एन० मुकर्जी ने यह सुझाव देते हुये यह कहा कि :

"अब तक के अनुभव से पता चलता है कि नौकरशाही परम्पराओं का अन्त बड़ी कठिनाई से होता है और राजनैतिक दलों को, विशेषकर जो विरोधी दल में हों, इस प्रकार के सहयोग के अवसरों से वंचित किया जाता है ।"

प्रवर समिति द्वारा दिये गये इस सुझाव के पीछे जो प्रयोजन है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं । यद्यपि मैं इस के सम्बन्ध में श्री मुकर्जी के विचारों से सहमत नहीं हूं ।

†**श्री के० के० बसु** : (डायमण्ड हार्बर) : वे तथ्य हैं ।

†**श्री पाटस्कर** : आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनें ।

निर्वाचन आयोग ने स्वयं अपने प्रतिवेदन के पृष्ट ७५ पर जो कुछ लिखा है वह इस प्रकार है :

"**दलों द्वारा किया गया कार्य** : निर्वाचक-नामावलियां तैयार करने का काम स्वयं ही बहुत कठिन था और पात्र मतदाताओं की अनुभवहीनता और उपेक्षा के कारण कठिनाइयां और भी बढ़ गईं । सारा काम सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही किया गया और किसी भी ओर से कोई समर्थन या सहायता नहीं मिली । राजनैतिक दलों ने नामावलियां तैयार करने के काम में कुछ अधिक सहयोग नहीं दिया यद्यपि वे इस काम में काफ़ी सहायता दे सकते थे । केवल कुछ विस्थापित व्यक्तियों की संस्थाओं ने ऐसे व्यक्तियों की मतदाताओं में गिनती किये जाने की त्रुटियां बताईं, और उनके नाम दर्ज कराने के लिये दी गई विशेष सुविधाओं से लाभ उठाया । परिणाम यह हुआ कि उनमें से बहुत सों के नाम नामावलियों में रख लिये गये । यदि राजनैतिक दलों ने भी इसी प्रकार रुचि ली होती, तो निर्वाचक-नामावलियां और अधिक सन्तोषप्रद होतीं । आयोग को आशा है कि अगले सामान्य निर्वाचन से पहले राजनैतिक दल एक आवश्यक संघठन बना लेंगे और पंजीयन प्राधिकारियों को निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण करने में उन से अधिकाधिक सहायता और सहयोग प्राप्त होता रहेगा ।"

निर्वाचन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह टिप्पणियां दी थीं और इन से पता चलता है कि निर्वाचक-नामावलियां तैयार करने और उनके पुनरीक्षण के कार्य में आयोग राजनैतिक दलों और अन्य संघठनों का सहयोग प्राप्त करने के लिये कितना उत्सुक था और अब भी है । इस प्रतिवेदन से और निर्वाचन आयोग के इस बर्ताव से स्पष्ट पता चलता है कि श्री मुकर्जी ने अपने विमति टिप्पण में जो बातें कहीं हैं व किसी प्रकार भी उचित नहीं हैं । पिछला निर्वाचन इतने बड़े पैमाने पर किया गया प्रथम निर्वाचन था

†मूल अंग्रेजी में

और मैं आयोग की इस बात से सहमत हूं कि निर्वाचन-नामावलियों को तैयार करने सम्बन्धी सारा काम सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही किया गया था। उस समय की परिस्थितियों में, किसी राजनैतिक दल या संघठन से बहुत कम समर्थन अथवा सहायता प्राप्त हुई थी।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : कांग्रेस से भी नहीं ?

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : वह कोई राजनैतिक दल नहीं है, बल्कि सरकार है ?

†**श्री पाटस्कर** : मैंने पूछताछ की है और मुझे विश्वास हो गया है कि उस अवसर पर सरकारी शासन व्यवस्था चाहती थी कि जिस किसी दल से भी हो सके सहयोग प्राप्त करे। मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन से और न ही की गई पूछताछ से श्री मुकर्जी द्वारा लगाया गया यह आरोप, कि राजनैतिक दलों विशेषकर विरोधी दलों को सहयोग देने के अवसर से वंचित कर दिया गया था सिद्ध नहीं होता है। जहां तक मेरे लिये सम्भव हो सका मैंने इस बात की जांच की और मुझे खेद है कि विरोधी दल के एक सदस्य द्वारा ऐसी बात कही गई है। ऐसे मामले में विरोधी दल, कांग्रेस या किसी अन्य दल का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यह देखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम नामावलि में हो। जैसा कि मैं ने पहले ही कहा था कि कठिनाई का यह कारण था कि यह एक ऐसा महान कार्य था जिसमें लगभग मताधिकार का प्रयोग करने वाले १८ करोड़ व्यक्तियों की नामावलियां तैयार करनी थी और प्रथम बार इतने बड़े पैमाने पर यह कार्य पहली ही बार किया गया था। आप देखेंगे कि नामावलियां तैयार करने के काम में निर्वाचन आयोग बिना किसी भेद भाव के सभी राजनैतिक दलों और संघटनों से, जो इस कार्य में उसे सहयोग देना चाहें। सहयोग प्राप्त करने के लिये उत्सुक रहा है और है।

इस मामले का एक और पहलू भी हमें ध्यान में रखना चाहिये। निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद ३२४ के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्य करता है। उस अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद् और सब राज्यों के विधान मण्डलों के सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के काम की देखभाल, निर्देशन और नियन्त्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। संविधान के इस उपबन्ध के अन्तर्गत ही संसद् को ऐसे मामलों के बारे म अनुच्छेद ३२७ के अन्तर्गत विधि द्वारा व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है। कुछ कारणों से ही निर्वाचन आयोग को संविधान द्वारा देश में होने वाले निर्वाचनों की देखभाल, निर्देशन और नियन्त्रण के वारे में कार्य करने की स्वतन्त्रता दी गई है। संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि देश में निर्वाचन ठीक प्रकार से, स्वतन्त्र रूप से और उचित ढंग से हों। निर्वाचन आयोग की स्वतन्त्रता पर ही निर्वाचन की शुद्धता और उनका निश्पक्ष और उचित ढंग से सम्पन्न किया जाना निर्भर करता है। नामावलियों का तैयार करना ही सभी स्वतन्त्र और उचित निर्वाचनों का आधार होता है। यद्यपि निर्वाचक आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है और वह कार्यपालिका सरकार का एक विभाग नहीं है फिर भी मुझे विश्वास है और मैं बिना किसी संकोच के लोक-सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि निर्वाचन आयोग इस बात के लिये कि हमारी जनसंख्या के प्रत्येक अर्ह वयस्क का नाम निर्वाचक नामावलियों में पंजीबद्ध हो जाये सभी राजनैतिक दलों और संघठनों का सहयोग प्राप्त करने का निश्चय ही प्रत्येक संभव उपाय करेगा।

माननीय सदस्य श्री एस० एस० मोरे ने एक और सुझाव दिया है। वह यह कि निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिये एक विशेषकर तिथि निश्चित की जाये। इस सुझाव का समर्थन श्री एच० एन० मुकर्जी ने अपने विमति टिप्पण में भी दिया है। प्रवर समति ने अधिनियम की धारा १४

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

में संशोधन करना स्वीकार कर लिया है। इस संशोधन द्वारा विशेषक तिथि उस वर्ष की जिसमें नामावलि तैयार की जायेगी या पुनरीक्षित की जायेगी प्रथम मार्च होगी। माननीय सदस्य श्री एस० एस० मोरे ने सुझाव दिया है कि दो विशेषक तिथियां निश्चित की जायें। एक नामावलि तैयार करने के लिये और दूसरी मत देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिये जहां तक सम्भव हो मतदान की तिथि के निकट ही होनी चाहिये। संविधान का अनुच्छेद ३२६, जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। इस बात को स्पष्ट कर देता है कि वही व्यक्ति मतदाता के तौर पर पंजीबद्ध किया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो और जो इस सम्बन्ध में किसी उपयुक्त विधान मण्डल द्वारा बनाये गये विधान के अन्तर्गत अथवा द्वारा निश्चित की गई तिथि को २१ वर्ष की आयु से कम न हो। इससे स्पष्ट है कि इसका विवेचन इस प्रकार नहीं किया जा सकता है कि एक विशेषक तिथि उसे मतदाता के तौर पर पंजीयन के योग्य बनाने के लिये हो और दूसरी उसे मतदान करने का पात्र बनाने के लिये निश्चित की जाये। यह अनुच्छेद ३२६ के सिद्धान्त के भी प्रतिकूल है जिसमें यह उपबन्ध है कि किसी निर्वाचन में मत देने से पहले किसी भी नागरिक को मतदाता के तौर पर पंजीबद्ध होना चाहिये मेरी राय में यदि अनुच्छेद ३२६ का सही निर्वचन किया जाये तो दो विभिन्न प्रयोजनों के लिये दो विशेषक तिथियां निश्चित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करने में अधिकाधिक प्रशासनीय तथा अन्य कठिनाइयां होंगी। प्रवर समिति ने इस मामले पर काफी सोच विचार किया था और अन्त में उसने एक ही विशेषक तिथि निश्चित करने का निर्णय किया जैसा कि विधेयक में किया गया है।

यह विधेयक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में कुछ अत्यन्त आवश्यक तथा अविलम्बनीय प्रकार के संशोधन करने के लिये ३ अगस्त, १९५५ को लोक-सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक के खंड १ में यह उपबन्धित किया गया था कि अधिनियमित हो जाने पर यह १ जनवरी, १९५६ से लागू होगा। प्रवर समिति ने, जिसे दो विधेयक सौंपे गये थे, मुख्यतः इसी विचार से कि यह विधेयक १ जनवरी, १९५६ को विधि बनाया जा सके दूसरे विधेयक के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा न करते हुए इस विधेयक पर अपना प्रतिवेदन ६ दिसम्बर, १९५५ को ही प्रस्तुत कर दिया। परन्तु संसद् के ११वें सत्र में इस विधेयक को पारित न किया जा सका क्योंकि और भी अनेक ऐसे कार्य थे जिसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता था।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २ में दी गई संसद् और विधान सभाओं के निर्वाचन-क्षेत्रों की परिभाषाओं में परिसीमन आयोग द्वारा बनाये गये नये निर्वाचन-क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं। जब तक कि इन परिभाषाओं को इस प्रकार संशोधित नहीं किया जाता है कि उसमें नये निर्वाचन-क्षेत्र भी आ जायें, तब तक निर्वाचन आयोग नये निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता था और न इन निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये निर्वाचक-नामावलियां तैयार करने का कार्य आरम्भ कर सकता था।

वर्तमान लोक-सभा और बहुत सी राज्य विधान सभाओं की अवधि १९५७ के प्रारम्भ में समाप्त हो जायेगी। इसलिये निर्वाचक-नामावलियों को तैयार करने का काम १९५६ के आरम्भ में ही शुरू कर देना आवश्यक था। इन्हें तैयार करते समय संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये अलग-अलग नामावलियां बनाने में काम में होने वाली दोहरी व्यवस्था और खर्च को रोकना होगा क्योंकि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में विधान सभा के भी कुछ निर्वाचन-क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।

सात राज्यों की विधान परिषदों के द्विवार्षिक चुनाव भी फरवरी-मार्च १९५६ में होने हैं। यदि अधिनियम की धारा २७ में तत्काल कुछ संशोधन न किये गये, तो इस असंगति के पैदा हो जाने की संभावना हो जायेगी कि स्थानीय प्राधिकारों के नव-निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर वे लोग मत देंगे जो इन स्थानीय प्राधिकारों के सदस्य नहीं रहे थे, १९५४ में ऐसी ही असंतोषजनक स्थिति पैदा हुई थी और इस सम्बन्ध में सम्बद्ध राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारों द्वारा बहुत विरोध प्रकट किया गया था। स्नातकों और अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी विशेषक तिथि को १ अप्रैल के स्थान पर १ जनवरी

कर देना वांछनीय समझा गया था, ताकि अगली फरवरी-मार्च में जब कि निर्वाचक-क्षेत्रों से चुनाव करने के लिये कहा जायेगा, तो नामावलियां अद्यतन हों। इसी तरह मद्रास राज्य में श्रेणी १ की पंचायतों को भी उस राज्य के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों से अगले द्विवार्षिक चुनावों में भाग लेने के लिये समर्थ बनाना पड़ा था।

निर्वाचन आयोग प्रारम्भ से ही इस धारणा के अनुसार कार्य करता रहा था कि यह विधेयक १ जनवरी, १९५६ को अधिनियम बन जायेगा और तदनुसार राज्यों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों और निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों को निदेश देता रहा था।

इन परिस्थितियों में, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५५, जिसमें विधेयक के प्रवर समिति द्वारा सर्वसहमति से अनुमोदित कुछ उपबन्ध सम्मिलित हैं, प्रख्यापित किया गया था; ताकि विधान परिषदों के द्विवार्षिक चुनावों और अगले आम चुनावों को समय पर करने में कोई कठिनाई न हो। यह अध्यादेश १ जनवरी, १९५६ से लागू हुआ था।

एक विवरण जिसमें वे परिस्थितियां बताई गई हैं, जिनके कारण अध्यादेश को प्रख्यापित करना पड़ा था, लोक-सभा पटल पर रखा जा चुका है। अगले द्विवार्षिक चुनावों एवं साधारण चुनावों के लिये निर्वाचक नामावलियां तैयार करन के काम को तुरन्त शुरू कर देने के लिये "लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक-नामावलियों की तैयारी) नियम १९५६" के नाम से नये नियम बनाये गये थे। इन नियमों में लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक-नामावलियों की तैयारी) नियम, १९५० को निरसित कर दिया है।

पुर:स्थापन के बाद विधेयक जिन महत्वपूर्ण अवस्थाओं में से गुज़रा है, मैंने उन्हें स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है और मैं समझता हूं कि अग्रेतर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक सरल और प्राय: अविवादास्पद सा विधेयक है। पंडित ठाकुरदास भार्गव के सभापतित्व में प्रवर समिति ने इसकी पूर्णरूपेण जांच की है। जो भी निष्कर्ष किये गये हैं वह लगभग सर्वसहमति से किये गये हैं। श्री एस० एस० मोरे और श्री एच० एन० मुकर्जी ने अपने विमति टिप्पणों में जो सुझाव दिये हैं, मैं उनमें से कुछ की चर्चा कर चुका हूं। मुझे विश्वास है कि इन सुझावों के बारे में वह भी अब प्रवर समिति के अन्य सदस्यों से सहमति प्रकट करेंगे और इस विधेयक को बिना किसी विलम्ब के लोक-सभा की सर्वसहमति प्राप्त होगी। मैं लोक-सभा से अपने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये अनुरोध करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा के सामने है। इसके लिये कार्य-मंत्रणा समिति ने पांच घण्टे का समय रखा है। संशोधनों की संख्या को देखते हुए हम संक्षेप में कार्य करने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री एस० एस० मोरे** : यह दोनों विधेयक प्रवर समिति को सौंपे गये थे और दोनों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं। क्या इन दोनों विधेयकों को साथ-साथ सुविधाजनक नहीं होगा? चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया है कि एक ही निर्वाचन संहिता बनाई जाये जिससे कि लोग अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को समझ सकें। यदि दोनों विधेयकों को एक साथ लिया गया तो ऐसा करना संभव हो सकेगा।

†**श्री कामत** : परन्तु प्रख्यापित अध्यादेश को समय रहते मान्यता दी जानी है। यदि दोनों को एक साथ लिया गया तो देर लगने की संभावना है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : निर्वाचन आयोग की सिफ़ारिश को ध्यान में रखते हुए क्या इन दोनों को एक साथ लेना हमारे लिये सुविधाजनक नहीं होगा?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का विचार क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाटस्कर** : मैं अपने माननीय मित्र के कथन के आधारभूत सिद्धान्त से सहमत हूं । पिछली बार मैंने भी यही सुझाव रखा था परन्तु इस कारण एक कठिनाई उत्पन्न हो गई है कि प्रवर समिति द्वारा पारित कुछ उपबन्धों को अध्यादेश के रूप में स्थान देना पड़ा और इसलिये प्रवर समिति ने इस मामले में जल्दी की और अपना प्रतिवेदन यथासंभव शीघ्र देने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु दुर्भाग्य से हमारे पास समय नहीं था ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : यह अध्यादेश किस दिन समाप्त होगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : छै सप्ताह पश्चात । मार्च के अन्त में ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : तब तो पर्याप्त समय है ।

†**श्री पाटस्कर** : कठिनाई है कि यह बजट सत्र है और मेरे विचार से इसके लिये इस सत्र में समय नहीं मिलेगा । १९५१ वाला विधेयक अधिक जटिल है और उसमें अधिक समय लगने की संभावना है ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण-पूर्व) : दूसरा विधेयक अधिक बड़ा तथा अधिक महत्वपूर्ण है और उसे पढ़कर अपना मत निश्चित करने में हमें कुछ समय लगेगा । अतः मेरा निवेदन है कि दूसरे विधेयक के सम्बन्ध में इतनी शीघ्रता न की जाये । मेरा विचार है कि अध्यादेश की अवधि के समाप्त होने तक इस विधेयक को समाप्त कर लिया जाये और फिर दूसरे विधेयक को लिया जाये ।

†**श्री कामत** : व्याख्यात्मक विवरण की कंडिका ४ में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग अभी तक इस धारणा के आधार पर कार्य करता रहा है कि यह विधेयक १ जनवरी, १९५६ को विधि बन जायेगा और इसीलिये वह मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन पंजियन अधिकारियों को निदेश देता रहा है । यह स्पष्ट नहीं है कि क्या निर्वाचन आयोग ने केलव राज्य विधान परिषदों के द्विवर्षीय निर्वाचनों के सम्बन्ध में ही इस धारणा को बनाया है या उस विधेयक के सम्बन्ध में भी बनाया है जो प्रवर समिति को सौंपा गया था । इस प्रकार की धारणा बना लेना निगम जैसे संवैधानिक निकाय के लिये एक बुरा पूर्व उदाहरण है । मेरी समझ में यह नहीं आता है कि माननीय मंत्री के इस कथन का, कि विभिन्न राज्यों में स्थित संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन-क्षेत्रों में कोई परिवर्तन करने का कदाचित् ही कोई अवसर आयेगा, क्या आशय है, क्योंकि यह तो अब सर्वमान्य बात है कि राज्यपुनर्गठन विधेयक के आधार पर वर्तमान संसदीय निर्वाचन में परिवर्तन होना अनिवार्य है । विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में भी परिवर्तन होना है ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं माननीय सदस्य को सूचना के लिये यह बता दूं कि प्रवर समिति में कुछ सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है हम अभी तक इस आधार पर कार्य करते रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति ही चालू रहेगी क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि कब किस प्रकार तथा किस रूप में यह कार्य किया जायेगा । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है कार्य को जारी रखना ही वांछनीय समझा गया था, और अन्ततः जिस किसी भी रूप में राज्यों का पुनर्गठन किया गया उसके आधार पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री कामत** : इसका आशय यह है कि सरकार सामान्य दूरदर्शिता भी नहीं रखती है । राज्यपुनर्गठन में के सम्बन्ध में एक विधेयक इस सत्र में आ रहा है और इस वर्ष के अन्त तक कोई न कोई निर्णय कर लिये जायेंगे । गत सत्र में माननीय गृह मंत्री ने इसका संकेत किया था और अब विधि-कार्य मंत्री यह कह रहे हैं कि यथा पूर्व स्थिति ही चलती रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाटस्कर** : इस विधेयक पर विचार करते समय हम उस पर कैसे चर्चा कर सकते हैं ? प्रवर समिति में हमने इसी धारणा के आधार पर कार्य किया है कि वर्तमान स्थिति ही बनी रहेगी ।

†**श्री कामत** : जो कुछ मैंने कहा है उसका सम्बन्ध मुख्य अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में प्रवर समिति की प्रस्थापनाओं से है ।

प्रवर समिति ने तथापि कुछ ऐसे मत व्यक्त किये हैं जो मुझे खेद है अस्वीकार्य हैं । मुख्य अधिनियम की धारा ६ के सम्बन्ध में प्रवर समिति में चर्चा हुई थी परन्तु प्रवर समिति की बैठकों की कार्यवाहियों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया था । न ही विधेयक में इसका कोई उल्लेख है कि प्रवर समिति ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया था । प्रतिवेदन से भी ऐसी किसी बात का पता नहीं लगता है । प्रवर समिति में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या धारा ६ शक्ति परिस्तात है अथवा नहीं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया था, कदाचित् इसे छोड़ दिया गया था । इस प्रकार यह प्रवर समिति की अनिर्णीत कार्यवाही है । इसे कोई न कोई निर्णय करना ही चाहिये था अथवा यह उल्लेख करना चाहिये था कि उसने इस मामले को छोड़ दिया था । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या विधेयक से यह ज्ञात नहीं होता है कि उसने निर्णय किया था और उसे खंड ७ में सम्मिलित कर लिया था ?

†**श्री कामत** : यह बात प्रतिवेदन में दी जानी चाहिये थी ।

अब मैं निर्वाचन-नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धता की बात लेता हूं जो इस विधेयक की विषय वस्तु है । राज्यों में अधिकारियों ने इस कार्य के लिये जिस साधन का आश्रय लिया है वह अधिक संतोषजनक नहीं है । तरीक़ा यह है कि सम्बद्ध अधिकारी किसी निवासस्थान विशेष पर जाता है और उपस्थित सभी व्यक्तियों का नाम लिख लेता है । वह अपने साथ चालू निर्वाचन नामावलि की प्रति नहीं रखता है इसका परिणाम यह होता है कि कुछ नाम छूट जाते हैं । मेरा ही उदाहरण लीजिये । मैं १९५१-५२ में निर्वाचन में खड़ा हुआ था परन्तु १९५५ में जबकि मैंने उप-चुनाव में खड़े होने का विचार किया तो मेरा नाम निर्वाचन-नामावलि में नहीं था ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जब भी कोई अधिकारी किसी निवास-स्थान अथवा क्षेत्र विशेष में जाये तो वह अपने साथ चालू निर्वाचन-नामवलि की प्रति अवश्य ले जाये ।

उक्त अधिकारी की भूल के कारण मुझे निर्धारित शुल्क देकर अपना नाम निर्वाचन-नामावलि में लिखाने के लिये आवेदन पत्र देना पड़ा था । ऐसी घटना अन्य व्यक्तियों के साथ भी हो सकती है । संभावना है कि जो मतदाता उस समय अनुपस्थित हों उनके नाम निर्वाचन नामावलि में लिखे जाने से रह जायें ।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री तथा निर्वाचन आयोग इस सम्बन्ध में असंदिग्ध निर्देश देने की कृपा करेगा ।

इसके पश्चात मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति ने निर्धारित किये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में भी असन्तुलित दृष्टिकोण रखा है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : प्रवर समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है ।

†**श्री कामत** : यह यहां दिया हुआ है । आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

प्रतिवेदन के पृष्ठ १७ पर कंडिका ६ की उपकंडिका २ में दिया है कि "प्रस्तावित नवीन धारा २३ की उपधारा के सम्बन्ध में समिति का विचार है कि निर्वाचन-सूची में नाम दर्ज कराने के लिये, जन प्रतिनिधान (निर्वाचन-सूची का बनाना) नियमों के नियम में निर्धारित, वर्तमान फीस ही रखी जानी चाहिये"।

निर्वाचन विधि पुस्तिका में ५० रु० की फीस निर्धारित है।

†**श्री एस० एस० मोरे :** परन्तु यह कम कर दी गई है।

†**श्री कामत :** मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि फीस कम कर दी गई है। परन्तु मैं श्री मोरे के कथन को ठीक मानता हूं। एक प्रस्ताव था कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों को अलग निर्वाचन-सूची बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इससे सहमत हूं परन्तु इस सूची की संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये अलग प्रति बनानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा निजी अनुभव है। मेरे मुकद्मे में, मेरे विरोधी ने यह बताया कि निर्वाचन-सूची की जो प्रति, मैंने निर्वाचक पदाधिकारी को प्रस्तुत की थी उसकी संसदीय सूची में मेरा नाम नहीं है इसलिये में उस निर्वाचन-क्षेत्र से खड़ा होने के उपयुक्त नहीं था।

मंत्री महोदय ने यह बताया है कि निर्वाचन-सूची बनाने में किसी भी राजनीतिक दल ने, निर्वाचन आयोग की कोई सहायता नहीं की है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आयोग ने किसी दल से सहायता की अपेक्षा की थी। अब स्थिति दूसरी है। अब निर्वाचन आयोग ने, चार राजनीतिक दलों को अखिल भारतीय आधार पर मान्यता दे दी है इसलिये यह अब आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से सहयोग ले। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में मेरे संशोधन को सभा के सभी दल स्वीकार कर लेंगे।

खण्ड २४, इस अधिनियम के अधीन बनने वाले नियमों के सम्बन्ध में है। इसमें कहा गया है कि :

"इस अधिनियम के अधीन बनने वाले सभी नियम, बनने के यथाशीघ्र पश्चात्, संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रख दिये जायेंगे।"

मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने नागरिकता विधेयक पर माननीय गृह मंत्री द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है। मेरे विचार से हमारे समक्ष प्रस्तुत होने वाली सभी विधियों के लिये यह सिद्धान्त होना चाहिये कि इन नियमों में संसद् को संशोधन का अधिकार हो। इसलिये इस अधिनियम के अधीन भी, एक निश्चित अवधि में,नियमों का संशोधन होना चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस विधेयक तथा भविष्य में प्रस्तुत होने वाले सभी विधेयकों के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेंगे। मुख्य अधिनियम की धारा १२ के सम्बन्ध में, मेरा विचार है कि में राज्य पुनर्गठन के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र अवश्य परिवर्तित हो जायेंगे इसलिये धारा १२ में, हमें धारा ६ तथा ९ का निर्देश रखना चाहिये।

इसके पश्चात् अर्हता तिथि के सम्बन्ध में, मैं श्री मोरे तथा श्री एच० एन० मुकर्जी के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि जो व्यक्ति निर्वाचित से पहले आयु अर्हता प्राप्त कर लेते हैं और मतदान का अधिकार मिलना चाहिये। परन्तु मंत्री महोदय द्वारा बताई गई कठिनाइयों तथा संविधान के अनुच्छेद ३२६ के अनुसार संसद् दो तिथियां निर्धारित नहीं कर सकती है इसलिये मेरा सुझाव है कि यह तिथि १ जुलाई निश्चित कर देनी चाहिये जिससे सूचियों को अन्तिम रूप देने के लिये, निर्वाचन आयोग को, छः मास का समय मिल जाये। मुझे पता लगा है कि निर्वाचन आयोग ने यह सुझाव दिया है कि निर्वाचन फरवरी अथवा मार्च में सारे देश में एक साथ होने चाहिये। यदि सरकार इसको स्वीकार करना चाहती हो तो भी १ जुलाई ही ठीक रहेगी क्योंकि इस प्रकार भी उनको छः मास की अवधि मिल जायेगी। जिसमें निर्वाचन सूचियों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त :** मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह वयस्क मताधिकार को वास्तविक रूप देने के लिये प्रस्तुत हुआ है। यह निर्वाचकों के पंजीयन के सम्बन्ध में है इसके अतिरिक्त मुझे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की अलग निर्वाचन सूची बनाने के कार्यक्रम को समाप्त करना ठीक मालूम पड़ रहा है क्योंकि अलग सूची बनाने के लिये धन तथा श्रम व्यर्थ में चला जाता है।

इसका समर्थन करने के साथ ही साथ, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मुझे इस विधेयक से असंतोष भी हुआ है क्योंकि इसमें मताधिकारों पर आघात हुआ है। मेरा विचार है कि मताधिकार को वास्तविक रूप देने के लिये, सही पंजीयन का उपबन्ध होना, और अर्हता तिथि का उपबन्ध रखना आवश्यक है जिससे अधिक से अधिक अर्हता प्राप्त निर्वाचक मत दे सकें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों अथवा निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं दिया गया है। विधेयक में दिया है कि ये पदाधिकारी राज्य सरकार के पदाधिकारी होंगे और निर्वाचन आयोग, राज्य सरकारों के परामर्श से इनका नाम निर्देशन करेगा। हम जानते हैं कि सभी राज्य सरकारें, दलीय सरकारें हैं तथा वह निर्वाचन सूचियों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें यह काम केवल ऐसे-ऐसे पदाधिकारियों को ही सौंपेगी जो उनको ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें उनका बहुमत न हो, उनकी इच्छाओं के, अनुसार कार्य करेंगे। इसलिये मेरा विचार है कि सभी मुख्य निर्वाचक पदाधिकारियों तथा निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारियों की नियुक्ति निर्वाचन आयोग करे क्योंकि संविधान में दिया है कि निर्वाचन आयोग का समस्त कार्य, सरकारी कार्य से अलग स्वतंत्र रूप से होना चाहिये।

विधेयक में यह व्यवस्था भी रखदी गई है कि निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी भी हो सकता है। यदि स्थानीय प्राधिकार लोकतंत्री के आधार पर बने होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती कुछ स्थानीय प्राधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुए हैं, परन्तु कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर, स्थानीय प्राधिकारों का निर्वाचन, सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ है। स्थानीय प्राधिकार इस प्रकार से म्युनिसिपल कमिश्नरों की मुट्ठी में रहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि सूची में आसानी से गड़बड़ की जा सकती है।

मेरा विचार है कि निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण होना चाहिये जिससे इसकी मान्यता में कोई कमी न आ जावे। विधेयक में यह व्यवस्था रखी गई है कि यदि इसका पुनरीक्षण भी न हुआ हो तो भी यह मान्य रहेगी। यह ठीक नहीं है। मुझे इसका कटु अनुभव है। निर्वाचक नामावलि १९४८ में बनाई गई थी और जब मैं १९५० में मत के लिये लिया गया तो मुझे ज्ञात हुआ कि इनमें लगभग ५० से ६० प्रतिशत मतदाता वहां हैं ही नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि विधेयक के पंजीयन को पुनरीक्षण न करने वाले परन्तुक को हटा दिया जाये।

अन्त में, मैं पंजीयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों का सहयोग अवश्य लेना चाहिये। माननीय मंत्री ने मेरे मित्र श्री मुकर्जी की इस आलोचना पर आपत्ति उठाई है कि नौकरशाही का बोलबाला है इसलिये राजनीतिक दलों का सहयोग आवश्यक है। परन्तु मेरे विचार से यह न्यायपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। मैं अन्य दलों के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता परन्तु अपने दल के सम्बन्ध में यह बता सकता हूं कि हमको तो उस समय जेलों में रखा गया था। इसके अतिरिक्त हमारा अनुभव है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम सहयोग देने में भी असमर्थ हैं। क्योंकि प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं को ले लीजिये, अभिकर्त्ताओं के लिये पंजीयन के दावेदारों द्वारा अलग-अलग प्राधिकार पत्र देने की व्यवस्था है। परन्तु मेरे विचार से अधिक मतदाताओं के पंजीयन के लिये सभी दावेदारों को प्राधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर करने चाहियें तथा अभिकर्ताओं को दे देने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

दूसरे, मेरे विचार से गैर-सरकारी संगठनों अथवा राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की प्रतिलिपि भी मिलनी चाहिये ।

सब से अन्त में, मैं अर्हता तिथि के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । विधेयक के अनुसार मतदाता को, निर्वाचक नामावली बनने वाले वर्ष को १ मार्च को २१ वर्ष का होना चाहिये । मेरी जानकारी के अनुसार निर्वाचन जनवरी अथवा फरवरी में होगा । निर्वाचक सूची एक वर्ष पूर्व बनाई जायेगी और इस प्रकार इस वर्ष में २१ वर्ष को होने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं हो पायेंगे । पहले ही २१ वर्ष आयु बहुत अधिक है क्योंकि अन्य देशों में १८ वर्ष की आयु की अर्हता है । और इस प्रकार तो यह २१ वर्ष, २२ वर्ष ही हो जाते हैं । इसलिये यद्यपि पंजीयन कभी भी हो परन्तु जो व्यक्ति अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर अथवा जनवरी में २१ वर्ष के हों उनको मताधिकार मिलना चाहिये । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले मैं उन सदस्यों को बुलाऊंगा जो समिति के सदस्य नहीं हैं उसके बाद समिति के सदस्यों को उन लोगों द्वारा कही गयी बातों का उत्तर देने के लिये बुलाऊंगा । अब मैं श्री बसु को बुलाऊंगा ।

†**श्री के० के० बसु** : जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा, कि हमारे देश में चुनाव कार्य सम्पादन करने की निधि में काफी सुधार हो चुका है पर फिर भी प्रवर समिति की सिफारिशों के बावजूद, हम कुछ बातों के सम्बन्ध में सहमत नहीं हैं । इसके कारण मेरे मित्र ने पहले बताया है और मैं भी उन पर जोर देता हूं ।

सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्य निर्वाचक पदाधिकारियों के बारे में है कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाये । संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने उपबन्ध किया कि चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा । उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । वह जानते थे कि सरकार द्वारा नियुक्त किये गये पदाधिकारी सरकार की इच्छा के अनुसार काम करेंगे । अतः जब कि हम पहले पहल व्यस्क मताधिकार तथा संसदीय लोकतंत्र लाना चाहते थे, तो ठीक था कि चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र व्यवित बनाया जाये । गत चुनाव में चुनाव आयुक्त से चुनाव लड़ने वाले सभी दल संतुष्ट रहे हैं ।

अब क्या व्यवस्था की जा रही है ? प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी होगा । इनको नियुक्ति की सिफारिश राज्य सरकारें करेंगी और चुनाव आयुक्त इनकी नियुक्ति करेगा । हम जानते हैं कि हमारे अधिकांश निर्वाचक पदाधिकारी राज्य सरकारों के आदमी होते हैं और वह संयुक्त सचिव या अन्य किसी पद पर काम करते होते हैं । चुनाव के मामलों में उन्हें सरकार का पक्ष करना पड़ता है । हम चाहते हैं कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति हो और चुनाव आयुक्त के अधीन हो । अतः मैं कहना चाहता हूं कि यदि राज्य के किसी पदाधिकारी को नियुक्त करना है तो चुनाव को ही उसे नियुक्त करने का अधिकार हो । पर हम तो यह उपबन्ध करने जा रहे हैं कि राज्य सरकार बता दे कि इन पदाधिकारियों को नियुक्त करना है और चुनाव आयुक्त को इस बात का अधिकार नहीं होगा कि वह अपनी पसंद का आदमी नियुक्त करे । हमारे मित्र श्री साधन गुप्त ने बताया कि ऐसे चुनाव क्षेत्रों में जहां से कोई बड़ा मंत्री या राज्य मंत्री चुनाव लड़ने के लिये उम्मेदवार होता है, मत-संग्रह पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी का चुनाव उन की सुविधा के अनुकूल किया जाता है । हमारे देश में अधिकांश मत-संग्रह पदाधिकारी सरकारी कर्मचारी हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य खण्ड १३-क पर बोल रहे हैं । मैं माननीय विधि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह ध्यान दें । उसमें सरकारी पदाधिकारी की बात कही गयी है पर इसका मतलब यह नहीं है कि अनिवार्यतः उसी राज्य का पदाधिकारी । किसी राज्य का पदाधिकारी हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नियुक्ति तो आयोग करेगा न कि सरकार। वह पदाधिकारी केन्द्रीय सरकार का भी हो सकता है। आयुक्त किसी राज्य के पदाधिकारी या कन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी का चुनाव इस काम के लिये कर सकता है। सम्बन्धित राज्यों से उन पदाधिकारियों की सेवाओं को उधार मांगने के लिये परामर्श करना होगा।

†**श्री के० के० बसु :** आप दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं।

†**श्री पाटस्कर :** यही ठीक अर्थ है मैं इससे सहमत हूं।

†**श्री के० के० बसु :** क्या विधि मंत्री के कहने का अभिप्राय यह है कि आयुक्त किसी भी सरकारी प्रधिकारी को मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति करते समय उसे नियुक्त करने वाली सरकार से न कि राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिये ?

†**श्री पाटस्कर :** उस सरकार से जिसके अधीन वह पदाधिकारी काम कर रहा हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी। जिस राज्य के लिये उसे मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी नियुक्त करता है उस राज्य से परामर्श करने की आवश्यकता है पर जिस राज्य के अधीन वह पदाधिकारी कार्य कर रहा है उस राज्य से आयुक्त को पूछना पड़ेगा कि क्या वह राज्य उसे अमुक राज्य में इस कार्य के लिये आयोग को दे सकता है।

†**श्री पाटस्कर :** परामर्श करने का वास्तव में यही मतलब है। यदि आप एक सरकारी पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहते हैं तो आपको उस राज्य से परामर्श करना चाहिये जिसके अधीन वह काम कर रहा हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा में इस तरफ बैठे सदस्य शायद इस बात की शंका कर रहे होंगे कि चुनाव आयुक्त को अधिकार होगा कि वह चाहे तो किसी राज्य के पदाधिकारी के उसी राज्य में नियुक्त कर दे।

†**श्री पाटस्कर :** ऐसा अर्थ समझना उचित नहीं है।

†**श्री साधन गुप्त :** "नामोदिष्ट करना और मनोनीत करना" शब्दों के प्रयोग से तो ऐसा ही मालूम होता है कि यह "नियुक्त करने" से अलग बात है।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : जहां तक मैं जानता हूं कि निर्वाचक नामावली को तैयार करने का कार्य हाकिम परगना या अन्य पदाधिकारियों को सौंपा जाता है वह अपने कार्य के साथ-साथ यह कार्य भी करता है। इस कार्य के करते समय उसको एक अन्य अभिधान दिया जाता है। पर इस प्रकार से मनोनीत पदाधिकारी तथा चुनाव आयुक्त में बहुत थोड़ा सम्बन्ध रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति पर सरकार का काफी प्रभाव रहता है।

†**श्री एस० एस० मोरे :** शब्दों में काफी अन्तर है। इसमें कहा गया है "राज्य सरकार जिसमें चुनाव क्षेत्र है, के परामर्श से"। पहले "राज्य से परामर्श" का अर्थ या उस राज्य से जिसमें वह चुनाव क्षेत्र है जिसके लिये वह पदाधिकारी नियुक्त किया जाने वाला हो।

†**श्री के० के० बसु :** मैं बात समझ गया हूं और इसी आधार पर इसका विरोध कर रहा हूं वहां पर किसी विशेष चुनाव क्षेत्र के निर्वाचक पदाधिकारी का प्रश्न था यहां पर मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी का प्रश्न है जिसे सारा काम देखना पड़ेगा। हम निर्वाचक पदाधिकारियों को कुछ अधिकार दे रहे हैं अतः राज्य के पर्यवेक्षणीय पदाधिकारी को लगभग चुनाव आयुक्त के समान पद का ही कोई पदाधिकारी होना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यही होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० के० बसु :** आज सरकार का थोड़े समय काम करने वाला पदाधिकारी मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी बना दिया जाता है । परिसीमन आयोग में वह सरकार का पक्ष करता है ।

†**श्री पाटस्कर :** "नामोदिष्ट या मनोनीत" शब्दों से कोई कठिनाई नहीं पैदा हुई है ।

†**श्री के० के० बसु :** पैदा हुई है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जैसा कि श्री वल्लाथरास ने बताया कि एक हाकिम परगना अपने ही चुनाव क्षेत्र में थोड़े समय के लिये यह कार्य भी करता है तो यह बात ठीक नहीं है । पर यदि वह थोड़े समय के लिये कार्य करता है तो उसे अपने चुनाव क्षेत्र में रहना ही पड़ेगा । अतः यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस चुनाव क्षेत्र का नहीं है पूरे समय के लिये नियुक्त किया जाता है तो उस आदमी को "नामोदिष्ट करने या मनोनीत करने" का अर्थ यही होगा कि उसको यह कार्य उसके कार्य के अतिरिक्त दिया जा रहा है । अतः 'नियुक्त करना" शब्द भी रख देने में क्या हानि है । उसे सुविधानुसार नामोदिष्ट, मनोनीत या नियुक्त किया जा सकता है ।

†**श्री पाटस्कर :** हो सकता है मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी के लिये इतना काम न हो कि वह सारे साल के लिये काफी हो ।

†**श्री के० के० बसु :** मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि, तालुका स्तर से लेकर सभी पदाधिकारी पूरे समय काम करते हों, यह बात संभव नहीं है क्योंकि उनका कार्य केवल पंजीयन कराना है । पर संशोधित धारा के अधीन मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी को कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं । आज राज्य निर्वाचक पदाधिकारी किसी मतदाता का नाम अन्तिम समय पर सूची में शामिल नहीं कर सकता । केवल चुनाव आयुक्त यह कार्य कर सकता है । पर अब इसमें संशोधन किया जा रहा है और मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी को भी यह अधिकार दिया जा रहा है अपील के बारे में ये भी उपबन्ध है । अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम राज्य निर्वाचक पदाधिकारी बिल्कुल स्वतंत्र तथा सरकार के प्रभाव से बिल्कुल बाहर हो । मैं मानता हूं कि आज की दशा में ऊपर से नीचे तक ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जा सकता पर कम से कम मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी तो स्वतंत्र होने चाहिये और उन्हें केवल चुनाव का सम्पादन निर्वाचक नामावली की तैयारी तथा इसी प्रकार के कार्य करने चाहिये ।

विधि-कार्य मंत्री ने अभी बताया कि मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी के लिये काफी काम नहीं होगा । हो सकता है उसके पास अन्य विभागों के पदाधिकारियों की तुलना में कम काम रहे पर हमें उसके महत्व को भी देखना चाहिये । सामान्यतया यह पदाधिकारी सरकार के प्रभाव में आ जाते हैं क्योंकि वह अपने स्थायी विभाग के अधिकारियों को नाराज नहीं कर सकता । अतः हम इस संशोधित धारा में मुख्य निर्वाचक पदाधिकारियों को अधिक अधिकार देने का उपबन्ध कर रहे हैं पर मैं चाहता हूं कि यह पदाधिकारी स्वतंत्र होने चाहिये । जिस राज्य यें वह नियुक्त हों उस राज्य की सरकार से उनको कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । उसकी सेवा का हक या सम्बन्ध उसके पुराने विभाग से यदि रखा जाय तो अच्छा ही है पर उसकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त द्वारा होनी चाहिये वह एक पूरे समय काम करने वाला पदाधिकारी हो । वह उस राज्य के अधीन किसी भी हैसियत से काम नहीं करेगा जिसमें वह मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी नियुक्त होगा । मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री इस बात को ध्यान में रख कर मेरे मित्र द्वारा रखे गये संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

इसके बाद मैं अन्य संस्थाओं के सहयोग की बात लूंगा । विधि-कार्य मंत्री ने चुनाव आयुक्त के प्रतिवेदन में से पढ़कर बताया कि उन्होंने राजनैतिक दलों से परामर्श मांगा था पर किसी ने परामर्श नहीं दिया । सरकार ने चार दलों को मान्यता प्रदान कर दी है और चुनाव आयुक्त ने कुछ परामर्श के सुझाव भी दिये थे । चुनाव आयुक्त ने एक बार राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित

†मूल अंग्रेजी में

किया और बहुत सी बातों की चर्चा भी की । उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचक नामावली बनाने के लिये वह राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर आदेश भेजेंगे कि विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाय । पर हमारे पश्चिमी बंगाल के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी ने कभी भी राज्य प्रतिनिधियों की कोई बैठक नहीं बुलाई । आप सहयोग की बात कहते हैं । जब राज्य की यह दशा है कि मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी चुनाव आयुक्त के आदेश का पालन नहीं करते तो जिला तथा परगनों की क्या हालत होगी ? अतः मैं चाहता हूं कि आप विधेयक में यह भी उपबन्ध कर दें कि सभी स्तरों पर मान्यता प्राप्त दलों से परामर्श किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मुझे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और उन्हीं सूचनाओं की प्रतियां विभिन्न दलों के संसद् सदस्यों तथा विधान मंडल के सदस्यों को भेजी जा रही हैं कि वह चुनाव क्षेत्रों तथा चुनाव के स्थानों का निश्चय करने के लिये बैठकों में भाग लें ।

†**श्री के० के० बसु :** आन्ध्र राज्य इस सम्बन्ध में भाग्यशाली है । हमारे राज्य में यह बात नहीं हैं । मैंने स्वयं मुख्य आयुक्त द्वारा की गयी बैठक में भाग लिया था और पश्चिमी बंगाल के पदाधिकारी को समिति का निश्चय बताया था कि वह सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायें । एक वर्ष हो गया पर अभी तक कुछ नहीं हुआ । वहां के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी वहां के मुख्य मंत्री से डरते हैं । इसीलिये मैं कहता हूं कि नामावली तैयार करने के लिये सभी स्तरों पर एक गैर-सरकारी संगठन होना चाहिये । राज्य स्तर पर एक गैर-सरकारी संगठन स्थापित किया जाना चाहिये और निर्वाचक नामावली तैयार करने में उसका सहयोग लिया जाना चाहिये ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अधिसूचना जारी होने के बाद प्रारूप निर्वाचक नामावली को डाकघरों, पुलिसचौकियों आदि स्थान पर टांग दिया जाना चाहिये पर खेद है कि अधिसूचना जारी होने के ५ दिनों बाद तक भी निर्वाचक नामावली टांगी नहीं जाती । और यह एक कठिन कार्य है कि प्रत्येक मतदाता चुनाव आयुक्त के पास जा कर देखे कि उसका नाम सूची में है या नहीं । श्री कामत ने बताया कि कहीं-कहीं पर संसद् सदस्यों का नाम भी प्रारूप निर्वाचन नामावली में नहीं रहता । मैं नहीं जानता कि इसमें कहां तक सचाई है पर ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम के कुछ देशों में एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जाता है और उसी में समय-समय पर संशोधन कर लिया जाता है । पर हमारे देश में ऐसी बात करना ठीक नहीं होगा । मैं चाहता हूं कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप निर्वाचक नामावली दी जानी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** निर्वाचक नामावली दस वर्ष में एक बार ही क्यों न तैयार की जाये ? दस वर्ष में उसको एक बार संशोधित किया जाये और उस बीच में जो कुछ उसमें बढ़ा हो उसे कार्यान्वित किया जाये ।

†**श्री के० के० बसु :** आप जो कहते हैं वह ठीक है कि उस रजिस्टर को १० वर्ष में संशोधित कर दिया जाये । पर यदि एक व्यक्ति का नाम उसमें आ जायेगा तो वह उसमें बना रहेगा । एक बार एक चुनाव क्षेत्र के दो विधानसभा के सदस्यों के नाम निर्वाचक सूची में आने से छूट गये तो मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी ने कहा कि जब हमारे आदमी जांच के लिये गये होंगे तो वह लोगों अनुपस्थित रहे होंगे ।

†**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** वह एक लिखने की गलती थी ।

†**श्री के० के० बसु :** हम इसी प्रकार की गलती को दूर करना चाहते हैं । मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ-साथ कुछ स्थानीय संस्थाओं की भी सहायता ली जानी चाहिये । इन संस्थाओं को क्या निःशुल्क या कम दामों पर निर्वाचक नामावली दी जा सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० के० बसु]

अभी तक निर्वाचक नामावली परगना सदर मुकाम में रखे जाते और तैयार होते हैं। अतः दूर के लोगों के लिये यह संभव नहीं हो पाता कि वह ३० या ४० मील सफर करके आवें और उसके सम्बन्ध में यदि उनको कोई आपत्ति हो तो कहें। पर्दा प्रथा के कारण महिलायें तो आ नहीं सकतीं अतः इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये कि किसी विशेष दिन कोई पदाधिकारी एक विशेष क्षेत्र में आ कर लोगों से पूछे कि क्या उनको कोई आपत्ति है। इससे हमारी निर्वाचक नामावली शुद्ध बनेगी।

इसके बाद मैं अर्हता तिथि की बात लूंगा। अर्हता तिथि तथा वास्तव में मतदान की आयु के बीच बहुत थोड़ा अन्तर रखा जाना चाहिये अन्यथा बहुत से लोग मत नहीं दे पायेंगे। दोनों के बीच ३० या ४५ दिन का मध्यान्तर होना चाहिये। आप इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि निर्वाचक नामावली अमुक दिन तैयार होगी और अन्तिम तिथि के पूर्व ही लोगों को अपना पंजीयन करा लेना चाहिये। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद एक सप्ताह में जो लोग अर्हता प्राप्त हों वह अपना पंजीयन करा लें। मैं आशा करता हूं कि निर्वाचक नामावली का सुधार करते समय माननीय मंत्री इन बातों पर ध्यान रखेंगे कि राजनैतिक दलों तथा गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग किया जाये और राज्यों के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारियों को अधिक अधिकार दिये जायें। वह पदाधिकारी स्वतंत्र होने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री वल्लाथरास :** यह एक सीधा-साधा विधेयक है। इसमें थोड़े से ही परिवर्तन हुए हैं। इससे सबसे बड़ा यह लाभ है कि इससे समय, शक्ति तथा व्यय की बचत हो जायगी। यह बात बड़ी अच्छी है कि दोनों संसद् तथा विधान सभाओं के निर्वाचन के लिये एक ही निर्वाचक नामावली हो।

सरकार को हमें १९५० के निर्वाचन अधिनियम के सम्बन्ध में दो प्रकार के आंकड़े देने चाहियें। एक निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में और दूसरे निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में। हमारी निर्वाचक नामावली में कई त्रुटियां हैं। १९५१ की सूची में मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के २५ प्रतिशत लोगों का नाम उसमें नहीं है। इस सम्बन्ध में जो विभाग अधिकारी गांवों आदि में जाते हैं क्या उन्होंने पिछले चार वर्ष में कोई प्रगति की है? चार वर्ष के अनन्तर उन्होंने कितने और मतदाताओं के नाम जोड़े हैं? इन आकड़ों के मिलने पर ही हम कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों ने कुछ प्रगति की है अथवा नहीं। अब सरकार एक ही निर्वाचक नामावली बना कर समय तथा रुपये आदि की बचत करना चाहती है। किन्तु इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है कि सभी मत देने के योग्य मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली पर आ जाने चाहियें? मंत्री महोदय ने कुछ राजनीतिक दलों के सहयोग न देने के सम्बन्ध में कुछ कहा है।

†**श्री पाटस्कर :** क्या में आपकी धारणा के सम्बन्ध में एक बात कह सकता हूं? मैंने यह नहीं कहा है कि वे लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं। मैंने यह कहा है कि जितना सहयोग चाहिये उतना सहयोग नहीं मिल रहा है।

†**श्री वल्लाथरास :** समान्यता गांव के मुंशी, करनाम तथा राजस्व निरीक्षक आदि गांव के सभी साधारण निवासियों को जानते हैं। फिर भी २५ प्रतिशत लोगों का नाम निर्वाचक नामावली से कैसे छूट जाता है? १०० या ५० नाम छूटने की कोई बात नहीं है किन्तु २५ प्रतिशत कोई मामूली संख्या नहीं है। सरकार इस में पूर्णता लाने के लिये क्या कर रही है? यह आवश्यक नहीं कि जांच के समय घर का प्रत्येक व्यक्ति घर पर ही हो। फिर अगर कोई नाम छूट जाता है तो व्यक्ति को जा कर तालुक के किसी कमरे में रखी निर्वाचक नामावली को ढूंढना पड़ता है। यह अच्छा तरीका नहीं है। इस बात के लिये अधिकारी ज़िम्मेदार होने चाहिये कि प्रत्येक मामूली से मामली मतदाता का नाम भी दर्ज हो जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक में जो १८० दिन आदि के लिये संशोधन रखा गया है मुझे उससे प्रसन्नता है। किन्तु उतना ही काफ़ी नहीं है। २५ प्रतिशत मतदाताओं के नाम न लिखे जाने के कारण पिछला चुनाव ठीक चुनाव नहीं रहा है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि नाम दर्ज करने तथा निर्वाचन सूचियां बनाने की प्रणाली ठीक नहीं है। मेरा भी कहना है कि वर्तमान प्रकार की संसदीय पद्धति बड़ी त्रुटिपूर्ण है और इसका अवश्य ही सुधार होना चाहिये। यह विधेयक बिल्कुल निर्जीव और निष्प्राण है। इसमें कुछ ऐसे मोटे परिवर्तन ही हैं जो रोग की जड़ तक नहीं पहुंच सकते हैं।

निर्वाचक-नामावलियां बनाते समय सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि ग्राम अधिकारी अथवा तालुक अधिकारी जिनको नाम दर्ज करने का काम सोंपा जाता है और जिनको केवल इसी बात के लिये वेतन दिया जाता है वे प्रत्येक निवासी का नाम दर्ज करें।

दूसरी बात जिस पर मैं ज़ोर देना चाहता हूं वह यह है कि इस काम के लिये कोई नायब-तहसीलदार, तहसीलदार अथवा राजस्व निरीक्षक आदि नहीं नियुक्त किया जाना चाहिये। क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारी चाहे वे किस स्थिति व क्षेत्र के हों, भ्रष्ट हैं। सारा वातावरण बड़ा विषैला हो रहा है। किसी विभाग में भ्रष्टाचार हो तो सरकार पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है किन्तु यह एक ऐसा भ्रष्टाचार है जिसका सरकार के निर्माण पर ही प्रभाव पड़ता है।

जहां तक संसद् का सम्बन्ध है उसके चुनाओं के लिये कम से कम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सरकार के प्रभाव से मुक्त कोई व्यक्ति होना चाहिये। यदि प्रत्येक फिरके या तालुक के लिये कोई स्वतन्त्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त करना सम्भव न हो तो कम से कम प्रत्येक राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अवश्य ही सरकार के प्रभाव से मुक्त होना चाहिये। इसकी नियुक्ति सीधे निर्वाचन आयोग द्वारा होनी चाहिये। उसके वेतन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मद्रास सरकार किसी का वेतन देती है और केन्द्रीय सरकार उससे काम लेती है तो आप समझ सकते हैं वह किसका आज्ञाकारी और वफ़ादार होगा। अनेकों ऐसे उदाहरण है, जहाँ पर बीस-बीस पचीस-पचीस परिवारों के सदस्यों के नाम निर्वाचन नामावलियों में नहीं लिखे गये हैं ताकि वे लोग चुनाव में खड़े न हो सकें अथवा मत न दे सकें। जहां तक हो सके प्रत्येक तालुक के लिये पंजीयन अधिकारियों के अतिरिक्त एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होना चाहिये। वह अपने तालुक के लिये प्रत्येक प्रकार से उत्तरदायी पूर्णकालिक अधिकारी होना चाहिये। इस विषय में सरकार को एक और बात का ध्यान भी रखना चाहिये कि किसी भी अवस्था में स्थानीय पंजीयन अधिकारी राज्य सरकार के अधीन नहीं होना चाहिये। कम से कम पंजीयन अधिकारी अवश्य ही एक स्वतन्त्र व्यक्ति होना चाहिये अन्यथा जैसे कि पहले कहा जा चुका है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तो अवश्य ही स्वतन्त्र व्यक्ति होना चाहिये। उसकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा होनी चाहिये और उसका वेतन भी वहीं से मिलना चाहिये।

खंड २३ में अधिसूचना से पहले और बाद में नाम दर्ज करवाने वाले प्रार्थी में भेद किया गया है। मुझे समझ नहीं आता यह भेद क्यों है? पंजीयन अधिकारी मतदाता के सब से समीप रहने वाला व्यक्ति होता है। हमारे देश में मतदाता की अर्हताएं भी बिल्कुल सामान्य हैं। यदि उसे विश्वास हो जाता है कि वह मतदाता वहीं का रहने वाला है तो उसे उस मतदाता का नाम दर्ज करने का अधिकार रहना चाहिये। वह इसके लिये सक्षम अधिकारी माना जाना चाहिये। इसमें कोई अन्याय होने की बात नहीं है। फिर भी यदि कोई बात हो तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अपील की जा सकती है जिसमें हमें हर प्रकार से विश्वास है और जो हम समझते हैं एक स्वतन्त्र व्यक्ति होगा।

इसी विषय से सम्बन्धित मैं एक और विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १९५० के अधिनियम की धारा ३० के अनुसार कोई भी न्यायालय इस बात की सुनवाई नहीं कर सकता है कि अमुक व्यक्ति का नाम निर्वाचक-नामावली में क्यों नहीं दर्ज किया गया है और न ही इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गये निर्वाचन पंजीयन अधिकारी आदि द्वारा किये गये किसी

[श्री वल्लाथरास]

की वैधता पर आक्षेप कर सकता है। किन्तु यह धारा संविधान के अनुच्छेद ३२९ के अनुसार नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं संविधान के अनुच्छेद ३२४ की ओर भी निर्देश करना चाहता हूं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि यदि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अथवा निर्वाचन आयोग किसी व्यक्ति की निर्वाचन-नामावली में नाम दर्ज करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर देता है तो संविधान के अनुसार वह व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है। संविधान में न्यायालयों को इस क्षेत्राधिकार से वंचित रखने का कोई उपबन्ध नहीं है। नागरिकता की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनने का अधिकार है। वह अपने मत का उपयोग करता है अथवा नहीं यह एक बिल्कुल दूसरी बात है। चुनाव सम्बन्धी झगड़े केवल होने वाले चुनाव के आधार पर ही होते हैं। यह निर्वाचन नामावली के तैयार करने जैसे प्रारम्भिक स्तर तक नहीं पहुंचते हैं। निर्वाचन आयोग को प्रत्येक बात के अधीक्षम तथा नियन्त्रण का अधिकार है। संसद् निर्वाचन प्रणाली को विनियमित करने के लिये विधि बना सकती है। किन्तु नागरिक अधिकार के मामले में उसे कोई मान्यता नहीं दी गई है। इन सीमाओं को छोड़ कर, धारा ३० के अनुसार किसी नागरिक को जिसका नाम मतदाता के रूप में दर्ज करने से इन्कार कर दिया गया हो, न्यायालय द्वारा कोई हल ढूंढने से रोका जा सकता है? मैं इस मसले को इसलिये सभा के सामने रख रहा हूं क्योंकि जब मैंने यह बात लोक-सभा सचिवालय के अनुसंधान शाखा के सामने रखी तो वह मुझे इस विषय में कुछ सहायता नहीं दे सकी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर ग़ौर करे और इसकी एक नियमित जांच कराये। और यदि इस में कोई विवादग्रस्त बात हो तो इस मामले को उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिये भेजा जाय।

श्री नंद लाल शर्मा (सीकर) : नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै चतस्यै जनकात्मजायै।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः॥

जन प्रतिनिधान संशोधन बिल जो इस समय हमारे सामने उपस्थित है, उसके सम्बन्ध में इस संसद् के हर एक सदस्य को कुछ न कुछ अनुभव है; ज्ञान भी कुछ होना स्वाभाविक है और अनुभव भी। और विरोधी दल के सदस्यों को कटु अनुभव भी बहुत है। इसलिये जहां विरोधी दल के सदस्य आगामी निर्वाचन के लिये अपनी चिन्ताओं और संशयों के निवारण के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे सरकारी हस्तक्षेप को रोका जाय अथवा स्वार्थबद्ध होकर अपने दल की शक्ति बढ़ाने वाला सत्ताधारी दल अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने और इस समिति के और सदस्यों ने प्रयत्न किया है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि हम सर्वथा निष्पक्ष रहें। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि यह जो विधेयक बनाया गया है अथवा इसमें जो संशोधन किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं श्री वल्लाथरास के उन शब्दों से सहमत हूं कि उससे पूर्ण चिकित्सा रोग की नहीं होने वाली है। कारण यह है कि मतदाता सूचियां बनाने से अथवा उन्हीं के अन्दर संशोधन भर कर देने से चुनाव ठीक हो जायेंगे, ऐसा सम्भव नहीं है। पहले तो यह भी निश्चित नहीं है कि मतदाता सूचियां ठीक तरह से संशोधित हो भी सकेंगी या नहीं। कारण यह है कि इस संशोधन विधेयक के पृष्ठ ४ पर धारा १५ के नीचे नं० २१ के संशोधन में यह उपधारा २ और उपधारा ३ दोनों के साथ जो प्राविज़ों दिये गये हैं, वे प्राविज़ों ऐसे हैं जो इस धारा को बिलकुल निष्क्रिय और निष्फल बना देते हैं और उसके बाद यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि "एलेक्टोरल रोल्स विल बी रिवाइज्ड"। नई मतदाता सूचियां ऐसी बनाना जैसी उपाध्यक्ष महोदय ने स्वयं संकेत भी किया, दस वर्ष में भी बनायी जा सकती हैं किन्तु बीच-बीच में उनका संशोधन करना आवश्यक होगा और यह देखना होगा कि कितने व्यक्ति मर गये, और कितने लोग वयस्कता को प्राप्त हो चुके हैं और उसके अनुसार अगर आप अपनी मतदाता सूचियों में आवश्यक फेरबदल नहीं करते और मृतकों के नाम काटते नहीं और वयस्क लोगों के नाम जोड़ते नहीं, तब तक वह मतदाता सूचियां आपकी किसी काम को साबित नहीं होंगी। आपने यह भी कहा हुआ है कि

यदि किसी कारणवश उनमें संशोधन न हो सका, तो भी वह मतदाता सूचियां वैध मानी जायेंगीं और उनके अनुसार चुनाव लड़ा जायगा। मैं समझता हूं कि यह एक निष्फल तत्व है। इस दिशा में सबसे पहले कांग्रेस दल के लिये पहल करने और प्रयत्न करने की आवश्यकता है क्योंकि वह आज सत्ताधारी दल बन चुका है, तो ऐसे समय चाहे वह ईमानदारी से काम न भी करे, तब भी कम से कम संसार को यह दिखाने की चेष्टा अवश्य करे कि ईमानदारी से काम हो रहा है। उसके लिये परिश्रम इस प्रकार से करने की आवश्यकता है जिससे कि विरोधी दल के व्यक्तियों के अन्दर अधिक से अधिक विश्वास लाया जा सके। खाली पत्रों के ऊपर पत्रों में कहने का किसी प्रकार से भी कोई लाभ नहीं होगा। निर्वाचनाधिकारी, मुख्याधिकारी तथा पदाधिकारियों के सम्बन्ध में आपने लिखा है : "कंसल्टेशन विद दि गवर्नमेन्ट"। उस पर बहुत-सी विचार धारा चली, हमने जहां तक इसका मतलब समझा है उससे हमें यह प्रतीत हो रहा है कि जिस कान्स्टिट्यूएंसी में जो व्यक्ति काम करेगा, वहां की स्टेट गवर्नमेन्ट के साथ आपको परामर्श करना होगा और यदि वहां के काम करने वालों को उसी स्थान की स्टेट गवर्नमेन्ट के परामर्श से आपने वहां पर नियुक्त कर दिया, चुनना भी नहीं है यदि आपने नियुक्त कर दिया तो मैं समझता हूं कि प्रजा का भाग्य सदा के लिये मर गया। कोई आशा नहीं है कि प्रजा अपनी विरोधी भावनाओं को कभी भी प्रकट कर सकेगी। इसलिये आवश्यक होगा कि आप यह नियम रक्खें कि कम से कम चीफ़ एलेक्टोरल आफिसर, जिस कान्स्टिट्युएंसी में वह काम करे, जिस राज्य में वह काम करे उस राज्य का नहीं होना चाहिये। कम से कम उस गवर्नमेन्ट के अधीन उसे काम नहीं करना चाहिये। तभी आप कुछ स्वतंत्रता की भावना ला सकते हैं।

इसके साथ मैं यह बतलाऊं कि यहां पर पार्ट सी स्टेट्स के लिये भी पृष्ठ २ पर लिखा है : "इन रिलेशन टु ए पार्ट सी स्टेट, इत्यादि"। जहां तक मैं समझता हूं यदि राज्य पुनर्गठन आयोग के दिये हुए सुझावों पर आपको ध्यान देना है और आगे आने वाले समय में पार्ट सी स्टेट्स को नहीं रखना है तो फिर इस सम्बन्ध में उसी धारा को अभी तक सर्प की लकीर की भांति पीटते जाना कोई अर्थ नहीं रखता है।

इसी प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग के दिये हुए जितने भी सुझाव हैं उनमें से यदि अधिकतर को आपने स्वीकार किया तो आपको निश्चित रूप से जितनी भी कान्स्टिट्यूएंसी बनी हुई हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना होगा। इन सारी की सारी बातों और इसके साथ-साथ जो आने वाले चुनाव के बैलट बाक्सेज़ होंगे और दूसरी बातों के सम्बन्ध में भी इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिये इस सम्बन्ध में यह तो नहीं कह सकता, जैसा कि कामत साहब संकेत कर रहे हैं, कि दूसरे विधेयक में आयेगा, पर इतना तो मैं भी जानता हूं कि यह ला इतना मिकैनिकल अर्थात् बनावटी जान पड़ता है कि इसमें हम जितना भी वास्तविक स्वरूप है उसको पूर्णरूप से नहीं ले रहे हैं। हम उसके सारे स्वरूप को आद्योपान्त नहीं लेना चाहते हैं, एक टुकड़े को अभी ले लिया, उसके शिर को काट कर आगे लगा दिया, पूंछ पीछे से लगायेंगे, टांगे आगे पीछे ले लेंगे। इस तरह से पीछे बनेगा क्या ? जैसा कहते हैं : "विनायकं प्रकुर्वाणः रचयामास वानरम्"। गणपति बनाने लगे, बन गया बन्दर। तो इस तरह से अलग-अलग टुकड़े-टुकड़े बनाने से कोई लाभ नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह जो भी विधेयक लाना चाहती है उसको सर्वांगपूर्ण रक्खे ताकि उस सर्वांगपूर्ण विधेयक के द्वारा जनता को भी पता लगे तथा विरोधी दल को भी पता चले कि आपकी उस थैली के अन्दर कौन सी चीज़ छिपी पड़ी है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक से कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरे विधेयक के ऊपर जब बातचीत होगी उस समय हम पूर्णतया कह सकेंगे कि कौन सा अंश हमें स्वीकार्य है और कौन सा अस्वीकार्य।

दूसरे कहा जाता है कि हमें विरोधी दलों के सहयोग की आवश्यकता है। जिसकी आवश्यकता न हो, जिसकी अपेक्षा न हो, उस के बारे में कहते जाना कि वह चाहिये, इस की आवश्यकता नहीं। आज तक किस दल से सहयोग मांगा गया ? क्या कोई भी ऐसा विरोधी दल बेचारा है जिससे कहा गया हो कि तुम राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दो और वह कह दे कि मैं सहयोग देने के लिये तैयार नहीं।

अगर आप इधर की बेंचेज में से किसी को निमंत्रण दें तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि इधर से कोई भी इंकार करने को तैयार नहीं है, जिस समय आप निमंत्रण देंगे वह आ जायेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम : पंडित जी, यह रामराज्य है ।

श्री नंद लाल शर्मा : रामराज्य नहीं है, रामराज्य तो गांधी जी के साथ चला गया । रामराज्य था गांधी जी के जीवन के साथ, उनके प्राण छूटने के बाद वह वेलफेअर स्टेट में ट्रांसलेट ही गया और वेलफेयर स्टेट से चलते-चलते अब वह समाजवादी ढांचे में बदल गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : रामराज्य परिषद भी आ गया ।

श्री नंद लाल शर्मा : रामराज्य परिषद तो रामराज्य बनाने के लिये आया । आज जितने भी अधिकारी हैं वे यह कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि वह रावण राज्य बनायेंगे और इसीलिये मैं उनसे प्रार्थना भी कर रहा हूं, किसी अपनी स्वार्थपरता से नहीं । हमें इस बात की भूख नहीं है कि आप हमसे सहयोग लें, हमसे परामर्श करें, भूख इस बात की है कि आपको उन लोगों को पता चल सके जो आप से भिन्न विचारों के हैं तथा आप से भिन्न विचार रखने वालों के साथ कोई अन्याय न हो सके । और आप यह कह सकें कि यह वयस्क मताधिकार के ऊपर निर्मित किया गया राज्य है, वास्तविक प्रजातंत्र है । इस भावना से विरोधी दल के इन दोनों संशोधनों से मैं अपना पूर्ण सहमत प्रकट करता हूं जिसमें यह वर्णन किया गया है कि आप विरोधी दल को भी ऐसी सुविधायें प्रदान करें जिसमें कि वह आप को सहयोग दे सके ।

इसके बाद मैं एक शब्द कह कर समाप्त करूंगा, और वह है वयस्कता के सम्बन्ध में । आपने वयस्कता के लिये पहली मार्च की तिथि निर्धारित की है । न जाने आपको पहली मार्च कहां से मिल गई । यह आपका फाइनेंशियल इअर भी नहीं है क्योंकि वह ३१ मार्च को समाप्त होता है और उसके अनुसार पहली अप्रैल होना चाहिये था । पहली अप्रैल तो शायद सरकार को सबसे अधिक सूट करता है इसलिये कि पहली अप्रैल उन्होंने सब जगह चुना है । इतवार या सोमवार से कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा गया है ।

दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति २ अप्रैल या ३ अप्रैल को २१ वर्ष का होने वाला हो उसको निर्वाचन में अपने मताधिकार से वंचित रक्खा जाय तो यह उसके साथ अन्याय होगा । इसलिये आवश्यक है कि आप कोई ऐसा मार्ग निकालें कि उसके साथ यह अन्याय न हो अथवा जैसा कि संशोधन है कि सरकार को चाहिये कि जो तिथि उचित समझे उसे निश्चित करें, इस प्रकार की भावना को रखें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के व्यक्तियों का मत लिया जा सकेगा ।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे विधेयक में जो भावनायें आयेंगी और जब उन से उस का पूर्णरूप प्राप्त होगा तब मैं अपने विचार प्रकट करूंगा ।

इन शब्दों के सांथ मैं इस विधेयक की भावना का तो समादर करता हूं परन्तु इसकी शब्दावली के साथ अपनी सहमति नहीं दे सकता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे एक और सदस्य ने बोलने के लिये चिट भेजी है; मैं उन्हें खण्डवार विचार के समय बुलाऊंगा । अब मंत्री बोलेंगे ।

†**श्री पाटस्कर :** किन्तु अब तो ग़ैर-सरकारी सदस्यों का कार्य प्रारम्भ होने वाला है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री उत्तर में अपना भाषण प्रारम्भ कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाटस्कर** : सबसे पहले मैं अपने माननीय मित्र श्री कामत द्वारा की गई आपत्तियों का उत्तर देता हूं ।

मेरा विचार है मैं किसी अन्य अवसर पर बोलूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लोक-सभा इस विधेयक पर अगले अवसर पर आगे विचार करेगी ।

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लोक-सभा अब श्री एम० एल० द्विवेदी के २५ नवम्बर, १९५५ के संकल्प पर आगे वाद-विवाद करेगी और उस पर रखे गये सर्व श्री नारायण दास, बी० के० दास और के० के० बसु के संशोधनों पर विचार करेगी ।

उस संकल्प के लिये २ १/२ घंटे का समय निश्चित किया गया था और उसमें से ५१ मिनट उस के लिये दिये जा चुके हैं । अब शेष १ घंटा ३९ मिनट बचा है । कल एक औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि यह संकल्प कहां तक नियमित है । माननीय मंत्री महोदय को इस पर अपना वक्तव्य देना था ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : अभी समिति के प्रतिवेदन पर प्रस्ताव रखा जाना है ।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा सभा के समक्ष रखे गये संकल्प के सम्बन्ध में श्री श्रीनारायण दास ने एक औचित्य प्रश्न उठाया था । संकल्प इस प्रकार है :

> "इस सभा की यह राय है कि सरकारी उपक्रमों, उद्योगों और अन्य संस्थाओं में योग्य और उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती के लिये एक औद्योगिक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर स्थापित कियां जाये ।"

सर्व प्रथम यह सरकारी कारखानों चाहे वे केन्द्र के या राज्य के हों और इसी प्रकार उद्योगों और अन्य संस्थाओं के बारे में है चाहे वे उद्योग या अन्य संस्थायें रजिस्टर्ड कम्पनियों या सुस्थापित कारपोरेशनों के रूप में हों । संभव है कि वे बिलकुल सरकारी विभागों के आधार पर काम न करते हों किन्तु उनके अपने नियम हो सकते हैं । किन्तु उसके अतिरिक्त, श्री श्रीनारायणदास ने संभवतः यह मुख्य आपत्ति की थी कि क्या एक औद्योगिक-सेवा-आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद ३१५ के अन्तर्गत लोक-सेवा आयोग की स्थापना के उपबन्ध से संगत होगा । अनुच्छेद ३१५ इस प्रकार है :

> "इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ के लिये एक लोक-सेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक-सेवा-आयोग होगा ।"

अतः अनुच्छेद ३१५ में यह बिलकुल स्पष्ट कहा गया कि एक लोक-सेवा-आयोग होगा, दो नहीं हो सकते । अर्थात् संघ के लिये एक लोक-सेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक-सेवा-आयोग होगा । अनुच्छेद ३२० में लोक-सेवा-आयोग के कर्तव्यों की परिभाषा दी गई है । वह इस प्रकार है :

> "संघ तथा राज्य के लोक-सेवा-आयोगों का कर्तव्य होगा कि क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे ।
>
> "यदि संघ लोक-सेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिये जिनके लिये विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, मिली जुली भर्ती की योजनाओं को बनाने तथा प्रवर्तन में लाने के लिये उन राज्यों की सहायता करें ।
>
> "यथास्थिति संघ-लोक-सेवा-आयोग या राज्य-लोक-सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा..."

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः स्पष्टतया यह मालूम होता है कि संविधान का आशय यह है कि केवल एक लोक-सेवा-आयोग होगा जो सरकारी सेवाओं के सम्बन्ध में सभी नियुक्तियों के बारे में काम करेगा। आप उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कह सकते हैं। उसके कर्तव्य अनुच्छेद ३२० में दिये गये हैं, किन्तु साथ ही इस अनुच्छेद का एक महत्वपूर्ण परन्तुक भी है :

"परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ-कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में यथा-स्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख, उन विषयों का उल्लेख करने वाला विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया अथवा किसी विशेष वर्ग के मामले में, अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, लोक-सेवा-आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।"

अतः अनुच्छेद ३२० के अधीन एक अपवाद रखा गया है जिससे अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में राष्ट्रपति और राज्य सेवाओं के बारे में राजप्रमुख या राज्यपाल कुछ प्रकार की सेवाओं को लोक-सेवा-आयोग के प्रवर्तन से मुक्त कर सकता है। मेरे विचार से कुछ मामलों में ऐसा किया गया है। इस संकल्प का अन्तर्निहित उद्देश्य यह मालूम होता है कि संघ-लोक-सेवा-आयोग जैसा ही एक औद्योगिक-सेवा-आयोग स्थापित किया जाये। मैं केवल संघ के बारे में ही कहूंगा; राज्यों के बारे में मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या सोचते हैं। आशा है वे स्वतः उसे स्पष्ट करेंगे। जहाँ तक संविधान का सम्बन्ध है, राज्य-सेवाओं और संघ-सेवाओं में स्पष्ट भेद है। माननीय सदस्य का संकल्प केवल संघ-सेवाओं तक सीमित है या उसमें राज्य-सेवाएं भी शामिल की गयी हैं, यह माननीय सदस्य स्वतः निर्णय कर सकते हैं। किन्तु बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद ३१५ के अन्तर्गत संघ के लिये केवल एक ही लोक-सेवा-आयोग होगा। अनुच्छेद ३२० के परन्तुक के अन्तर्गत कुछ अन्य आयोग या बोर्ड ऐसे हो सकते हैं जो अनुच्छेद ३१५ के अन्तर्गत नियुक्त लोक-सेवा-आयोग के प्रवर्तन से मुक्त हो सकते हैं। अतः मेरा विचार है कि यदि राष्ट्रपति से पूछा जाय और वे यह निर्णय दें कि औद्योगिक-सेवा-आयोग या बोर्ड लोक-सेवा-आयोग के क्षेत्राधिकार से विमुक्त होगा, तो अनुच्छेद ३२० के परन्तुक के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकेगा। वह कंपनियों या अन्य निगमों आदि के लिये लागू होगा अथवा नहीं, वह प्रस्तावक ही निश्चय करेंगे। मैं नहीं जानता कि अनुच्छेद ३१५ वहां लागू होगा या नहीं क्योंकि अनेक मामलों में अधिनियम हैं जिन के द्वारा उन निगमों और सम-वायों के बारे में जिनमें सरकार का हित है, भर्ती आदि के तरीके स्वतः विहित किये गये हैं। संभवतः उन पर समवाय अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे। यदि संकल्प का आशय सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों से ही हो और उन उपक्रमों के मामले में भी यदि यह विचार हो कि औद्योगिक-सेवाओं की नियुक्तियां करने के लिये एक अलग बोर्ड होना चाहिये तो राष्ट्रपति अनुच्छेद ३२० के इस परन्तुक के अन्तर्गत एक विनियम बना कर ऐसा कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि वे संघ-लोक-सेवा-आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगी। अतः वास्तविक प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या लोक-सभा इस संकल्प पर विचार करने के लिये सक्षम है अथवा नहीं। यदि लोक-सभा अनुमोदन करे तो अनुच्छेद ३२० के परन्तुक के अन्तर्गत एक प्रकार का अपवाद बना कर या आवश्यक होने पर, संविधान के अनुच्छेद ३१५ में संशोधन कर वह किया जा सकता है या नहीं, यह एक भिन्न विषय है। किन्तु जहां तक यह प्रश्न है कि संसद् इस प्रकार प्रश्न पर चर्चा कर सकती है या नहीं, मेरी राय यह है कि अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यदि कोई कल यह कहे कि संविधान का अमुक उपबन्ध बदल दिया जाना चाहिये या इसी आशय का कोई संकल्प लोक-सभा के समक्ष रखे तो क्या यह तर्क रखा जायगा कि लोक-सभा ऐसे संकल्प पर विचार न कर सकेगी ? मेरे विचार में मुख्यतः इसी बात पर आपत्ति है। अतः मेरे विचार में यह ऐसा विषय नहीं है कि हम यह कह सकें कि इस प्रश्न पर संसद् को चर्चा करने तक का अधिकार नहीं है। अतः इसका निर्णय आपको करना है। मेरी राय में यह कहना कि संकल्प में कुछ ऐसी बातें कही गयी हैं जिसके लिये कुछ अन्य कार्यवाही करनी होगी, इस कथन से बिलकुल भिन्न है कि लोक-सभा इस संकल्प पर चर्चा नहीं कर

सकती । संवैधानिक अथवा विधि सम्बन्धी स्थिति के बारे में मेरा यही दृष्टिकोण है । उसके गुण-दोषों के बारे में, मेरे माननीय मित्र निश्चय कर सकते हैं ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** (जिला हमीरपुर) : माननीय विधि-कार्य मंत्री ने यह व्याख्या की है कि यहां संकल्प पर चर्चा की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, गुण-दोषों के सम्बन्ध में, मैं यह कह सकता हूं कि मेरे संकल्प में यह स्पष्ट कहा गया है कि वह एक औद्योगिक-सेवा आयोग हो जो संघ लोक-सेवा-आयोग का प्रतिस्पर्धी नहीं है । ऐसी अनेक सेवाएं हैं जो संघ लोक-सेवा-आयोग के क्षेत्राधिकार से परे हैं और जिनकी भर्ती के लिये संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है । आजकल केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे अनेक उपक्रम हैं जिनके लिये संघ लोक-सेवा-आयोग कोई भर्ती नहीं करता । अतः यह कहना कि लोक-सभा उस भर्ती के प्रयोजन के लिये कोई बोर्ड, आयोग या अन्य कोई संस्था बनाने के लिये सक्षम नहीं है, बिलकुल गलत है । लोक-सभा उस विषय की चर्चा करने के लिये पूरी तरह सक्षम है ।

दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद ३२० के परन्तुक के अन्तर्गत राष्ट्रपति संघ लोक-सेवा-आयोग से कुछ शक्तियां ले सकता है और कुछ कर्मचारियों की भर्ती के लिये कुछ अन्य संस्थाएं नियुक्त कर सकता है जैसा कि आई० ए० एस० और पी० ए० एस० के मामले में विशेष भर्ती बोर्ड नियुक्त किये गये थे ।

अब यह स्पष्ट है कि इस संकल्प पर चर्चा की जा सकती है और मुझे हर्ष है कि माननीय विधि-कार्य मंत्री ने यह व्याख्या की है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री श्रीनारायण दास ने एक औचित्य प्रश्न यह उठाया है कि संविधान में केवल एक ही संघ लोक-सेवा-आयोग के लिये स्पष्ट उपबंध होने के कारण, यह संकल्प नियम विरुद्ध है । माननीय विधि-कार्य मंत्री ने बताया कि संकल्प की शब्दावलि संदिग्ध है और यह स्पष्ट नहीं है कि औद्योगिक-सेवा आयोग केवल केन्द्र के लिये या राज्यों के लिये भी नियुक्त किया जायेगा । हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन किये बगैर राज्यों में एक और सेवा आयोग स्थापित करना इस सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर है । मेरा विश्वास है कि संकल्प के प्रस्ताव का आशय संघ के लिये एक दूसरा औद्योगिक सेवा आयोग स्थापित करना है और वे उसे केवल संघ-सेवाओं तक ही सीमित रखेंगे ।

संविधान में कल्पित केवल एक सेवा आयोग को दृष्टि में रखते हुए एक औद्योगिक-सेवा आयोग नियुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं, इस प्रश्न के सम्बन्ध में दो पहलुओं से विचार किया जा सकता है : एक यह है कि अनुच्छेद ३२० के परन्तुक के अन्तर्गत राष्ट्रपति को तदर्थ अथवा अन्य आयोग जैसे और जब वह आवश्यक समझें, नियुक्त करने तथा संघ लोक-सेवा-आयोग के क्षेत्राधिकार से कुछ चीज़ों को अपने अधीन ले लेने की पर्याप्त शक्तियां दी गयी हैं । राष्ट्रपति अपने स्व-विवेक से कार्य नहीं करता वरन् अपने मंत्रियों की मंत्रणा पर कार्य करता है । अतः यदि यह संकल्प पारित किया जाता है तो उसका अर्थ यह होगा कि संसद् सरकार से एक ऐसी चीज़ करने के लिये कहती है जो उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है । अतः उस दृष्टिकोण से यह बिलकुल नियमानुकूल है ।

माननीय विधि-कार्य मंत्री ने एक बात यह सामने रखी थी कि सभा सरकार को यह निदेश दे सकती है कि संविधान में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये । उस पर मैं इस समय कोई राय नहीं दे सकता । मेरी कठिनाई यह है कि जब तक कि संविधान लागू होता है और संविधान में बिना प्रत्यक्ष संशोधन किये एक ऐसा संकल्प पारित किया जाये जिसमें यह कहा गया हो कि एक औद्योगिक-सेवा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये, क्या हम आगे चल कर इस बात के लिये वचन बद्ध हो जायेंगे, क्योंकि हमने पहले ही इस आशय का एक संकल्प पारित किया है । बाद में चल कर एक ऐसा विधेयक आने पर क्या यह कहा जा सकेगा कि वह नियम विरुद्ध है ? ऐसी परिस्थिति में जब यह संकल्प इस प्रकार नियमानुकूल

†मूल अंग्रेजी में

है कि कार्यपालिका विधि में बिना किसी परिवर्तन के राष्ट्रपति से एक औद्योगिक-सेवा आयोग स्थापित करवा सकती है, इस विषय की अधिक विवेचना करना हमारे लिये बिलकुल अनावश्यक है । अतः इस सम्बन्ध में मैं अपनी कोई राय जाहिर करना जरूरी नहीं समझता । संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी ।

सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को सूचित करता हूं कि सभा की बैठक कल भी होगी और वह कार्य किया जायगा जो कार्य-सूची में होगा । जब कभी किसी सप्ताह में कार्य रुक जाता है तब इसी प्रकार बैठक होती है । कल सभा का कार्य रुक गया था और इसलिये सभा की बैठक कल भी होगी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री अल्तेकर** (उत्तर सतारा): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

श्री एम० एल० द्विवेदी के संकल्प के लिये १ घंटा ३९ मिनट बच गये हैं और श्री रघुबीर सहाय के संकल्प के लिये १ घंटा १४ मिनट शेष हैं । श्री रघुवीर सहाय ने समिति से प्रार्थना की थी कि सामूहिक परियोजनाओं क सम्बन्ध में उनका संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है और अनेक माननीय सदस्य उस पर बोलना चाहते हैं, अतः उसके लिये एक घंटा समय और दिया जाय । समय बढ़ाना अब सभा पर निर्भर है । अन्य संकल्पों के बारे में समय प्रतिवेदन में दिया गया है और मेरी सिफारिश है कि सभा उस प्रतिवेदन को स्वीकार कर ले ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** (ज़िला हमीरपुर) : जैसा कि समति के प्रतिवेदन में कहा गया है, मेरे संकल्प के लिये एक घंटा उन्तालीस मिनट नियत किये गये थे परन्तु इसमें से कुछ समय श्री श्रीनारायण दास द्वारा उठाई गई आपत्ति में व्यर्थ चला गया इसलिये मेरी प्रार्थना है कि समय २१ मिनट बढ़ा दिया जाये ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"इस रूपभेद के अधीन रहते हुए कि औद्योगिक सेवा आयोग सम्बन्धी संकल्प की चर्चा के लिये प्राप्य शेष समय को १ घंटा ३९ मिनट से बढ़ा कर २ घंटा कर दिया जाये ।"

†**श्री रघुबीर सहाय** (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"इस रूपभेद के अधीन रहते हुए कि सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की जांच के लिये नियुक्त होने वाली समिति सम्बन्धी संकल्प के लिये नियत समय को एक घंटा दस मिनट और बढ़ा दिया जाये ।"

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : मेरा एक संशोधन श्री सहाय के संशोधन के सम्बन्ध में है कि सामुदायिक परियोजना सम्बन्धी संकल्प की चर्चा के समय को एक घंटा बढ़ा दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मेरी यह प्रार्थना है कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के तुरन्त पश्चात् रखा जाये क्योंकि कल मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आल्तेकर के प्रस्ताव पर दो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं । एक के द्वारा श्री द्विवेदी दो घंटे कराना चाहते है । मेरे विचार से यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है और हमें २१ मिनट बढ़ा देने चाहिये ।

प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"इस रूपभेद के अधीन रहते हुए कि औद्योगिक सेवा आयोग सम्बन्धी संकल्प की चर्चा के लिये प्राप्य शेष समय को १ घंटा ३९ मिनट से बढ़ा कर २ घंटा कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सहाय का संशोधन सामुदायिक परियोजना के समय के सम्बन्ध में है सामान्यत: संकल्प के लिये अधिकतम समय ४ घंटे दिया जाता है और इस संकल्प को २ १/२ घंटा दिया गया था । परन्तु इस संकल्प पर कई सदस्य बोलना चाहते हैं क्योंकि सामुदायिक परियोजनायें समस्त देश में फैली हुई हैं ।

प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"इस रूपभेद के अधीन रहते हुए कि सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं की जांच के लिये नियुक्त होने वाली समिति सम्बन्धी संकल्प के लिये नियत समय को एक घंटा दस मिनट और बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तैंतालिसवें प्रतिवेदन से इस रूपभेद के अधीन रहते हुए सहमत है (१) कि औद्योगिक सेवा आयोग सम्बन्धी संकल्प की चर्चा के लिये प्राप्य, शेष समय को १ घंटा ३९ मिनट बढ़ा कर २ घंटा कर दिया जाये, तथा (२) कि सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं की जांच के लिये नियुक्त होने वाली समिति सम्बन्धी संकल्प के लिये नियत समय को एक घंटा दस मिनट और बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

औद्योगिक सेवा आयोग सम्बन्धी संकल्प

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : मेरे रिजोल्यूशन के सम्बन्ध में क्या होगा ? आपने पहले कहा था कि आप उसको देखेंगे । मगर अब इस रिज़ोल्यूशन का समय बढ़ा दिया गया है । आपने मेरे रिज़ोल्यूशन के बारे में जो आश्वासन दिया था उसके बारे में क्या होगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अगली शलाका में निश्चित रूप से अवसर मिलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाटस्कर** : मुझे ज्ञात हुआ है कि कार्यमंत्रणा समिति साढ़े चार बजे बैठेगी अतः यदि कल सब से पहले मेरे विधेयक पर विचार हो सके तो मैं अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करने को तत्पर हूं।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** (गुड़गांव) : क्या विधेयक पर कल चर्चा होगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी, हां।

†**डा० लंका सुन्दरम** (विशाखापटनम्) : मुझे प्रसन्नता है कि इतनी गड़बड़ी के पश्चात् श्री द्विवेदी के संकल्प पर चर्चा का मुझे अवसर मिल सका।

मुझे खेद है कि सभा ने एक घंटा एक ऐसे औचित्य प्रश्न पर चर्चा करने में लगा दिया जो उठना ही नहीं चाहिये था। मैं इस बात का निर्देश केवल यह बताने के लिये कर रहा हूं कि सरकार ऐसे महत्वपूर्ण मामलों का निबटारा कितने अनिश्चित ढंग से कर रही है।

मैंने सार्वजनिक निगमों पर संसद् का नियंत्रण रखने के बारे में १० दिसम्बर, १९५३ को एक प्रस्ताव रखा था और श्री द्विवेदी का यह संकल्प भी उसी से उद्भूत है। इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक निगमों पर अधिक संसदीय नियंत्रण करने का जो आश्वासन दिया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है। यह कहा गया था कि समवाय विधि में इसका कोई उपबन्ध किया जायेगा। परन्तु दुःख की बात है कि यह उपबन्ध उसमें भी नहीं किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री द्विवेदी ने इस समय यह प्रस्ताव रख कर अच्छा काम किया है मुझे विश्वास है कि विधि मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण किये जाने के उपरांत गृह मंत्री को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं देखता आ रहा हूं कि सार्वजनिक निगमों की ओर सरकार बड़ी उदासीनता का बर्ताव कर रही है।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

प्राक्कलन समिति के नवें प्रतिवेदन के पृष्ठ १६ पर कहा गया है कि किसी भी निगम को चलाने वाले लोग ऐसे होने चाहिये जो यह विश्वास पैदा कर सकें कि वे वांछित परिणाम निकलवा सकेंगे और जिन में देश के सार्वजनिक उपक्रमों को अच्छी तरह चला सकने की योग्यता और क्षमता हो।

सोलहवें प्रतिवेदन के पृष्ठ ३ पर यह कहा गया है कि साधारण सार्वजनिक समिति समवायों पर ये नियन्त्रण अंततः अंशधारियों का होता है और निदेशक बोर्ड की कार्रवाइयों पर भी अंशधारियों का नियंत्रण रहता है। परन्तु सार्वजनिक समिति समवाय के रूप में काम करने वाले सरकारी उपक्रमों पर संसदीय नियंत्रण, और मंत्रिमण्डल द्वारा तत्सम्बन्धी नीति निर्धारित किये जाने का उपबन्ध किया गया है ताकि वे समवाय कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें समिति का मत है कि सरकारी अधिकारियों में से नियुक्त किये गये निदेशकों से बना निदेशक बोर्ड कोई उपयोगी और लाभप्रद कार्य नहीं करता। इसलिये सरकार निदेशकों का नाम निर्देशन न करे, बल्कि निदेशक प्रसिद्ध व्यापारी लोग होने चाहिये और उन लोगों को वित्तीय मामलों तथा उपक्रम के शिल्पिक मामलों का अनुभवी होना चाहिये। सभापति तथा सदस्यों को सामूहिक रूप में कार्य करना चाहिये तथा सभापति को फिज़ूल के व्यय को रोकने के लिये अपना स्वविवेक बर्तने की पर्याप्त शक्ति होनी चाहिये।

संविहित निकाय की इतनी निश्चित सिफारिशों के उपरांत भी सरकार की उदासीनता के कारण कोई परिणाम नहीं निकलता। अभिलेख देखने से मालूम हो सकता है कि आश्वासन दिया गया था, किन्तु वह पूरा नहीं हो पाया है।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : माननीय सदस्य को अधिक स्पष्टता के साथ बोलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लंका सुन्दरम :** मैं अभिलेख दिखा सकता हूं किन्तु यह छोटी बात है। हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद में परिचलित दस्तावेज में यह बात स्वीकार की गई थी कि आगामी १०-१५ वर्ष की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उपयुक्त शिल्पिक और प्रबन्धकीय पदालियां स्थापित की जानी चाहिये। केन्द्र और राज्यों की समस्त सार्वजनिक और गैर-सरकारी परियोजनाओं के लिये पर्याप्त संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाये और इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना तैयार की जाये।

किन्तु बहुत से ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र में भरती किया जा रहा है जिनका न तो पहला अनुभव है और न ही उनमें आवश्यक योग्यता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकाधिक विस्तार होता जायेगा। किन्तु मुझे खेद है और निराशा भी है कि इतने महत्वपूर्ण मामले का निपटारा व संयुक्त सचिवों के स्तर पर हो रहा है ?

सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी में ९९ प्रतिशत अंश राष्ट्रपति के नाम में हैं और एक अंश सम्बद्ध संयुक्त सचिव के नाम में हैं। यही स्थिति विशाखापटनम् जहाज निर्माण कारखाने की तथा अन्य सरकारी उपक्रमों की है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रभारी व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी जल्दी-जल्दी स्थानान्तरित किया जाता है। सरकारी क्षेत्र की यह दशा है। इसलिये मैं श्री द्विवेदी द्वारा रखे गये संकल्प का जोरदार समर्थन करता हूं।

अभी विधि मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) के परन्तुक का उल्लेख किया था। किन्तु संविधान में संशोधन किये बिना ही संकल्प का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अतः गृह मंत्रालय के मंत्री श्री दातार को इस प्रकार की आपत्तियां करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** मैं कोई संवैधानिक आपत्ति न करने का वचन देता हूं।

†**डा० लंका सुंदरम :** संघ-लोक-सेवा आयोग का मुझे कुछ अनुभव है। प्रक्रिया यह है कि जिन विषयों के लिये अभ्यर्थियों को चुनना होता है, उन विषयों का ज्ञान रखने वाले विद्वान व्यक्तियों को आयोग में बुला लिया जाता है। इसलिये मैं श्री दातार के प्रार्थना करता हूं कि वह कोई सांविधानिक अथवा दूसरी कोई पारिभाषिक आपत्ति न उठायें। परामर्श या सलाह लेने के अनेक उपाय हो सकते हैं और परस्पर समझौते के द्वारा सब बाधायें दूर हो सकती हैं।

बीमा राष्ट्रीयकरण तथा अनेक परियोजनाओं की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक धन लग रहा है और सरकारी क्षेत्र का सर्वत्र विस्तार हो रहा है। आशा है कि यह गैर-सरकारी क्षेत्र से भी बढ़ जायेगा। इसलिये इतने बड़े काम को करने के लिये ऊंचे व्यक्तियों की भरती के लिये कोई मध्यम मार्ग निकालने की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। असैनिक उड्डयन विभाग का प्रभार एक पुलिस विभाग के पदाधिकारी को सौंपा गया था। इसी प्रकार खाद्य मंत्रालय के किसी अधिकारी को जहाज निर्माण कारखाने का प्रभार सौंपा गया था। इस प्रकार की व्यवस्था से विस्तारोन्मुख सरकारी क्षेत्र का प्रबंध नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबन्ध करने की योग्यता रखने वाले लोगों की भरती की कोई प्रणाली निर्धारित भी की जाये। मेरा यह मत है कि किसी भी व्यक्ति को विदेश में प्रशिक्षण दिलाये बिना अथवा देश में उचित प्रशिक्षण दिलाये बिना सरकारी क्षेत्र का प्रभार नहीं सौंप दिया जाना चाहिये। परन्तु यह सब कुछ नहीं हो रहा है। अतः मैं अपील करता हूं कि प्राक्कलन समिति और लोक-लेखा समिति जैसी संविहित समितियों की सिफारिशों को अनिवार्य रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

इतना महत्वपूर्ण मामला सरकार की उदासीनता के कारण इतना धीरे-धीरे चल रहा है। मैं श्री दातार से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई आपत्ति न खड़ी करके सभा द्वारा इसे एकमत से स्वीकार होने दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं श्री द्विवेदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

वर्तमान लोक-सेवा-आयोग के सदस्यों से टैक्निकल और औद्योगिक विषयों के अधिक ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जा सकती । इसलिये सरकारी उद्योगों को चलाने के लिये योग्य टैक्निकल और औद्योगिक अनुभव वाले लोगों की भरती करने के लिये एक औद्योगिक-सेवा आयोग की स्थापना करना अत्यावश्यक है । उद्योगों में ऊंचे दर्जे की कुशलता लाने के लिये वांछित परिणामों को प्राप्त करने का विश्वास पैदा करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है ।

वर्तमान-लोक-सेवा आयोग के सदस्यों को केवल प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान होता है उनके पास काम भी बहुत अधिक होता है । इसलिये वे आवश्यकता के अनुसार शीघ्र भरती नहीं कर सकते और न ही योग्य टैक्निकल व्यक्तियों की भरती कर सकते हैं, क्योंकि टैक्निकल विषयों में उनका अपना ज्ञान बहुत सीमित होता है । इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की भरती करने के लिये औद्योगिक और टैक्निकल विषयों का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों पर आधारित एक औद्योगिक-सेवा आयोग स्थापित करना अनिवार्य हो गया है ।

प्रायः सचिवों या संयुक्त सचिवों को उद्योगों की नीतियां निर्धारित करने का काम दिया जाता है । भला प्रशासनिक अधिकारी उद्योगों की नीतियों को कहां तक सफलतापूर्वक चला सकते हैं ।

विधान लोक-सेवा-आयोग केवल बड़े पदों की भरती करता है और छोटे पदों की भरती प्रबन्धक निदेशकों आदि के द्वारा की जाती है जिनका स्वयं टैक्निकल ज्ञान नहीं होता । परन्तु उद्योगों को कुशलता-पूर्वक चलाने के लिये छोटे से छोटे कर्मचारी का कुशल तथा योग्य होना आवश्यक है । इसलिये इस काम के लिये औद्योगिक सेवा आयोग ही सफल हो सकता है ।

इस समय सरकार या लोक-सेवा-आयोग ही सेवा की शर्तें निश्चित करते हैं । टैक्निकल ज्ञान न होने के कारण वे टैक्निकल व्यक्तियों की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते । जिसका परिणाम उद्योगों के लिये अच्छा नहीं होता । इसलिये औद्योगिक क्षेत्र आयोग स्थापित कर दिया जाना चाहिये, जो उद्योगों की प्रत्येक आवश्यकता के अनुसार सेवा की शर्तें आदि निश्चित करे और उद्योगों को सुचारु ढंग से चलाने में सहायक हो ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये योग्य व्यक्ति चुनने के लिये एक विशेषज्ञ बोर्ड स्थापित किया जाना होगा । इसका नाम चाहे कुछ भी रखा जाये, परन्तु ऐसा एक निकाय अवश्य ही स्थापित किया जाना चाहिये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा—मध्य) : जो प्रस्ताव मेरे मित्र श्री एम० एल० द्विवेदी ने उपस्थित किया है वह बहुत ही विचारणीय है । इस प्रस्ताव पर विचार करने से पहले यह उपयुक्त ही होगा कि जो संस्थान सरकार द्वारा चलाये जाने वाले हैं या जो चलाये जा रहे हैं उनके लिये एक खास सर्विस की स्थापना हो या न हो । प्रश्न यह है कि हमारे यहां अब तक जो शासन चलता आया है वह ज्यादातर पुलिस शासन की तरह का शासन था । अब जब कि संविधान लागू हो चुका है और हमारा शासन लोक-कल्याण शासन की तरह का होना है तो इसमें उस तरह के शासकों की आवश्यकता नहीं है जिस तरह के शासकों की आवश्यकता एक पुलिस शासन के वक्त में थी । इसी चीज़ को देखते हुए लोक-सभा के अन्दर और इसके बाहर इस प्रकार का विचार प्रकट किया गया है कि जिस तरह से हमारे यहां आल इंडिया सर्विसिज़ हैं जैसे कि इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या इंडियन पुलिस सर्विस है, इसके साथ-साथ एक इंडियन इकोनोमिक सर्विस या इंडियन सोशल सर्विस भी होनी चाहिये । इसलिये मेरा खयाल है कि सब से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिये, और मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य इससे असहमत नहीं होंगे और न ही इसमें कोई दो रायें होंगी, कि अब जब हम बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले

†मूल अंग्रेजी में

रहे हैं और बड़े-बड़े उद्योग खुद चलाने की बात सोच रहे हैं तो यह भी सोचें कि इनको भली-भांति चलाने के लिये किसी आल इंडिया सर्विस की स्थापना करें। इस वास्ते मैं समझता हूं कि इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव और इंडियन पुलिस सर्विस के साथ-साथ हमको इंडियन इकोनोमिक सर्विस या इंडियन सोशल सर्विस की भी स्थापना करनी चाहिये। मेरे विचार में इस बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते और न हैं। अब जब इस बात को मान लिया जाता है कि यदि इस प्रकार की सर्विस की प्रान्तों में आवश्यकता है तो वहां पर कायम की जाये और यदि केन्द्र में आवश्यकता है तो यहां पर कायम की जाये तो प्रश्न उठता है कि इस सर्विस में भरती के लिये क्या किसी दूसरे कमिशन की आवश्यकता है या नहीं। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र श्री द्विवेदी जी ने जब अपना प्रस्ताव पेश किया था तो उनके मन में सबसे पहले बात यह थी कि जब सरकार नये संस्थानों की स्थापना करती जा रही है तो उसके लिये कोई आल इंडिया सर्विस भी होनी चाहिये। मैंने इस बारे में एक प्रश्न भी पूछा था और जहां तक मेरा खयाल है सरकार इस बात पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है कि इंडियन एड्मिनस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के ढंग पर कोई और भी सर्विस कायम की जाये जो कि उन जिम्मेदारियों को भली-भांति निभा सके जो कि सरकार के ऊपर पड़ती जा रही हैं। नये-नये उद्योग धंधे सरकार द्वारा चलाये जाने के कारण इस प्रकार की सर्विस की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है जब यह हम देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम सार्वजनिक क्षेत्र का, निजी क्षेत्र के अलावा, और भी बहुत अधिक विस्तार करने जा रहे हैं, और सरकार द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों में एक खास प्रकार के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की आवश्रकता होगी।

इसी चीज़ को देखते हुए मैंने पिछले अधिवेशन में एक संशोधन पेश किया था जिस को मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं और जिसमें मैंने यह सुझाव दिया था कि इस मामले पर गहराई से विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी जाये। मेरा संशोधन इस प्रकार है :

कि मूल संकल्प के स्थान में निम्न संकल्प रखा जाय :

> "इस सभा की यह राय है कि सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के लिये सुयोग्य व्यक्ति भरती करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग की तरह का एक अलग औद्योगिक सेवा आयोग बनाने की आवश्यकता, वांछनीयता और सम्भाव्यता पर विचार करने के लिए फौरन एक समिति बनाई जाय जो अखिल भारतीय आर्थिक सेवा के निर्माण के पथ पर भी विचार करे।"

मैं समझता हूं कि अगर हमारे मित्र श्री द्विवेदी इस प्रस्ताव को मान लें, तो, जहां तक मेरा ख्याल है, सरकार को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि इस विषय में जांच करने के लिये एक कमेटी बिठाई जाय। वह कमेटी हर तरह के लोगों की राय ले कर और इस प्रश्न के हर एक पहलू पर विचार करके इस बात का निर्णय करे कि इस समय जिस प्रकार की आल-इंडिया सर्विसिज़ विद्यमान हैं, उनके आधार पर दूसरी सर्विसिज़ कायम की जायें या नहीं और अगर कायम की जायें, तो उनकी रिक्रूटमेंट के लिये कोई दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाय या नहीं। उस कमेटी द्वारा प्रस्तुत किये गये फैक्ट्स एंड फ़िगर्ज़ को देखने के बाद ही हम इस विषय पर इस सभा की तरफ़ से अपनी राय ज़ाहिर कर सकेंगे। इस प्रस्ताव के बारे में मैंने एक पायंट आफ आर्डर रेज़ किया था और मुझे अब भी शक है —हालांकि हाउस को इस विषय में विचार करने का अधिकार है —कि वर्तमान अवस्था में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि संविधान की वर्तमान धाराओं में एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन का ज़िक्र किया गया है और हम कोई दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि हम संविधान में संशोधन न करें। जैसा कि अभी माननीय सदस्य डा० लंकासुन्दरम् ने भी कहा है, एस्टीमेट्स कमेटी का भी यही विचार है कि इन संस्थाओं को चलाने के लिये आल-इंडिया सर्विसिज़ की स्थापना हो। एस्टीमेट्स कमेटी ने यह नहीं कहा कि कोई यूनियन इंडस्ट्रियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाय। उसने तो यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार क अधीन

जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज़ हैं, उनको चलानेके लिये कर्मचारियों के एक खास कैडर एक खास सर्विस —की स्थापना की जाय। सरकार कमेटी की उस सिफ़ारिश को मानती है और उसके बारे में सोच रही है।

मैं सभा का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि श्री द्विवेदी के प्रस्ताव की जगह पर मेरा संशोधन पास कर दिया जाय और सरकार एक कमेटी की स्थापना करे। होम मिनिस्टर महोदय को इसे मान लेना चाहिये ताकि इस सभा की विभिन्न रायों को सामने रखते हुए कोई निर्णय जल्द से जल्द किया जा सके कि क्या इस तरह की इकोनोमिक सर्विस की ज़रूरत है या नहीं और अगर है, तो उसकी रिक्रूटमेंट के लिये क्या तरीका अपनाया जाय—क्या कोई नया पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाय या इसी सर्विस कमीशन से काम चलाया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को सभा के सामने प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : मैंने श्री द्विवेदी के संकल्प के सम्बन्ध में एक संशोधन रखा है जिसका अभिप्राय यह है कि प्रस्तावित आयोग में प्रोद्योगिकी, व्यावहारिक विज्ञान और आर्थिक मामलों का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होने चाहियें। सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार के साथ जनता इस प्रकार के आयोग की आवश्यकता अनुभव करने लगी है।

संविधान में हमने लोक-कल्याण राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है और हमारी वर्तमान सरकार ने भी समाजवादी ढंग का समाज बनाने का लक्ष्य बना रखा है। यह तो सब मानते हैं कि सरकारी क्षेत्र का अधिकाधिक विस्तार होना चाहिये। सरकारी क्षेत्र का दिन प्रतिदिन विस्तार हो भी रहा है। इसलिये इसके प्रबन्ध के लिये योग्य व्यक्तियों को चुनने के लिये एक आयोग अवश्य होना चाहिये।

पिछले छः-सात वर्षों में हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य संचालन में कुप्रबन्ध आदि की जांच करने के लिये समितियां आदि नियुक्त करनी पड़ती हैं। कई अवसरों पर लोक-लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ने भी धन के अपव्यय की चर्चा की है। मैं समझता हूं कि समस्त दोष इन उपक्रमों के प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी में होता है। दुर्भाग्य की बात है कि हम अब भी अंग्रेजों के इस सिद्धान्त को मान कर चल रहे हैं कि आई० सी० एस० अधिकारी सब कामों के लिये सर्वाधिक योग्य होता है। अधिकतर आई० सी० एस० अफसर चाहे वे कितने भी राष्ट्रीयवादी हों, ब्रिटिश वातावरण में पले होने के कारण केवल फाइलों का निपटारा करना ही जानते हैं। परन्तु हमें तो स्वयं स्फूर्ति से काम करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता है, जो देश का योग्य निर्माण करने के लिये उत्सुक हों परन्तु इस समय हमारे पास ऐसे अधिकारियों का अभाव है।

मैंने सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी में जा कर देखा कि रेलवे के एक सेवा-निवृत्त पदाधिकारी को वहां का प्रबन्ध निदेशक बनाया गया है। जब हम कारखाना देखने गये तो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि प्रबन्ध निदेशक कई महीने बाद पहली बार फैक्टरी में गये थे। उससे पहले वह दफ्तर से घर और घर से दफ्तर तक ही जाते थे। वह कभी फैक्टरी में नहीं गये थे। इस प्रकार का व्यवहार करने वाले अधिकारी से कोई बड़ी आशा नहीं की जा सकती। कुली से लेकर बड़े अधिकारी तक की यह भावना होनी चाहिये कि वह समाज कल्याण के अन्दर अपना पूर्ण योग दे। कहा जाता है कि मजदूर काम नहीं करते। परन्तु हम इसको मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टिकोण में भूल जाते हैं। जब बड़ा अफसर काम नहीं करता तो मजदूर भी बिगड़ने की सोचता है—इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हो सकता है कि सिन्दरी कारखाने के यह प्रबन्ध निदेशक फाइलें निपटाने में पूर्ण रूपेण सक्षम हों. परन्तु वह कारखाने में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रेरणा तथा प्रोत्साहन नहीं दे सकते। होना यह चाहिये कि निम्न स्तर के कर्मचारी भी यह अनुभव करें कि वे सभी कर्मचारी इस निगम में बराबर के पक्षकार हैं। परन्तु उन्हें रहने के लिये कोई मकान नहीं दिये जा रहें हैं जब कि पदाधिकारियों को शीतोष्ण-नियंत्रित मकान

†मूल अंग्रेजी में

प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार से वे बेचारे निर्धन श्रमिक क्या अनुभव करते हैं ? वे यही अनुभव कर रहे हैं कि वे आज भी उसी प्रकार से ही रह रहे हैं जैसे यूरोपीय स्वामियों के अधीन रहा करते थे। क्योंकि आज के पदाधिकारी उनके हितों की ओर कोई ध्यान नहीं देते।

आज तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वास्तविक कठिनाई यही है कि ये सभी पदाधिकारी अपनी त्रुटियों को न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि वे उसी प्रकार के वातावरण में पले हुए हैं। परन्तु आज तो हमें एक मानवीय दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कर्मचारी अपने आपको राष्ट्र के निर्माता समझें, परन्तु ऐसा तभी होगा जब कि उन कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जायेगा।

कांडला पत्तन के विकास के सम्बन्ध में एक रेलवे पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, मैं नहीं कह सकता कि उसे कोई विशेष प्राविधिक अथवा प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव है अथवा नहीं। और फिर यदि ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कोई योग्य व्यक्ति नियुक्त किया भी जाता है तो उसे शीघ्र ही कहीं और स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार से वह बेचारा न एक ओर का अनुभव ग्रहण कर सकता है और न दूसरी ओर का।

किसी भी उद्योग को प्रारम्भ करने में हमें एक भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण, उपक्रम तथा कल्पना की आवश्यकता होती है जिनका कि सरकारी पदाधिकारियों में अभाव होता है। अतः मैं अनुभव करता हूं कि सरकार को इन राष्ट्रीयकृत उद्योगों के सम्बन्ध में की जाने वाली नियुक्तियों पर पूरा पूरा नियंत्रण रखने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

पिछली वार मैं जहाज बनाने वाले कारखाने में गया था। हमें यह बताया गया कि वहां पर इंजीनियरों की कमी है, परन्तु ऐसे अनेकों बेकार इंजीनियर हैं जिन्हें इंजीनियरिंग के सिद्धान्तों का पूरा ज्ञान है और उन्हें थोड़ा-सा व्यवहारिक प्रशिक्षण दे कर काम पर लगाया जा सकता है। परन्तु हम उन्हें नियुक्त न करके विदेशों से विशेषज्ञ बुलाते रहते हैं। पांच या छः वर्ष बाद ये विदेशी विशेषज्ञ अयोग्य साबित होते हैं। इस प्रकार सरकार को इन विशेषज्ञों की योग्यता के सम्बन्ध में गलत सलाह दी जा रही है और राष्ट्रीय धन का अपव्यय किया जा रहा है।

भारतीय उद्योग प्रदर्शनी को देख कर हमने यह अनुभव किया कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने अत्यधिक उन्नति की है और सरकारी क्षेत्र ने गत सात वर्षों में जहां कहीं भी प्रयत्न किया है, उसे असफलता के ही दर्शन हुए हैं। अब जब कि हम राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था अर्थात् बीमा उद्योग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों, का खष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं तो हमें बड़ा सतर्क होना पड़ेगा। हमें इस में उन्हीं पुराने व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करनी चाहिये जिनके विरुद्ध कोई आरोप है, अपितु इस कार्य के लिये नये योग्य व्यक्तियों को लाना चाहिये।

एक ओर तो हम यह कहते हैं कि देश में इंजीनियरों की कमी है और दूसरी ओर उन्हें काम से निकाला जा रहा है। उस दिन दामोदर घाटी निगम से ११,००० व्यक्तियों को निकाला जा रहा था। तो इसका इंजीनियरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? वे यही सोचेंगे कि वे जितनी अच्छी प्रकार से काम करेंगे वे उतने ही शीघ्र काम से निकाल दिये जायेंगे। इसलिये वे अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री पुकार-पुकार कर कहते हैं कि हमें देश के लिये ठोस कार्य करने वाले परिश्रमी व्यक्तियों की आवश्यकता है। परन्तु इसके लिये एक मनोवैज्ञानिक वातावरण की आवश्यकता है। उन व्यक्तियों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनका भविष्य पूर्णरूपेण सुरक्षित है। अतः मैं बलपूर्वक यह प्रार्थना करता हूं कि इस संकल्प की भावना को स्वीकार कर लिया जाये और एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाये जो कि अधिकाधिक बढ़ते हुए सरकारी क्षेत्र में पूर्ण योग दे सके। मुझे आशा है कि सभा इस संकल्प की भावना को स्वीकार कर लेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एल० एन० मिश्र** (दरभंगा व भागलपुर) : मैं श्री एम० एल० द्विवेदी के इस कथन से पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि औद्योगिक तथा आर्थिक सेवा के लिये एक संवर्ग की आवश्यकता है। मैं इसके लिये एक पृथक लोक सेवा आयोग की स्थापना के पक्ष में नहीं हूं परन्तु मैं इस संवर्ग की स्थापना का समर्थन करता हूं।

देश की सभी सेवाओं ने पर्याप्त सीमा तक देश का भला किया है परन्तु उन्होंने अपने आपको एक समाजवादी ढंग के समाज के अनुरूप नहीं ढाला है।

हम अपने देश का उत्थान करने के लिये कई योजनायें बना रहे हैं और इनके कारण सरकार के उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। परन्तु हम देखते हैं कि सारे के सारे महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं लोगों को सौंपे हुए हैं जो ब्रिटिश शासन काल में थे।

मैं यह मानता हूं कि इन में नियुक्त किये गये व्यक्ति बड़े चरित्रवान हैं। परन्तु इसका अर्थ यह तो कदापि नहीं है कि चरित्रवान व्यक्ति अपने आप की हर प्रकार की सेवा और कार्य के अनुरूप सफल सिद्ध कर सकते हैं। अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि औद्योगिक तथा आर्थिक सेवा के लिये एक पृथक् संवर्ग की आवश्यकता है।

हमने अभी हाल ही में समवाय विधि बनायी है और अब बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में अनेकों उद्योग प्रारम्भ कर रहे हैं। परन्तु इन उपक्रमों के प्रतिवेदन देखकर मुझे निराशा हुई है। ये उपक्रम सफ़लता पूर्वक उन्नति नहीं कर रहे हैं। अतः मैं अनुभव करता हूं कि इसकी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा।

इनमें नियुक्त किये गये पदाधिकारियों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः वे अपनी ओर से कोई नयी योजना नहीं चला सकते। अतः मैं अनुभव करता हूं कि एक नया संवर्ग स्थापित किया जाये और उसके पदाधिकारियों को पर्याप्त अधिकार दिये जायें। ऐसा करने से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

ब्रिटेन में जब श्रम दल की सरकार ने सरकारी उपक्रम प्रारम्भ किये तो उसने उन्हें अन्य सरकारी विभागीय कार्यों के समान नहीं चालाया क्योंकि ऐसा करने से उन कार्यों में रूढ़िवाद और सीमाबद्धता आ जाने का भय होता है। इसीलिये वहां पर इनके प्रबन्धों के लिये निगमों की स्थापना की गयी। अतः मैं यह कहता हूं कि हमें यहां पर भी प्रत्येक उपक्रम के लिये निगम स्थापित करने चाहियें।

मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे पदाधिकारियों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे लोगों में इतनी प्रेरणा फूंक सकें कि लोग देश की राष्ट्रीय योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित कर सकें। अतः ऐसे व्यक्तियों के एक संवर्ग की आवश्यकता है जो इन राष्ट्रीय योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिये उत्तरदायी हों। वे अवसर के अनुसार जनता से पूर्ण सहयोग प्राप्त करके सभी प्रकार की राष्ट्रीय योजनाओं सफल बनाने का प्रयत्न करें।

वे दिन व्यतीत हो चुके हैं जब कि पदाधिकारियों का सम्बन्ध केवल विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने से था। आज तो हम एक समाजवादी ढंग के राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, अतः उन्हें इस प्रकार के राज्य की स्थापना के आर्थिक पहलू का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। इसीलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि इस कार्य के लिये एक पृथक संवर्ग की स्थापना की मांग न्यायोचित है।

देश की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है उन्हें इस कार्य के अनुरूप कोई प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये। इनके लिये परीक्षायें निर्धारित की जायें और उन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में आधुनिक अर्थ-नीति को एक प्रमुख स्थान दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः मैं अनुभव करता हूं कि सरकार को इस आर्थिक संवर्ग को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई आयोग अथवा समिति स्थापित करनी चाहिये ।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : मैं भी एम० एल० द्विवेदी द्वारा प्रस्तावित संकल्प का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सारी सभा का एक ही मत है सभी सदस्य इसका समर्थन करते हैं ।

आज जब कि हम महान उपक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं, इस प्रकार के औद्योगिक सेवा आयोग की अत्यधिक आवश्यकता है । इस संकल्प से कई नये प्रश्न उत्पन्न हुए हैं और हमें उन पर विचार करना है ।

श्री के० के० बसु ने यह बिल्कुल सत्य कहा है कि देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की वृद्धि को महत्व देना ही पर्याप्त नहीं है ।

अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि लोगों के मनों में सेवा की भावना उत्पन्न की जाये—ऐसी भावना जो कि लोगों को प्रेरणा दे सके । लोगों के हृदयों में देश के राष्ट्रीय उद्योगों के निर्माण में विश्वास हो । परन्तु दुःख की बात है कि इन उद्योगों का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है जो कि उन के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी अथवा योग्यता नहीं रखते । और इस प्रकार से देश का धन व्यर्थ में ही ही व्यय किया जा रहा है । दामोदर घाटी निगम में योग्य कार्यकर्ताओं के न होने के कारण व्यर्थ में इतना धन नष्ट किया जा रहा है । वास्तव में यह बड़े ही दुःख की बात है कि जिन व्यक्तियों को हम इन उद्योगों के प्रबन्ध का कार्य सौंपते हैं वे ही इन दुराचारों में संलग्न हैं, वे उन उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ भी जानते नहीं । वे विदेशों में जा कर भारत का नाम बदनाम करते हैं । मैं जर्मनी में गया वहां पर लोगों ने मुझे यह बात बताई । तो इस प्रकार से चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है । इसीलिये इन उद्योगों के प्रबन्ध पर नियंत्रण रखने के लिये एक निगम की स्थापना की अत्यन्त आवश्यकता है । ब्रिटेन में भी औद्योगिक निगम है । मैं यह नहीं कहता कि हमें उनका अन्धानुकरण करना चाहिये, परन्तु उद्योगों पर जनता अथवा संसद् का नियंत्रण अवश्य होना चाहिये । फ्रांस में भी उद्योगों पर पर्याप्त नियंत्रण है । अतः हमें भी उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिये ।

एक औद्योगिक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता इसलिये है कि वे लोग जो इस समय देश के उद्योगों का प्रबन्ध चला रहे हैं वे देश का सर्वनाश कर रहे हैं । चारों ओर अव्यवस्था छाई हुई है । अतः एक औद्योगिक आयोग की स्थापना की आवश्यकता है जो कि उन व्यक्तियों को भरती करे जिन्हें प्रविधिक ज्ञान हो और जो विशेषज्ञ हों ।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद-नगर) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं । मुझसे पहले भाषण देने वाले सदस्यों की बातें मैंने ध्यान से सुनी हैं, परन्तु मैं उनसे प्रभावित हूं ।

निःसन्देह हमारी अर्थ नीति दिन प्रतिदिन सरकारी क्षेत्र की ओर बढ़ी जा रही है और सरकारी क्षेत्र में कई उद्योग प्रारम्भ किये जा रहे हैं और ये उद्योग अब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जायेंगे ।

हमने जहाज़ निर्माण उद्योग, सिन्दरी कारखाना आदि कई उद्योग प्रारम्भ किये हैं और वे सभी बड़े संतोषजनक रूप में चल रहे हैं । परन्तु हम अभी तक कोई ऐसी पद्धति नहीं खोज पायें हैं जिससे उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को भरती किया जा सके । इसके सम्बन्ध में कोई उपाय सोचा जाय । परन्तु इस संकल्प में जो उपाय बताया गया है उससे समस्या कदापि हल न होगी । अभी अनेक वर्षों तक इन उद्योगों के चलाने के लिये प्रबन्धकों का चुनाव वर्तमान कर्मचारियों में से ही किया जाना होगा । यह समस्या चर्चा के लिये रखे गये प्रस्ताव से हल नहीं होगी । इधर-उधर की

†मूल अंग्रेजी में

बातें ला कर समस्या को उलझाने से कोई लाभ नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि इन उद्योगों के चलाने के लिये निचली श्रेणी के टेक्नीकल कर्मचारी किस प्रकार भर्ती किये जाय। यह समस्या आयोग नियुक्त करने से हल नहीं होगी।

मैंने विभिन्न स्थानों में सरकार द्वारा चालित विभिन्न उद्योगों का निरीक्षण किया है। अभी तक कर्मचारियों का चुनाव किसी निश्चित सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है, फिर भी मैं कह सकता हूं कि जो नई उम्र के व्यक्ति अभी कार्य कर रहे हैं वे योग्य हैं। अभी उनके कार्य की शुरुआत ही हुई है, आशा है कालान्तर में वे उन्नति करके जिम्मेदारी के पदों पर पहुंच सकेंगे।

प्रस्तावित औद्योगिक सेवा आयोग की नियुक्ति से प्रयोजन पूर्ण नहीं हो सकेगा। लोक सेवा आयोगों की एक पृष्ठभूमि है, उनका अपना इतिहास है। उनका दृष्टिकोण कठोर होता है जिसके अनुसार वे उम्मीदवारों को चुनते हैं। दृष्टिकोण को यह कठोरता सरकारी सेवा के उम्मीदवारों के चुनाव के लिये भले ही ठीक हो, परन्तु औद्योगिक और वाणिज्यिक सेवाओं के उम्मीदवारों के चुनाव के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है। इस पहलू की पूर्ववक्ताओं ने अपेक्षा की है। इसलिये मैं लोक-सभा को यह सुझाव दूंगा कि वह इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करे तथा हमें सरकार से ऐसे आयोग की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करनी चाहिये। फिर भी, हमें यह सोचना चाहिये कि उद्योगोंके लिये नवयुवकों की भर्ती करने का सर्वोत्तम तरीका कौन-सा है। इस समस्या को हमें अवश्य हल करना होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकारी प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में अपनी वर्तमान स्थिति स्पष्ट करेंगे। औद्योगिक सेवा आयोग की नियुक्ति से प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : अभी जिन माननीय सदस्य ने भाषण समाप्त किया है वे यहां आने से पूर्व सरकारी पदाधिकारी रहे हैं इसलिये उन्होंने प्रस्तुत विषय पर एक पदाधिकारी की तरह ही विचार किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सेवा आयोग उद्योगों के लिये व्यक्तियों का चुनाव करने के लिये अनुपयुक्त है। ऐसी स्थिति में किया क्या जाय इसका उत्तर उन्होंने श्री दातार पर छोड़ दिया है। मैं कहूंगा कि हमें ऐसे व्यक्ति लेने चाहिये जो हमारी समस्याओं को जानते हों।

मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। सरकारी गृह-निर्माण फैक्टरी (गवर्नमेंट हाउसिंग फैक्टरी) और केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के मामलों को ले लीजिये। दोनों ही कार्य बड़े जोरशोर से प्रारम्भ हुए किन्तु असफल रहे। फिर हिन्दुस्तान विमान निर्माण कारखाना (हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०) को ले लीजिये जिसकी बड़ी सुन्दर योजना प्रस्तुत की गई थी। यदि मेरी सूचना ठीक है तो हिन्दुस्तान विमान फैक्टरी का प्रविधिक निर्देशक एक भूतपूर्व औजारों की मरम्मत करने वाला है। फिर मशीन टूल फैक्टरी को लीजिये जिसकी श्री मुहीउद्दीन ने बड़ी प्रशंसा की। मैं समझता हूं यदि उचित तरीके से कार्य किया गया होता तो वह कहीं ज्यादा अच्छी बन सकती थी। मैंने देखा है कि चीन में ऐसी फैक्टरियां पूरी तेजी से कार्य कर रही हैं, यद्यपि जिन परिस्थितियों में वे कार्य कर रहीं हैं वे यहां की अपेक्षा बहुत खराब हैं। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि ऊपर के व्यक्ति सच्चे हों, अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कार्य उचित ढंग से किया जाय।

जहां तक ठेकों का सम्बन्ध न मैं कहूंगा कि वे उपयुक्त व्यक्तियों को दिये जाने चाहिये। जो देश जिस कार्य में आगे बढ़ा हुआ हो उस देश से उसी कार्य के लिये बातचीत करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को कोई काम सौंपा जाय उसको उस कार्य की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपनी चाहिये और यदि वह ठीक तरह कार्य न कर सके तो उसको दण्ड दिया जाना चाहिये। मैं एक उदाहरण दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक व्यक्ति को, जिसके कार्य की लोक-लेखा समिति ने निन्दा की थी, तरक्की दे कर रुरकेला के संयंत्र का प्रभारी बना दिया गया है। यदि ऐसा किया जायगा तो हमारा धन सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं किसी व्यक्ति की नेकनियत पर संदेह नहीं कर रहा हूं, परन्तु मैं यह कहूंगा कि आपके कार्यों के परिणाम खराब रहे हैं।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं वाद-विवाद के दौरान में उठाये गये कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण करने के लिये हस्तक्षेप करने की अनुमति चाहता हूं। जहां तक प्रस्तुत संकल्प का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि प्रस्तावक का उद्देश्य यह है कि राज्य द्वारा चालित उद्योगों के लिये प्रबन्धकीय एवं प्रविधिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती करने के लिये कोई ऐसा तरीका होना चाहिये जिससे समुचित योग्यता के व्यक्ति चुने जा सकें। उनका चुनाव करने के लिये क्या प्रक्रिया हो, यह अलग विषय है। मुख्य बात तो इतनी ही है कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाय। मैं निश्चित तो नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक सेवा आयोग की स्थापना उस समस्या का उत्तर है; परन्तु जहां तक उद्देश्य का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में सरकार को भी उतनी ही उत्सुकता है जितनी कि माननीय सदस्यों को है सरकार भी चाहती है कि उद्योगों के चलाने के लिये योग्य प्रबन्धक एवं प्रविधिक कर्मचारी हों। परन्तु मैं कहूंगा कि इन उद्योगों की आलोचना करते समय हमें अपनी परिसीमाओं को नहीं भूल जाना चाहिये। सरकारी क्षेत्र में नये-नये उद्योग बढ़ रहे हैं जिनका अस्तित्व गैर-सरकारी क्षेत्र में भी नहीं था। दामोदर घाटी निगम को जो कार्य दिये गये उनके सम्बन्ध में इस देश में पूर्वअनुभव कुछ भी नहीं था। हम इन नये उद्योगों की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि सदस्य कभी-कभी सरकारी उद्यमों का जैसा अंधकारपूर्ण चित्रण करते हैं वह वास्तविक नहीं होता। मैं समझता हूं कि जिस गति से हम इन उद्योगों को सुचारुता से चला रहे हैं उससे हमें आशा और उत्साह मिलना चाहिये। जिन परिस्थितियों में हमने उन्हें चलाया है उसका हमें गर्व होना चाहिये न कि उसकी आलोचना करनी चाहिये।

†**डा० लंकासुन्दरम :** किसी परियोजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ? उसे अन्तिम रूप देने के समय के दौरान में ही आप किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण क्यों नहीं दे देते ताकि उसको उस परियोजना के संचालन के लिये नियुक्त किया जा सके। उसके प्रबन्ध के लिये किसी संयुक्त सचिव को भेजना ठीक नहीं है।

†**श्री सतीश चन्द्र :** कभी-कभी किसी संयुक्त सचिव को नियुक्त कर दिया जाता है। परन्तु संयुक्त सचिव बनने के लिये २० वर्ष के अनुभव की आवश्यकता होती है। संयुक्त सचिव को प्रबन्धकीय पद पर ही नियुक्त किया जाता है चाहे वह यहां प्रबन्धक (जनरल मैनेजर) का पद हो या मुख्य लेखाधिकारी का या फैक्टरी के संचालक का।

†**डा० लंकासुन्दरम :** मंत्री जी मेरी बात समझे नहीं।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मुझे अपनी इच्छानुसार बोलने की अनुमति दी जाय। सिन्दरी के सम्बन्ध में बहुत सी चीजें कही गई हैं। वह एक बड़ी परियोजना थी और देश में अपनी तरह की सर्वप्रथम सिन्दरी फैक्टरी के प्रबन्ध के सम्बन्ध में चाहे कुछ भी कहा गया हो, लोक-सभा से मैं कहूंगा कि वर्ष १९५५ में सिन्दरी के लिये एमोनियम सलफेट के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था, उत्पादन उससे अधिक हुआ है। सिन्दरी के उत्पादन से देश में उर्वरकों का मूल्य कम हुआ है।

इसी तरह 'हिन्दुस्तान के बिल्स लिमिटेड', जो हाल ही में चालू हुआ था, अच्छा कार्य कर रहा है। 'एण्टी बायोटिक्स फैक्टरी' का उत्पादन भी उस परिमाण से अधिक रहा है जिसके लिये उसकी स्थापना कुछ महीने पूर्व की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्य की तुलना देश के किसी भी गैर-सरकारी उद्योगपति क प्रबन्धाधीन औद्योगिक इकाइयों के कार्य से करें। भारत के नई रोशनी के उद्योगपतियों में एक टाटा का घराना है। लोहा और इस्पात फैक्टरी अथवा जल-विद्युत् कर्मशालाओं के अतिरिक्त उनके देश भर में अन्य अनेक उद्योग फैले हुए हैं। मैं उत्पादन मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत अनेक उद्योगों की तुलना टाटाओं के कुछ उद्योगों से करने को तैयार हूं जिन्हें वे १०-१५ वर्षों से चला रहे हैं। जो उद्योग उन्होंने दस वर्ष पहले प्रारम्भ किये थे हो सकता है उनमें से कुछ को छोड़कर वे ठीक कार्य न कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है कि सदा प्रबन्धकों की अक्षमता के कारण ही कतिपय उद्योगों की प्रगति मन्द रहती है। उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे प्रविधिक कर्मचारियों का न मिलना, कच्चा माल उपलब्ध न होना, प्रविधिक जान की कमी आदि।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्ध में त्रुटियां हो सकती हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारा संगठन पूर्ण रूप से अच्छा है और उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार करने के लिये बहुत गुंजाइश हो सकती है। प्रविधिक तथा प्रबन्धक दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों की किस्म सुधारने के लिये हर कोशिश की जानी चाहिये। ऐसा कैसे किया जा सकता है, यह एक भिन्न प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि औद्योगिक सेवा आयोग का निर्माण इस समस्या को हल कर सकेगा या नहीं। जब हम प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती की दृष्टि से इस समस्या को देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार के इंजीनियरों और अन्यान्य उद्योगों में कुशल व्यक्तियों के सम्बन्ध में सोचना होगा। इन सब में कोई भी समानता नहीं है और किसी भी तरह से आयोग का निर्माण किया जाय वह प्रत्येक बात में विशेषज्ञ नहीं हो सकता।

†**एक माननीय सदस्य :** सचिव हर क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते हैं।

†**श्री सतीश चन्द्र :** सचिव विशेषज्ञ नहीं होते। माननीय सदस्य जानते हैं कि जो व्यक्ति उच्च प्रविधिक पदों पर नियुक्त किये जाते हैं उनका चुनाव किसी न किसी अवस्था में सामान्यतः किसी चुनाव समिति या लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है।

किसी भी औद्योगिक संस्थान में वरिष्ट प्रबन्धकीय पदों की संख्या प्रविधिक पदों की संख्या से प्रायः अधिक होती है। एक बड़े उद्योग के लिये एक जनरल मैनेजर, एक लेखाधिकारी, बिक्री प्रबन्धक आदि की आवश्यकता हो सकती है। प्रविधिक पक्ष की देखभाल करने के लिये एक मुख्य इंजीनियर होता है। मैं केवल चोटी के पदों की बात कर रहा हूं। इसलिये यदि हम आवश्यकताओं का हिसाब लगायें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उच्च प्रबन्धक पद संख्या में प्रविधिक पदों से अधिक हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी ऐसा ही है। यदि प्रशासन, वित्त या लेखा में अनुभव प्राप्त व्यक्ति प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किये जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सचिवालय-पदाधिकारियों को कभी कभी इसलिये नियुक्त करना पड़ता है क्योंकि देश में आवश्यक योग्यता और अनुभव के आदमी सरलता से नहीं मिलते हैं।

हम सब की यह इच्छा है कि सरकारी क्षेत्र का विस्तार हो। और वह समृद्ध हो इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। मैं कहूंगा कि अधिकारियों के अच्छे कार्य की आलोचना करना, जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र की उन्नति करने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है।

†**डा० जयसूर्य :** क्या आपकी 'मशीन टूल्स फैक्टरी' अच्छा कार्य कर रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** उत्पादन मंत्रालय द्वारा नियंत्रित 'मशीन टूल्स फैक्टरी' ने कुछ महीने पूर्व ही कार्य प्रारम्भ किया है। उसके कार्य पर अभी से निर्णय देना जल्दबाजी करना होगा। मैंने स्वयं गैर-सरकारी क्षेत्र की एक 'मशीन टूल्स फैक्टरी' देखी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारी फैक्टरी उसकी अपेक्षा अधिक प्रगति कर रही है जिसको मैंने देखा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० के० बसु** : आप ऐसा किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य स्वयं जाकर देख सकते हैं ।

सरकारी उद्यम तीन प्रकार के हैं : संविहित निगम, सरकारी लिमिटिड कम्पनियां और वे जिनका संचालन विभाग द्वारा होता है । जहां तक संविहित निगमों का सम्बन्ध है, संसद् ने स्वयं विधेयकों में उपबन्ध करके कर्मचारियों की भर्ती के लिये कतिपय प्रक्रियायें निर्धारित की हैं । दामोदर घाटी निगम एक संविहित निकाय है और उसमें जो कुछ भी किया जाता है वह अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही किया जाता है । जहां तक सरकारी लिमिटिड कम्पनियों का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उच्च प्रबन्धकीय और प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है । संभवत: माननीय सदस्य जानते हैं कि अनेक बार ऐसा होता है कि अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर बड़े उद्योगों में ले लिये जाते हैं और उन्हें जनरल मैनेजर, संचालक अथवा प्रबन्ध संचालक बना दिया जाता है ।

†**श्री के० के० बसु** : ऐसा इसलिये नहीं होता है कि उन्हें प्रविधिक ज्ञान प्राप्त होता है, वरन् इसलिये कि वे सचिवालय पर प्रभाव डाल सकने की स्थिति में होते हैं । मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह मत माननीय सदस्य का होगा ।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री जी शीघ्र समाप्त करें ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : सरकार कुछ समय से इस समस्या पर विचार करती रही है । मैं मानता हूं कि सुधार के लिये गुंजाइश है और पृथक औद्योगिक संवर्ग (केडर) होना चाहिये । चूंकि प्रबन्धकीय और प्रविधिक संवर्गों में कोई सामान्यता नहीं है इसलिये उन्हें अलग-अलग संवर्ग बनाना होगा । सबसे ऊपर के पदों पर दोनों ओर के व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे । उदाहरणार्थ, एक इंजीनियर को प्रबन्ध-निर्देशक बनने से वंचित नहीं रखना चाहिये । उस पद को केवल प्रबन्धकीय संवर्ग के लिये सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिये ।

यह सभी बातें विचाराधीन हैं और मुझे आशा है कि उत्पादन मंत्रालय द्वारा नियंत्रित उद्योगों में पहले की जायेगी । इन दोनों संवर्गों के लिये एक विशेष भर्ती बोर्ड द्वारा या आप यदि इसे एक औद्योगिक सेवा आयोग कहना चाहें तो इस आयोग द्वारा चुनाव किया जाना होगा । सम्भव है कि रासायनिक उद्योगों के लिये एक विशेष भर्ती बोर्ड और एक बोर्ड इंजीनियरी सम्बन्धी उद्योगों के लिये बनाना पड़ेगा क्योंकि इंजीनियरी सम्बन्धी उद्योग की आवश्यकतायें औद्योगिक उद्योगों से भिन्न होंगी । सम्भवत: संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को भी ऐसे विशेष भर्ती बोर्ड में सम्मिलित करना पड़ेगा । सरकार के सोचने का आधार क्या है मैं आपको केवल वह बता रहा हूं । निर्णय चाहे कुछ भी किया जाये, संवर्ग का निर्माण केवल धीरे-धीरे ही हो सकता है । एक रात भर में औद्योगिक संवर्ग की स्थापना करना सम्भव नहीं है । इस संवर्ग की स्थापना के लिये केवल दो या तीन उपाय हैं । एक यह है कि युवा इंजीनियरों और नौजवानों को लिया जाये और उन्हें किसी कनिष्ठ पद पर नियुक्त करके धीरे-धीरे प्रशिक्षित किया जाये और फिर उन्हें उच्च पदों के लिये अपना मार्ग स्वयं बनाने दिया जाये । यह एक सम्भावना हो सकती है । दूसरा उपाय उद्योग, व्यापार, सरकारी कार्यालयों आदि, बाहर से भर्ती करना हो सकता है । सब से व्यावहारिक उपाय इन दोनों का मिश्रण प्रतीत देता है । मैं केवल यही कह सकता हूं कि इस समस्या पर सरकार गम्भीरता से ध्यान दे रही है और सरकारी क्षेत्र में जो मंत्रालय उद्योगों पर नियन्त्रण रखते हैं वे सभी प्रविधिक और साथ ही प्रबन्धकीय कर्मचारियों के विषय में कठिनाई को दूर करने के लिये ढंग और उपाय ढुंढने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मेरे माननीय साथी प्रश्न के अधिकांश पहलुओं पर प्रकाश डाल चुके हैं इस कारण मैं केवल कुछ बातों के सम्बन्ध में इस माननीय सदन को सामान्यतया और अपने माननीय मित्र डा० लंकासुन्दरम् को विशेषतया संकेत करने के विचार से यह कहुंगा कि सरकार अपनी औद्योगिक संस्थाओं को चलाने के लिये उचित और उपयुक्त कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता से पूर्णत: जागरूक है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की ऐसे महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में कठोर बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल यह संकेत करना चाहता हूं कि सरकार इन औद्योगिक संस्थाओं के सम्बन्ध में बहुत ही उद्यत है और प्रविधिक कर्मचारी तथा प्रशासनिक कर्मचारी सबसे उत्तम और सबसे उच्च स्तर के हों, सरकार की यही प्रबल इच्छा है। जैसा कि मेरे साथी ने संकेत किया हैं, जहां तक इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य के सामने जो उद्देश्य है उसका सम्बन्ध है सरकार कुछ कार्यवाहियां कर रही है। मुझे विश्वास है कि आज इस विशेष प्रस्ताव पर जो अत्यन्त रोचक वाद-विवाद हुआ है उससे प्रस्तुत-कर्ता का जो प्रयोजन था वह न्यूनाधिक पूर्णत: पूरा हो गया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनका उद्देश्य प्रशंसनीय है और न केवल उन्होंने जो कुछ कहा है अपितु दूसरे माननीय सदस्यों ने भी उसे कुछ कहा है वह सरकार के ध्यान में रहेगा।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने समस्या के जिस समाधान का सुझाव दिया है वह ठीक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक औद्योगिक लोक सेवा आयोग होना चाहिये। मैं इसके वैधानिक पहलू की चर्चा नहीं कर रहा हूं। परन्तु यहां इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो उद्योग हैं वे विभिन्न प्रकार या संवर्गों के हैं जिनकी मेरे माननीय साथी ने अभी चर्चा की थी। जहां तक वास्तविक सरकारी उपक्रमों का इस दृष्टि से सम्बन्ध है कि उनका प्रबन्ध वैभागिक रूप से किया जाता है, हमें भर्ती के लिये स्वाभाविक रूप से संघ लोक सेवा आयोग से कहना पड़ता है। मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं कि इन ऐसी वैभागिक प्रबन्ध अधीन संस्थाओं के लिये जब भी कभी भर्ती करनी पड़ती है तब संघ लोक सेवा आयोग, कुछ उद्योगपतियों, विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों को, जो जानते हैं कि इन संस्थाओं का प्रबन्ध कैसे किया जाये और जो यह भी जानते हैं कि प्रविधिक पहलू क्या है, सम्मिलित करता है। इस लिये सभा को यह समझ लेना चाहिये कि जहां तक इन वैभागिक प्रबन्ध अधीन संस्थाओं का सम्बन्ध है जब भी कभी कोई भर्ती की जाती है वह पूरे सोच विचार के बाद और उन विशेषज्ञों से परामर्श करके की जाती है, जिन्हें एक या एक से अधिक अवसरों पर निर्देश किया गया होता है।

दूसरे एक और बात को भी समझ लेना चाहिये। जहां तक इन औद्योगिक संस्थाओं का सम्बन्ध है, जब कभी नियुक्तियां की जाती हैं तब प्रविधिक पहलू के अतिरिक्त एक प्रबन्धकीय पहलू या एक प्रशासनीय पहलू भी होता है। जहां तक इस प्रशासनीय पहलू का सम्बन्ध है, इस दिशा में हम इन पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं जिनका सामान्य अनुभव हो; और जहां तक प्रविधिक पहलू का सम्बन्ध है, प्रविधिक कर्मचारियों को सदैव उन व्यक्तियों के परामर्श के आधार पर चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है जो सक्षम मंत्रणा दे सकने की स्थिति में होते हैं। इसलिये प्रश्न के इस पहलू को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये। यद्यपि ये औद्योगिक संस्थायें हैं। तथापि इनका एक प्रशासनीय पहलू भी होता है और जहां तक इन संस्थाओं को वास्तविक रूप से चलाने का सम्बन्ध है, प्रशासक पूर्णत: आवश्यक हैं। इस कारण मैं अपने माननीय मित्रों को बता देना चाहता हूं कि जहां केवल प्रशासनीय अनुभव ही अपेक्षित हो वहां हम प्रशासनीय संवर्ग से या उन व्यक्तियों में से चुनाव करते हैं जिन्हें प्रशासनीय मामलों का वास्तविक अनुभव हो।

†**डा० लंकासुन्दरम** : क्या मैं पूछ सकता हूं कि रूरकेला कारखाने या भिलाई कारखाने को चलाने के लिये व्यक्ति का चुनाव किस प्रकार किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** मैं इस प्रश्न विशेष का उत्तर तो नहीं दे सकता, परन्तु मैं यह कहूंगा कि जहां तक इन प्रश्नों का सम्बन्ध है सरकार प्रशासनीय कार्य का सामान्य रूप से अनुभव रखने वाले व्यक्तियों और प्रविधिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त करने की आवश्यकता के प्रति पूर्णत: जागरूक है। इसलिये एक और औद्योगिक लोक सेवा आयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे मित्र का जो उद्देश्य था.....

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : "एक और" नहीं बल्कि केवल एक औद्योगिक सेवा आयोग।

†**श्री दातार** : मैंने "एक और लोक सेवा आयोग" कहा है।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : हम केवल एक औद्योगिक सेवा आयोग की मांग कर रहे हैं।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को यह समझ लेना चाहिये कि वह जिसे "सेवा आयोग" कहते हैं उसका अर्थ है "लोक सेवा आयोग"। "लोक" शब्द को इस अर्थ में समझना चाहिये कि एक ऐसा आयोग जो सरकारी पदों पर नियोक्तियां करने के कार्य से सम्बन्ध रखता है वह लोक सेवा आयोग है और इस कारण अन्तत: वह एक औद्योगिक लोक सेवा आयोग होगा।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या आपका ख्याल यह है कि उन अर्थों में निगम सरकारी उपक्रम हैं ?

†**श्री दातार** : मैंने जो कुछ कहा है माननीय सदस्य उसे समझ नहीं पाये हैं। मैं इस समय औद्योगिक संस्थाओं के केवल उसी संवर्ग की चर्चा कर रहा हूं जिनका विभाग द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। जहां तक दूसरे दो संवर्गों का सम्बन्ध हैं, मैं क्या कहूंगा, इसके सबन्ध में उन्हें पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिये। इसलिये यदि यह मान भी लिया जाये कि इस प्रकार का औद्योगिक लोक सेवा आयोग स्थापित कर दिया जायेगा, तो भी यह आयोग केवल उन औद्योगिक संस्थाओं के सम्बन्ध में कार्य कर सकेगा जिन्हें सरकार वैभागिक रूप से चलाती है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, संघ लोक सेवा आयोग उपयुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार को सिफ़ारिश करने या मंत्रणा देने की स्थिति में है।

अब, जैसा कि मेरे मित्र ने ठीक ही संकेत किया है, औद्योगिक संस्थाओं के ऐसे दो और संवर्ग भी हैं जिन में सरकार की प्रत्यक्ष रूप से या वैभागिक रूप से नहीं बल्कि किसी विभिन्न ढंग से अभिरूचि है। जहां तक इन दोनों संवर्गों का सम्बन्ध है, संविहित निगम, संसद् द्वारा एक अधिनियम स्वीकृत किये जाने के बाद अस्तित्व में आये थे। जो विभिन्न अधिनियम स्वीकार किये जा चुके हैं, संसद् ने उनमें उपयुक्त उपबन्ध बनाये हैं और प्रथा तथा व्यवहार के अनुसार भी इन निगमों के प्रबन्धक योग्य उमीदवारों को ही बुलाते हैं और उन्हें नियुक्त करते हैं। मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूं कि संविहित निगमों में भी जहां तक ऊंचे वेतन वाले पदों पर नियुक्तियों का सम्बन्ध है, एक विशेष कार्य-व्यवस्था द्वारा उमीदवारों का चुनाव करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है। जहां तक इन निगमों का सम्बन्ध हैं, वहां पर एक विशेष कार्य व्यवस्था है और निदेशक बोर्ड या प्रबन्ध निदेशक अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अधिकतर मामलों में चुनाव बोर्ड हैं। ये चुनाव बोर्ड इन पदों के लिये विज्ञापन देते हैं। प्रार्थना-पत्र मिलने के पश्चात् योग्य उमीदवारों को भेंट के लिये बुलाया जाता है। फिर उन्हें उचित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च वेतन वाले पदों पर नियुक्तियां सरकार की पूर्व मंजरी से की जाती हैं। जहां तक इन संविहित निगमों का सम्बन्ध हैं, स्थिति यह है।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि न केवल संविहित निगमों में बल्कि समवाय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी समवाय द्वारा चलाई जाने वाली औद्योगिक संस्थाओं के सम्बन्ध में भी वही स्थिति है। इन समवायों के बारे में स्थिति यह है कि वे समवाय अधिनियम द्वारा विनियमित

†मूल अंग्रेजी में

होते हैं और सरकार के पास कुछ संख्या में अंश रहते हैं। सरकार अपने निदेशकों द्वारा अपना नियन्त्रण रख सकती है। परन्तु इन में भी लोक सेवा आयोग या सरकार द्वारा भर्ती का कार्य नहीं किया जा सकता। जहां तक इन नियुक्तियों का सम्बन्ध है, सरकार अपने संचालकों द्वारा अपना दबाव और नियन्त्रण रख सकती है। प्रस्ताव के प्रस्तुत-कर्ता माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि जहां तक विभागों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं का सम्बन्ध है, यह औद्योगिक सेवा आयोग केवल सरकार को मंत्रणा ही दे सकेगा। परन्तु शेष दो संवर्गों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उनमें से अधिकतर या तो संविहित निगम हैं या ऐसी संस्थायें हैं जिन्हें संयुक्त स्कन्ध समयाओं द्वारा चलाया जाता है जिनमें सरकार के कुछ अंश हैं।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : यही कारण था कि मैंने "निर्माण, उद्योग और अन्य संस्थायें" कहा है और केवल वे संस्थायें नहीं कहा जिनका कार्य प्रबन्ध विभाग द्वारा होता हो।

†**श्री दातार** : जहां तक अन्य दो संवर्गों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिये कि निगमों के लिये या समवायों के लिये औद्योगिक सेवा आयोग तक पहुंच पाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि यह अनेक प्रयोजन के क्षेत्र से बाहर होगा।

†**श्री के० के० बसु** : आजकल अधीनस्थ कर्मचारियों को काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह कार्य बिल्कुल ठीक हो रहा है।

†**श्री दातार** : मैं यह बता दूं कि इस सदन का पहले से ही यह विचार है कि सरकार को आवश्यकता से अधिक नियन्त्रण नहीं रखना चाहिये। कई अवसरों पर यह दृष्टिकोण यहां प्रकट किया जा चुका है और इस का आदर करना होगा।

†**सभापति महोदय** : ५ या ६ मिनट शेष रह गये हैं। इसलिये मंत्री को इधर उधर की बातों में न पड़ कर सरकार की नीति बतानी चाहिये।

†**श्री दातार** : इस संकल्प को स्वीकार करने में कठिनाइयों को मैं बता रहा हूं। क्योंकि यह बहुत ही अव्यवहार्य होगा और हमारी संस्थाओं को दो तिहाई भाग पर यह बिल्कुल ही लागू न होगा वे उन अधिनियमों द्वारा शासित होंगी जिन्हें संसद् पारित कर चुकी है। इसलिये माननीय सदस्य के समक्ष जो उद्देश्य है, जहां तक संविहित निगमों और समवाय अधिनियम के अधीन आने वाले समवायों का सम्बन्ध है उन दोनों संवर्गों के लिये उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इन दोनों के लिये उच्च कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार अपने नियन्त्रण और पर्यवेक्षण से काम ले रही है। इस कारण मुझे आशा है कि जो मनोरंजक वाद-विवाद हुआ है उसके बाद अब माननीय सदस्य अपने संकल्प का आग्रह नहीं देंगे। हम इस बारे में पूर्णतः जागरूक हैं कि हम जिन कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं वे सबसे अच्छे और बहुत ही योग्य हों। उद्देश्य के बारे में प्रस्ताव के प्रस्तुत कार्य और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र का कार्यक्षेत्र फैल रहा है इसलिये इस विषय पर अधिक ध्यान देना ही होगा। इसलिये यहा भी सुझाव दिये गये हैं सरकार उन सभी बातों को भलीभांति ध्यान में रखेगी। सरकार यह भी देखेगी कि जहां तक इन संस्थाओं की योग्यता का उच्चतम सम्भव स्तर बनाये रखने का प्रश्न है, इसके लिये क्या विशेष कार्यवाहियां या सावधानी बरतनी चाहिये। इस विश्वास के साथ मुझे पूरी आशा है कि माननीय सदस्य अपने संकल्प पर विभाजन किये जाने के लिये जोर नहीं देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं अपने संकल्प पर अधिक जोर न देता यदि माननीय मंत्री ने कोई कैटेगरिकल ऐश्योरेन्स लोक-सभा में दिया होता। अभी सरकार ने यह कहा कि हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पब्लिक सेक्टर में एक हजार करोड़ रुपये की लागत हम पंच-वर्षीय योजना में लगा चुके हैं और नये प्लान में भी चार हजार करोड़ रुपये की लागत लगने जा रही है। आप स्वयं अन्दाज लगाइये कि यहां पर केवल चार हजार करोड़ रुपये की लागत बजट में है उसके लिये तो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन है और उसके द्वारा सब रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन जिस संस्था में पंद्रह हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम हम खर्च करने जा रहे हैं उसका हम कोई भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम विचार करेंगे। आज हम बगैर पटरियों के यहां पर रेल चलाने जा रहे हैं, बगैर सड़क के हम मोटर चलाना चाहते हैं; यह कहां तक उचित है? मैं चाहता हूं कि पहले आप फाउंडेशन रक्खें, नींव रख कर फिर उसके ऊपर मकान खड़ा करें, मगर हम तो आज हवा में महल खड़ा करना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। आज प्रधान मंत्री जी ने बताया, हमारे उपमंत्री जी कह रहे थे कि साहब, मैनेजमेन्ट के लिये अलग काडर है, और टेक्निकल काडर अलग है। जहां तक आपका कहना है, वह ठीक है कि कभी इसको किया जायेगा, लेकिन आखिर कब किया जायेगा, इसके बारे में न हमारे गृह-मंत्री महोदय ने ही कुछ बतलाया और न हमारे रक्षा मंत्री ने ही कुछ बतलाया।

श्री सतीश चन्द्र : मैंने अर्ज किया था कि बहुत ज़ल्दी काम किया जायेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सरकार की बहुत जल्दी तो मैं जानता हूं। चिल्ड्रेस बिल पेश हुआ था, आर्फेनेज बिल पेश हुआ था, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बहुत जल्दी की जायेंगी, लेकिन तीन साल हो गये हैं, पर अनाथ बच्चों के लिये कुछ नहीं हो सका। मेरा कहना यह है कि ऐसे-ऐसे गम्भीर मामलों पर भी हम तीन २, चार २ साल लगा देते हैं, इस बीच में नुकसान कितना हो रहा है? हमारे गृह मंत्री ने बतलाया कि चुनाव बड़े कायदे से होते हैं। लेकिन मैं आई० टी० आई० फैक्टरी में गया, वहां के मैनेजर ने अपने साले को रख छोड़ा था जो कि कुबड़ा था, चल नहीं सकता था, अपाहिज था। ऐसे आदमियों का एप्वाइंटमेंट होता है और आप यहां पर कहते हैं कि बड़े कायदे के ऐप्वाइंटमेंट होते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप किसी भी पब्लिक सेक्टर की इन्डस्ट्री में चले जाइये, वहां पर बिल्कुल पिछलग्गू और मुंहलगे आदमियों को पायेंगे। अगर आपको इन चीजों को दूर करना है तो आपको लाजिमी तौर से इंडस्ट्रियल कमिशन मुकर्रर करना पड़ेगा। आप खुद देखिये, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट एक है, उसमें नैचुरल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्रीज हैं, तो क्या यह कह दिया जाय कि यह तो प्रयोग के लिये और यह ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये है और यह कह कर छुट्टी पा लीं जाय? यह गलत है। हमारी पार्लियामेंट काम्पिटेंट है कि इस किस्म का कमिशन बनाये। और अगर किसी तरह की रुकावट आती है उसके मार्ग में तो उसको दूर करना पड़ेगा। अगर जरूरत हो तो हम कांस्टिट्यूशन ऐमेन्ड कर सकते हैं। यह मेरी आवोज है, अगर आप इस पर विचार नहीं करते हैं और पीछे रह जाते हैं तो जनता के मन में सन्देह हो जाने की सम्भावना है। मैंने जनता का शुभ-चिंतक होने की वजह से ही यह संकल्प यहां रक्खा था ताकि सरकार का ध्यान इस बात की ओर जाय और समझबूझ कर जाय। अगर आप आज यहां पर यह वादा करते हैं कि आप शीघ्र कदम उठायेंगे तो मैं इसको वापस लेने के लिये तैयार हूं, वर्ना मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव इस तरह से बातें करके ही छोड़ दिया जाय।

इन शब्दों के साथ में बैठता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास और श्री बी० के० दास (कटाई) ने अपने-अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं किया और संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये।**

सभापति महोदय द्वारा श्री के० के० बसु का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सभापति महोदय :** श्री द्विवेदी के मुख्य संकल्प का क्या होगा ?

†**श्री एम० एल० द्विवेदी :** मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रख कर मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

†**श्री के० के० बसु :** किन्तु मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं । इस पर मत लिये जाने चाहियें ।

†**सभापति महोदय :** मैं संकल्प को मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात सभा शनिवार, १८ फरवरी, १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६] पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ... १९

उपाध्यक्ष महोदय ने मनीपुर राज्य के एक गांव में पुलिस की कार्यवाही के परिणामस्वरूप लोगों को हताहत होने के बारे में श्री रिशांग किशिंग के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। गृह-मंत्री ने वचन दिया कि वे तथ्यों का विवरण एक सप्ताह के अन्दर लोक-सभा में रख देंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०–२१, २३

(१) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति :—

(क) दामोदर घाटी निगम का वर्ष १९५२-५३ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ख) दामोदर घाटी निगम के वर्ष १९५२-५३ के लेखे का लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन ।

(ग) दामोदर घाटी निगम का वर्ष १९५३-५४ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(घ) दामोदर घाटी निगम के वर्ष १९५३-५४ के लेखे का लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन ।

(२) विभिन्न सत्रों में, मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, बचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखलाने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(क)	अनुपूरक विवरण संख्या १	लोक-सभा का १९५५ का ग्यारहवां सत्र
(ख)	अनुपूरक विवरण संख्या ५	लोक-सभा का १९५५ का दसवां सत्र
(ग)	अनुपूरक विवरण संख्या ११	लोक-सभा का १९५५ का नवां सत्र
(घ)	अनुपूरक विवरण संख्या १५	लोक-सभा का १९५४ का आठवां सत्र
(ङ)	अनुपूरक विवरण संख्या १८	लोक-सभा का १९५४ का सातवां सत्र
(च)	अनुपूरक विवरण संख्या २५	लोक-सभा का १९५४ का छठा सत्र
(छ)	अनुपूरक विवरण संख्या ३०	लोक-सभा का १९५३ का पांचवां सत्र
(ज)	अनुपूरक विवरण संख्या ३४	लोक-सभा का १९५३ का चौथा सत्र
(झ)	अनुपूरक विवरण संख्या ११	लोक-सभा का १९५३ का तीसरा सत्र
(ञ)	अनुपूरक विवरण संख्या ३८	लोक-सभा का १९५२ का दूसरा सत्र

(३) जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, १९५६ के जारी करने के कारणों का विवरण

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति २१४६–४७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थित हुआ और संशोधित रूप में पारित हुआ ।

पुर:स्थापित किये गये सरकारी विधेयक २१–२२

(१) जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक, १९५६ ।

(२) बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक, १९५६ ।

(३) पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) ।

(४) जीवन बीमा निगम विधेयक, १९५६ ।

विचाराधीन विधेयक २४–४२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक १९५५ पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और विचार समाप्त नहीं हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के अस्वीकृत किये गये संकल्प ४३–४६

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा प्रारम्भ हुई ।

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

शनिवार, १८ फरवरी, १९५६ के लिये कार्यावलि ४७–६४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ।

विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक ।

स्वेच्छा पूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ।

भारतीय रेड क्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक ।

सेंट जान एम्बुलेंस एसोशिएसन (भारत) निधियों का स्थानान्तरण विधेयक ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक ।

M75LSD—190—21-9-57—GIPF.